सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घकालीन योजना

(सन् 2001 से 2007 तक)

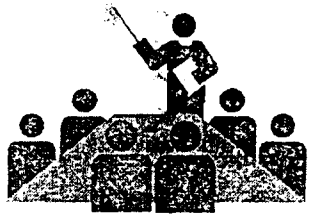

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

दिसम्बर से मार्च तक

वर्ष 2001 – 2007

जनपद–रुद्रप्रयाग

अध्याय — 1

जनपद - एक सामान्य परिचय

ऐतिहासिक परिदृश्य :-

पर्वतराज हिमालय की तलहटी में दो पवित्र नदियों अलकनन्दा एंव मंदाकिनी के संगम पर अवस्थित रूद्र प्रयाग शहर का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक लम्बे समय तक ब्रिटिश गढ़वाल का हिस्सा रहा । रूद्रप्रयाग पूर्व में जनपद चमोली का एक अंग था। जिले के रूप में यह 16 सितम्बर 1997 को अस्तित्व में आया जिसमें टिहरी जनपद एंव पौड़ी जनपद के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया गया है।

प्राचीन काल में यह क्षेत्र केदारखण्ड के नाम से जाना जाता था। वेदो, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि में इस क्षेत्र की महत्ता वर्णित है। भगवान शिव शंकर का पवित्र धाम केदारनाथ तथा प्रसिद्ध चौखम्बा पर्वत इसी जनपद में अवस्थित हैं अलकनन्दा एंव मंदाकिनी के संगम (प्रयाग) पर अवस्थित भगवान रूद्रनाथ का पवित्र मंदिर पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान् रूदनाथ के नाम पर ही इस स्थान को रूद्रप्रयाग के नाम से जाना गया।

भौगोलिक परिदृश्य :-

नवसृजित उत्तरांचल राज्य के उत्तर–पूर्व में अवस्थित रूद्र प्रयाग जनपद का विस्तार 29° 55' 37' से 31° 27' 01' उत्तरी अक्षांश एंव 78° 54' 04' से 79° 2' 00' पूर्वी देशान्तर के मध्य हैं। यह जनपद पूर्व में चमोली, पश्चिम में टिहरी गढ़वाल, उत्तर में उत्तरकाशी तथा दक्षिण में जनपद पौड़ी से घिरा है। घाटी एंव पर्वतों से निर्मित यह जनपद अपने प्राकृतिक सुन्दरता के लिये विख्यात है। हरी गद्दीनुमा घासो (चूना बुग्गी घास) से आच्छादित क्षेत्र जो स्थानीय भाषा में "बुग्याल" के नाम से जाने जाते हैं, अपनी प्राकृतिक छटा के लिये पूरे देश में विख्यात हैं। यहां की सुरम्य घाटियाँ यथा–त्रियुगी नारायण घाटी, केदारनाथ घाटी, मदमहेश्वर घाटी, तुंगेश्वर घाटी, राकेश्वरी घाटी आदि देश विदेश के पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सुन्दरता की तरफ आकर्षित करती हैं।

जलवायु :–

जनपद रूद्रप्रयाग ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं एंव ढलवा पहाड़ियों से निर्मित है जिसकी सबसे ऊंची चोटियाँ केदारनाथ एंव चौखम्बा सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। जपनद के विभिन्न क्षेत्रों की समुद्र तल से ऊंचाई भिन्न–भिन्न (यथा 600 मीटर से 7800 मीटर तक) होने के कारण यहां की जलवायु में विभिन्नता पायी जाती हैं। जलवायु की दृष्टि से जनपद रूद्रप्रयाग की पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो निम्नवत है :–

क्र0स0	जलवायु क्षेत्र	ऊचांई (मीटर में)
1.	गर्म घाटी क्षेत्र	600 से 1000
2.	शीतोष्ण क्षेत्र	1000 से 1500
3.	शीत क्षेत्र	1500 से 1800
4.	अति शीत क्षेत्र	1800 से 2400
5.	हिमाच्छादित क्षेत्र	2400 से ऊपर

मौसम / ऋतु :–

यहां की ऋतुओं का विवरण निम्नवत् है –

क्र0स0	ऋतु	माह से–तक
1.	शीत	दिसम्बर से फरवरी
2.	बसन्त	मार्च से अप्रैल
3.	ग्रीष्म	मई से जून
4.	वर्षा	जुलाई से सितम्बर
5.	शिशिर	अक्टूबर से नवम्बर

जमीन एंव मिट्टी :– पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते जनपद रूद्रप्रयाग की मृदा की कोई एकरूपता नही है। कहीं कंकरीली जमीन तो कहीं निरीह नग्न चट्टानें हैं। कंही पहाड़ों पर सघन वन एंव बुग्याल तो कहीं आबादी वाले क्षेत्रों में पर्वत मालाओं के बीच ऊखड़ जमीन पायी जाती है। घाटी क्षेत्रों में सुन्दर समतल मैदान एवं तलाऊ जमीन भी पायी जाती है जो ऊपज की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। स्थानीय कृषकों के अनुसार यहां तीन प्रकार की जमीन पायी जाती है :–

1. कंकरीली
2. उखड़ (असिंचित)
3. तलाऊ (सिंचित)

सांस्कृतिक परिचय

1– सामाजिक दशा :– जनपद रूद्रप्रयाग नवोदित जनपद है। समाजिक दशा के आधार पर यहां के निवासी पूर्व से ही निवास कर रहे हैं। यहां ऊँचाई वाले स्थान हैं कहीं तो नदी घाटी क्षेत्र भी दर्शनीय हैं कुल मिलाकर मानव व्यवहार निम्न प्रकार है।

2– रहन–सहन :– यहां के निवसी ऊँचाई वाले क्षेत्रों में घास–फूस की झोपड़ी बनाकर तथा स्लेटों से निर्मित ढ़ालदार मकानों में 5 से 7 फीट ऊँचे होते हैं। इसमें बीच में द्वितीय मंजिल पहुंचने हेतु एक खोली मुख्य द्वार होता है। समाज जमीन पर बैठक वयवस्था करता है। आधुनिक युग में खाट चारपाई बेड या तखत का भी अपयोग करते हैं। मकान के आगे एक पत्थरों से बना चौक होता है जिसमें सभी प्रकार के जीवनोंपयोगी कार्य किये जाते हैं।

3 – खान–पान :– जनपद के खद्य भोजन मुख्य रूप से रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियों में आलू मूली, गाजर तथा राई फासवीन, भिण्डी, कद्दू, लोकी से बनाई जाती हैं। रोटी, मडुआ, गेहूँ, जौ, से बनती हैं जिसका उपयोग तलने वाले खाद्य पदार्थों एवं हलुआ बनाने वाले व्यजंनों में किया जाता है।

4– पहनावा :– ऊँचाइयों पर रहने वाले पुरूष पैंजामा/पैन्ट कमीज कोट स्वाइटर ऊनी बनी दोखी पहनते हैं तथा महिलायें, कम्बल अंगरखा धोती, साडी, ब्लाउज, महिला कुर्ता, के साथ सिर पर साफा धारण करते हैं। निचले क्षेत्रों में पुरूष पैन्ट, कमीज, कोट, तथा पैजामा कुर्ता भी धारण करते हैं महिलायें धोती, ब्लाउज, पेटीकोट, तथा यालिकायें सलवार कुर्ता भी पहनते हैं। आजकल कुछ महिलायें भी धोती के बजाय सलवार कुर्ता पहनना पसन्द करती हैं।

5– भाषा/बोती :–, यहां के निवासी अधिकतर गढ़वाली बोली का प्रयोग करते हैं। इसमें अपनी बोली के साथ गढ़वाली में खड़ी गढ़वाली बल, च, का प्रयोग करते हुए किया जाता है। जनपद टिहरी से लगे क्षेत्र जखोली मे छः का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार गढ़वाली भाषा भी क्षेत्रानुसार लहजे एवं पर्यायवाची शब्दों के अनुसार की जाती है। लगभग 30 प्रतिशत जनता समयानुसार हिन्दी भाषा में भी अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं।

सांस्कृतिक परिचय

जपद की जनता क्षेत्रानुसार संस्कृति तथा भारतीय संस्कृति दोनो के पोसक हैं। जैसे साश्ट्रीय पर्व समयानुसार मनायें जाने हैं श्री कृष्ण जन्माष्ठमी, इशहरा, दीपावली, होली को भी मनाया जाता है। तो वहीं क्षेत्रीय मेले भी लगाये जाते हैं। जिनको कौथिक कहते हैं।

1. मेले एवं नृत्य :– जनपद में अगस्त्यमुनि का मेला मदमहेश्वर का मेला रूद्रप्रयाग में मकर सक्रांती एवं आमावश्या पूर्णमासी का मेला होता है। इसमें नृसिंह, देवी, पाण्डव,

जीतूबग्वाल, सिदवा हनुमान भूत देवता का नृत्य ढोल दमऊ तथा थाली डमरू तूरी रणसिंघा के वाद्य यन्त्रों द्वारा किया जाता है।

2. लोक गीत :– जनपद के विकास खण्डो में स्थानीय ढ़ाचें के अनुसार स्थानीय लोक गीत गायें जाते हैं तथा गढ़वाली कुमांउनी गीतों को भी खूब गया जाता है इसी के साथ चित्रपट, दूरदर्शन, रेडियो की उपयोगिता भी देखी जा सकती है इसी के अनुरूप साहित्यिक एवं राष्ट्रीय गीत भी सर्वत्र गाये जाते हैं।जो हिन्दी भाषा से भरे पूरे होते है।

3. प्रमुख वर्ग एवं जाति धर्म:– यहाँ पर ब्राह्मण,क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ग पाया जाता है। इन वर्गों को स्थानों कार्यो पूर्वजों के आर्शीवाद के अनुसार अनेक जातियों तथा उपजातियों में बाटां गया है। जिससे अपने रक्त सम्बन्ध का पता आसानी से लगाया जा सकता है।प्रमुख रूप से इस जनपद में हिन्दू धर्म की जातियां पायी जाती हैं। कुछ स्थानों पर मुस्लिम समुदाय निवास करता है। अथवा अनेक शहरी/बाजारी क्षेत्र में मुस्लिम सम्प्रदाय भी व्यापार करता है।

4. रीति–रिवाज:– जनपद में बच्चों के नामकरण संस्कार से लेकर मृत्यु पर्यन्त संस्कारों की मनाया जाता है। इसमें विवाह संस्कार अपनी जाति उपजाति के विपरीत किया जाता है परन्तु वर्गानुसार अपने–अपने वर्ग में ही शादी की जाती है। हिन्दू धर्त की अधिकता के कारण स्थानीय आधार पर दशहरा में देवी पूजन तथा हरियाली जमाई जाती है। साथ ही रामलीला का आयोजन किया जाता है और होली पर ढ़ोल दमाऊ बजाते हुसे नृत्य एवं गानों के साथ होलिका दहन किया जाता है। इसके अलावा वसन्त पंचमी मकर संक्राती विसवत् संक्रन्ती पर अनेक मेले त्यौहार मनाये जाते हैं परन्तु आधुनिकता दौड़ में सभी जनता अपने रीति रिवाजों को भूलाने जा रही है। किसी भी शादी के बाद घरों में सत्यनारायण की कथा की जाती है। मृत्यु के बाद ग्यारहवें, तेरहवें के बाद श्राद्ध करने का रिवाज आम है। इस प्रकार कुछ मुख्य प्रथायें अभी चली आ रही है।

5. महिलाओं की स्थिति :– पुराने समय से जनपद में महिलाओं से घरेलू तथा कृषि कार्य लिया जाता रहा है। बच्चों की पूरी जिम्मेदारी महिला पर ही रहती है इस प्रकार महिला पहले से ही शोषित पीड़ित चल रही थी इसीलिये महिलाओं की पढ़ाई के प्रति रूचि नही होती थी। परन्तु आज के परिवेश में बालक–बालिका को समान माना जाता है। दोनो को विषम परिस्थिति को छोड़कर विद्यालय भेजा जाता है। घरेलू तथा कृषि कार्य साथ–साथ किया जाता है सरकारी नौकरियों में भी जनपद की 10 प्रतिशत महिलायें कार्यरत हैं। अधिकतर व्यवसायपरक शिक्षा की ओर महिलाओं को आकृषित किया जा रहा है। प्राचीन समय की तुलना में महिलाइओं की स्थिति में क्रमवद्ध सुधार हो रहा है। परन्तु कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां घर पर 70 प्रतिशत महिलायें हैं पुरूष देशरक्षा या आजीविका हुतु घर से बाहर रहते है।

6. प्रमुख तीर्थ स्थल :– जनपद रूद्रप्रयाग का नाम करण भगवान रूद्रनाथ के नाम से रखा गया है। यहां पर प्रसिद्व नदी अलकनन्दा मन्दाकिनी का संगम है इसी संगम के ऊपरी भाग में भगवान रूद्रनाथ का मन्दिर विद्यमान है। इसी के दो किमी0 पर कोटेश्वर महादेव का मन्दिर है।जहां समय–समय पर मेले लगते हैं अगस्त्यमुनि में अगस्त्य ऋषि की तपस्थली एवं मन्दिर है। गुप्तकाशी में रूद्रनाथ का मन्दिर एवं राजा वाणासुर की तपस्थली है इसमें आगे प्रसिद्ध तीर्थ भगवान शिव की प्रतिमूर्ति के रूप में पांण्डों द्वारा निर्मित केदारनाथ है। इसी के मध्य त्रियुगीनारायण भगवान का मन्दिर है। स्थान ऊखीमठ में उखा का परिणय स्थल एवं तपस्थली है। प्रसिद्व महाकवि कालिदास की जन्म भूमि एवं तपस्थली कालीमठ जनपद का प्रमुख तीर्थ है। ऊँकारेश्वर भगवान की तपस्थली मद्मेहश्वर भी ऊखीमठ के ऊपर मद्मेहश्वर नामक स्थान पर विद्यमान

है। मक्कूमठ जहां भगवान तुंगेश्वर की मूर्तियों को छः माह तक शीतकालीन में पूजा अर्चना की जाती है। तथा इसी से आगे जनपद चमोली की सीमा से लगे क्षेत्र तुंगेश्वर में भगवान तुंगनाथ का शिव मन्दिर है यही मार्ग में विश्व प्रसिद्व दोगलविटा तथा चोपता नामक स्थान है जहां पर पर्यटन की, स्केटिंग की अपार सम्भावनायें हैं। इस प्रकार जनपद में तीर्थ स्थलों की भरमार है तथा पर्यटन स्थलों के रूप में देवरियाताल एवं चोपता रासी गोडार एवं त्रियुगीनारायण में अपार सम्भावनायें हैं।

***

वनस्पति :–

जलवायु एंव ऊचांई के अनुसार जनपद में भिन्न–भिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं जिनका उपयोग स्थानीय उद्योग, इमारत निर्माण एंव मवेशियों के चारे आदि के लिये किया जाता है। यहां निम्नलिखित वनस्पतियॉं पायी जाती हैं।

1. 1200 मीटर से नीचे – चीड़, तुन, अखरोट आदि जिनका उपयोग स्थानीय कृषकों द्वारा कृषि यंत्र एंव ईमारत निर्माण तथा पशुओं के चारे के लिये करते हैं।

2. 1200 से 1800 मीटर तक – बांज, मोरू, खैर, देवदार, कंमू, अखरोट खर्सू आदि जिनका उपयोग ईमारती लकड़ी तथा फर्नीचर उधोग आदि में किया जाता है।

3. 1800 से 3000 मीटर तक – कैल, सुराई, रिंगाल, बांस आदि जिनका उपयोग झोपड़ी, टोकरी, कंडिया, चटाई आदि बनाने में किया जाता है।

4. 3000 से 4000 मीटर तक – इसमें गद्दीनुमा बारीक घास उगती है। इस क्षेत्र को बुग्याल कहा जाता है जो अधिकांशतः बर्फ से आच्छादित रहता है। केवल ग्रीष्म ऋतु में मात्र तीन चार माह के लिये बर्फ पिघलने पर यहां भेड़ बकरियां चुगाई जाती हैं। इस क्षेत्र में वन औषधियों का अपूर्व भण्डार है। यहां नाना प्रकार के पुष्प तथा भोज पत्र आदि भी पाये जाते हैं।

कृषि :–

कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। यह के कुल क्षेत्रफल का केवल 19 प्रतिशत क्षेत्र ही कृषि योग्य है। इसलिए यह लोगों की आवश्कताओं के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाता। आलू, सोयाबीन, राम दाना एंव जड़ी बूटियां आदि यहॉं की मुख्य व्यापारिक फसलें हैं।

माल्टा, सन्तरा, सेव, नांरगी, अखरोट आदि फल भी यहॉं प्रचुर मात्रा में उत्पादित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं, धान, तिलहन आदि की खेती भी यहॉं की जाती है।

पशुपालन :-

जनपद की अधिकाश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कृषि के साथ पशुपालन यहॉ का मुख्य व्यवसाय है। गाय एंव भैंसों से केवल दुग्ध का उत्पादन नही होता बल्कि इनके गोबर का प्रयोग भी खेतों में खाद के रूप किया जाता है। भेड़ बकरी का उपयोग सामान ढुलान एंव भेड़ के ऊन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। जनपद का कुल पशुधन निम्नवत् है।

जनपद का पशुधन

क्र0स0	पशु का नाम	नर	मादा	बछड़े	कुल
1.	स्थानीय गाय	37967	29697	19405	87069
2.	वर्ण शंकर गाय	1038	505	791	2334
3.	भैंस	326	22263	5250	27839

अन्य पशु

क्र0स0	पशु का नाम	संख्या
1.	देशी भेड़	13101
2.	वर्ण शंकर भेड़	614
3.	बकरा एंव बकरी	31908
4.	घोड़ा एवं टट्टू	491

खनिज सम्पदा :–

भूगर्भ वैज्ञनिकों के सर्वेक्षण के अनुसार जनपद में तॉबा, सीसा, सोना, जस्ता गन्धक, हीरा आदि बहुमूल्य खनिज सम्पदा विद्यमान हैं किन्तु अभी तक इनका खनन प्रारम्भ नहीं किया गया है।

जल सम्पदा :–

जल संसाधन की दृष्टि से जनपद रूद्रप्रयाग काफी समृद्ध है। मंदाकिनी यहॉ की प्रमुख नदी है जो केदारनाथ के नजदीक चौरावरी ग्लेसियर से निकलती है। इसके अतिरिक्त तुंगेश्वरी राकेश्वरी, मैदानी नदी, काली नदी आदि नदियां जनपद में प्रवाहित होकर पेयजल की समस्या को दूर करती हैं तथा सिंचाई के काम आती है। इनके अतिरिक्त ताल एवं झीले भी जनपद के प्रमुख जल संसाधन हैं। देवारिया ताल, वासुकी ताल एवं काना ताल पर्यटक आकर्षण के केन्द्र हैं। जनपद में गर्म जल के श्रोत भी पाये जाते हैं।

सिंचाई :–

जनपद में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नही है। किसान अधिकांशतया सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। तलहटी वाले क्षेत्रों मे गूल एवं छोटी नहरों से सिंचाई की जाती हैं।

आधार भूत ढांचा :–

(क) सड़क, परिवहन एवं जनसंचार –

सड़क, परिवहन एवं जनसंचार के क्षेत्र में यह जनपद काफी पिछड़ा हुआ है। यद्यपि ब्लाक मुख्यालय सड़क से जुडे हुए है। किन्तु अभी भी जनपद में ऐसे दूर–दराज के क्षेत्र हैं जो मोटर हेड से लगभग 40 किमी दूर हैं।

जनपद में परिवहन के साधनों में मुख्य रूप से राज्य परिवहन निगम की बसें तथा प्राइवेट मालिकों द्वारा चलाई जाने वाली बसें एवं टैक्सियां हैं। दूर–दराज के क्षेत्रों मे घोड़े, खच्चर एवं गधो द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है।

जनपद में 106 डाकघर,03 तारघर, 104 पी0सी0ओ0 एवं लगभग 2000 टेलीफोन कनेक्शन हैं। आज भी रेड़ियों यहॉ जनसंचार का मुख्य साधन है।

(ख) विद्युत व्यवस्था :–

जनपद के लगभग 70 प्रतिशत गॉवो का विद्युतीकरण हो चुका है। किन्तु विद्युत आपूर्ति प्रायः अनियमित रहती हैं। यहॉ विद्युत उपभोग मुख्यतया

घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

(ग) <u>जलापूर्ति :–</u>

जल निगम एवं जल संस्थान के द्वारा जिले के कस्बाई क्षेत्रों में जल आपूर्ति की जाती है किन्तु जनपद के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रो के लोग पेयजल के लिए प्राकृतिक श्रोतों पर ही निर्भर हैं।

(घ) बैकिंग व्यवस्था :–

जनपद में कुल 22 बैंक कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्नवत है :–

क्र0स0	बैक का नाम	संख्या
1	पंजाब नैशनल बैंक	02
2	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	12
3	अलकनन्दा ग्रामीण बैंक	03
4	को–आपरेटिव बैंक	05

(ड़) आर्थिक – सामाजिक दशा :–

गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण जनपद की आर्थिक–सामाजिक दशा संतोषजनक नहीं हैं। कृषि ऊपज जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा नही कर पाता है। साक्षरता दर में कमी भी जनपद की आर्थिक सामाजिक दशा को प्रभावित करती है। बालिकाओं एवं महिलाओं के पिछड़ेन को दूर करने तथा कमजोर तवके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए सुनियोजित योजना बनाकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है ।

(च) प्रशासनिक ढांचा :–

नवसृजित जनपद रूद्रप्रयाग अभी अपनी शैशवास्था में है। जिलाधिकारी जनपदीय प्रशासनिक व्यवस्था के मुखिया हैं। प्रशासनिक एवं विकास कार्यों में उनकी सहायता के लिए एक मुख्य विकास अधिकारी, 2 उपजिलाधिकारी और 3 खण्ड विकास अधिकारी हैं।

जनपद की प्रशासनिक संरचना

वि0 क्षेत्र	बस्तियां	ग्राम पं0	रा0 ग्रा0	न्याय पं0	जि.पं वार्ड की सं0	क्षे. पं0 वार्ड की सं0	नगर क्षेत्र	वि0 ख0	तह0	उ0 तह0
ऊखीमठ	171	63	145	05	03	31	01	01	01	—
अग0	485	155	367	13	08	40	01	01	01	—
जखोली	328	100	168	09	05	40	—	01	—	01
योग	984	318	680	27	16	111	02	03	02	01

क्षेत्रफल :–

जनपद का कुल क्षेत्रफल 2439 वर्ग किलोमीटर है।

जनसंख्या :–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 227461 है। जिसमें 107425 पुरूष तथा 120036 महिलाएं है। इस तरह 1000 पुरूषों के सापेक्ष 1117 महिलाएं है।

जनगणना 1991 एंव 2001 का तुलनात्मक अध्ययन

क्र0म0	विषय	1991	2001
1	कुल जनसंख्या	200515	227461
2	राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	2.82	2.68
3	जनसंख्या धनत्व	106 प्रति वर्ग कि0मी0	120 प्रति वर्ग कि0मी0
4	लिंग अनुपात	1094/1000	1117/1000
5	दशक में जनसंख्या वृद्वि दर	17.51 प्रतिशत	13.44 प्रतिशत

विकास खण्ड / जातिवार जनसंख्या

वर्ष 2001 के अनुसार

क्र0 स0	विकास खण्ड	पुरूष	महिला	योग	अनुसूचित जाति			अनु0 जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अल्प संख्यक		
					पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	ऊखीमठ	22100	22814	43914	2930	2869	5799	34	42	76	127	113	240	20	14	34
2.	अगस्त्यमुनि	54146	55899	110046	9044	9090	18134	91	100	191	189	385	574	272	260	532
3.	जखोली	31179	42323	73502	5357	5583	10946	31	33	64	181	170	351	36	30	66
	योग	107425	120036	227461	17331	17542	34873	156	175	331	497	668	1165	328	304	632

ऊपरोक्त तालिका की विवेचना से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक जनसंख्या विकास खण्ड अगस्त्यमुनि की है। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला विकास खण्ड ऊखीमंठ है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या विकास खण्ड अगस्त्यमुनि तथा सबसे कम जनसंख्या विकास खण्ड ऊखीमठ में ही है।

●●●

विकास खण्ड वार वर्ष 2002 की जनगणना (ग्राम सर्वेक्षण के आधार पर)

वि0 क्षे0	कुल			अनु0 जा0			अ0 ज0 जा0			अन्य पिछडी जाती			अलपसंख्यक		
	पु0	महिला	योग	पु0	महिला	योग	पु0	महिला	योग	पु0	महिला	योग	पु0	महिला	योग
ऊखीमठ	21023	23484	44507	2785	2951	5736	31	42	73	119	115	234	19	14	33
अगस्त्यमुनि	52643	58889	111532	8791	9575	18366	84	100	184	178	400	579	263	271	534
जखोली	35161	39333	74494	6040	7040	13080	67	28	95	204	157	361	39	28	67
योग	108827	121706	230533	17616	19566	37182	182	170	352	502	672	1174	321	313	634

जनगणना Project for to year/ P.G.R (1.35)

क्र.सं.	Year	पुरूष	महिला	योग
1	2001	107362	120100	227462
2.	2002	108827	121706	230533
3.	2003	110295	123349	233644
4.	2004	111784	125014	236798
5.	2005	113293	126701	239994
6.	2006	114823	128410	243233
7.	2007	116355	130161	246516
8.	2008	117942	131901	249843
9.	2009	119093	133223	252316
10.	2010	121149	135485	256634

विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वालों की संख्या एवं प्रतिशत निम्न प्रकार है –

क्र0 सं0	कार्य के प्रकार	कुल संख्या	कुल कार्यकर्ताओं का प्रतिशत
1	कृषक	136477	80.50
2	कृषि कार्य करने वाले मजदूर	9099	00.93
3	निर्माण मजदूर	6824	01.56
4	औद्योगिक मजदूर	4549	01.06
5	व्यापार कार्य करने वाले	6824	02.69
6	सेना में कार्य करने वाले	2274	01.00
7	शिक्षा जगत से जुड़े हुए	2274	01.00
8	अन्य बेरोजगार	59140	11.08
	योग	227461	100.00

अध्अध्याय प्रथम का भाग (सा)

केन्द्र राज्य सरकार द्वारा जारी परियोजनाओं का विवरण

अ– केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजानायें :–

1– जवाहर नवोदय विद्यालय :– जनपद में एक जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित है। इसमें कक्षा 6 में पढ़ने का चयन सर्वजानिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है जिसके कुल सीटों 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्र एवं 80 प्रतिशत ग्रामीण के बच्चे चयनिज होने हैं। जिनके लिये सभी प्रकार की सरकारी सुविधायें कक्षा 10 तक दी जाती हैं।

2– आपरेशन ब्लैक बोर्ड :– 100 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड आपरेशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा एक अध्यापक को वेतन दिया जाता है।जिसमें 208 प्राथमिक के अतिरिक्त 23 जू0 हा0 में से 19 अध्यापकों का वेतन आहरित किया जाता है। 4 पद एस0 सी0 एवं एस0 टी0 के रिक्त हैं।

3– प्रधानमंत्री रोजगार योजना :– दस योजना के अन्तर्गत जनपद के 50 विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कुल ग्रामीण योजना बजट का 20 प्रतिशत विद्यालयों की व्यवस्था पर व्यय किये जाने की व्यवस्था है।

ब– राज्य सरकार,द्वारा संचालित योजनायें :–

1. मध्यान भोजन :– जनपद के ऊखीमठ विकास खण्ड में केन्द्रीय स्वीकृति के आधार पर सभी पंजीकृत प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को 3 किग्रा0 चावल प्रति माह प्रति छात्र दिया जाता है।

2. तैयार भोजन व्यवस्था :– राज्य सरकार द्वारा जनपद के दो विकास खण्डों अगस्त्यमुनि एवं जखोली में बच्चों की उपस्थिति बनायें रखनें हेतु पध्यान में पका पकाया भोजन दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित है।

3.छात्र वृति:– एस0सी0, एस0टी0, एवं ओ0बी0सी0 के समस्त बच्चों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक सरकारी मानकानुसार छात्रवृति दी जाती है।

4. योग्यता छात्रवृति :– जनपद में कक्षा 5 उत्तीर्ण छात्र की सार्वजनिक परीक्ष के आधार पर 100 छात्रों के चयन के उपरान्त कक्षा 8 तक की पढ़ई पूरी करने हेतु योग्यता छात्रवृति प्रदान की जाती है।

5. एकीकृत छात्रवृति :– जनपद में कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा में सर्वोत्तम छात्रों की परीक्षा लेकर उन्हें छात्रावास सुविधा निशुल्क पुस्तक सुविधा एवं कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाती है।

6. आंगनवाड़ी शिक्षा व्यवस्था :– जनपद के विकास खण्ड जखोली में 75 तथा विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में 21 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है अगले वर्ष हेतु विकास खण्डानुसार नये केन्द्रों को खोलने के प्रस्ताव भी प्रस्तावित हैं।

क–स्वास्थ्य परीक्षण :– जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आई0सी0डी0 एस स्कीम के अन्तर्गत गर्भवती परीक्षण वाल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

ख–टीका करण व्यवस्था:– इस कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं की BCG टीका करण एवं बच्चों के प्रतिरक्षण हेतु वी0सी0जी0 मिजिल्स,पोलियो विटामिन ए एवं टिटनेस आदि के टीके लगवायें जाते हैं। वर्षा ऋतु में अधिकतर पेचिस की सिकायत होती है। इस हेतु ओ0आर0एस0 के पाकेट वितरित किये जाते हैं तथा परिवार कल्याण हेतु कापर टी, निरोध व माला डी0 की गोलिया वितरित की जाती है।

ग–विकलांगों हेतु सुविधा :– इस योजना के अर्न्तगत विद्यालयों में अध्ययनरत 40 प्रतिशत तक विकलांग बच्चों को छात्रवृति योजना है तथा पैरों से विकलांग बच्चों को ह्वील चियर या साइकिल की व्यवस्था निर्धारित है। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बच्चों के जन्म से लेकर विद्यालय जाने तक सुविधायें प्रदान की जाती हैं। तथा विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्यान भोजन दिया जाता है।

7. निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण व्यवस्था :– राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के सामान्य वर्ग के कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बालकों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाने की व्यवस्था सुनिश्चित है। जो वर्ष 2001 से प्रारम्भ भी होचुकी है। अन्य वर्ग के बच्चों एवं बालिकाओं को सर्वशिक्षा परियोजना में निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्था रखी गयी है।

शैक्षिक परिदृश्य

विकास सीधा शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हैं। किसी भी क्षेत्र, प्रदेश अथवा देश का विकास वहां के शैक्षिक विकास पर निर्भर करता है तथा उस क्षेत्र का शैक्षिक रिदृश्य वहाँ के विकास का दर्पण होता है आजादी के पूर्व इस क्षेत्र मे विद्यालयों की कमी के कारण यह की साक्षरता काफी न्यून थी किन्तु आजादी के बाद केन्द्र/राज्य सरकार के प्रयासों से साल दर साल यहाँ बहुत से विद्यालय खोले गये तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये गये। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की साक्षरता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में एवं कमजोर आर्थिक/ सामाजिक दशा के कारण सर्व शिक्षा अभियान के अनुरूप जनपद में शत्–प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गो को प्रयास करने होगें ।

साक्षरता दर :–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग की साक्षरता दर 74.23 प्रतिशत है जो राज्य की कुल साक्षरता दर यथा 72.28 प्रतिशत से कुछ अधिक है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में साक्षरता दर घाटी क्षेत्रों की साक्षरता दर की अपेक्षा काफी न्यून है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद में जहाँ पुरूष साक्षरता दर 90.73 प्रतिशत है वहां महिलाओं की साक्षरता दर केवल 59.98 प्रतिशत है। इस तरह पुरूषों के सापेक्ष महिलाओं की साक्षरता काफी कम है। इसका मूल कारण आर्थिक सामाजिक पिछडापन एवं हमारे समाज की प्रचीन मान्यताऐं हैं। समाज की यह धारणा है कि महिलाओ का कार्य मात्र गृहस्थी देखना है। यद्यापि वर्त्मान मे इस धारण मे काफी बदलाव आया है।

सारणी –2/1

राज्य तथा जनपद की साक्षरता– एक तुलनात्मक अध्ययन

क्रस0	साक्षरता का प्रकार	राज्य		जनपद	
		1991	2001	1991	2001
1	कुल साक्षरता	57.75	72.28	57.47	74.23
2	कुल पुरूष साक्षरता	72.79	84.01	80.36	90.73
3	कुल महिला साक्षरता	41.63	60.26	37.08	59.98

शैक्षिक संस्थाएं :–

जनपद में प्राथमिक स्तर पर कुल 482 परिषदीय विद्यालय, 07 प्राथमिक मॉडल स्कूल एवं 65 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 298 परिषदीय विद्यालय तथा 33 मान्यता प्राप्त विद्यालय है। इसके अतिरिक्त 19 हाईस्कूल, 41 इंटरमीडिएट कालेज तथा 03 डिग्री कालेज हैं। केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय भी जनपद में अवस्थित है।

सारणी–2/2

विकास खण्डवार शैक्षिक संस्थाओं का विवरण

क्र0स0	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			
		परिषदीय	मॉडल	मान्यता प्राप्त	परिषदीय	राजकीय	सहायता प्राप्त	गैर सहायता प्राप्त
1	ऊखीमठ	101	0	17	15	02	01	03
2	अगस्त्यमुनि	240	01	37	48	12		
3	जखोली	141	04	21	35	17		
	योग	482	05	75	98	02	30	03

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	हाई स्कूल				इण्टर कालेज				डिग्री कालेज	ज0 न0 विद्यालय	केन्द्रीय विद्यालय	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थाएं (आई टी आई)
		राजकीय कक्षा 6–8		मान्यता प्राप्त		राजकीय		मान्यता प्राप्त					
		हां	नहीं	सहा0	अ0 सहा0	कक्षा 6–8 संचा		सहा0	अ0 सहा0				
	योग	26		01	10	47		02		03	01		02

स्रोत -- बी0एस0ए0, रूद्रप्रयाग

प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का विवरण – जनपद / विकास खण्ड वार

जनपद / विकास खण्ड का नाम	आवंटित पद			कार्यरत पद			रिक्त पद			विद्यालयों की संख्या
	प्र0 अ0	स0 अ0	योग	प्र0 अ0	स0 अ0	योग	प्र0 अ0	स0 अ0	योग	
टिहरी / चमोली	73	224	297	71	220	291	2	4	6	141
चमोली / अगस्त्यमुनि	209	427	636	206	427	633	3	26	29	301
पौड़ी / ऊखीमठ	40	66	106	38	43	81	2	35	37	40
योग	322	717	1039	315	690	1005	7	65	72	482

जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों का विवरण :–

टिहरी / जखोली	30	89	119	28	80	108	4	9	13	35
चमोली / अग0 एवं ऊखी0	53	211	264	49	204	253	4	7	11	54
पौड़ी / बच्छड़स्यूँ	9	34	43	5	34	39	4	–	4	9
योग	92	334	426	82	318	400	12	16	28	98

वर्ष 2002 के परिवार सर्वे के अनुसार

विकास खण्ड वार 0 – 3 वय वर्ग की बालगणना

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	0 – 3 वय वर्ग के कुल बच्चे			0–3 वय वर्ग के पढने वाले			0–3 वय वर्ग के न पढने वाले			एन0ई0 आर0
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	
1	ऊखीमठ	1742	1717	3459	0	0	0	1742	1717	3459	0
2	अगस्त्यमुनि	3760	3403	7163	0	0	0	3760	3403	7163	0
3	जरवोली	2944	2833	5777	10	15	25	2934	2818	5752	0
	योग	8446	7953	16399	10	15	25	8436	7938	16374	0

स्रोत – वी0एस0ए0 रूद्रप्रयाग

विकास खण्ड वार 3 – 6 वय वर्ग की बालगणना

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	3 – 6 वय वर्ग			3–6 वय वर्ग के पढने वाले			3–6 वय वर्ग के न पढने वाले			जी0ई0 आर0
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	
1	ऊखीमठ	1845	1772	3617	977	443	1420	870	939	1809	39.26
2	अगस्त्यमुनि	3652	3292	6944	854	608	1462	2801	2681	5482	21.05
3	जखोली	2777	2728	5505	1090	1068	2158	1687	1653	3340	39.20
	योग	8274	7792	16066	2921	2119	5040	5353	5673	11026	31.37

वर्ष 2002 के परिवार सर्वे के अनुसार

विकास खण्ड वार 6 – 11 वय वर्ग की बालगणना

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	6 – 11 वय वर्ग के कुल बच्चे			6–11 वय वर्ग के पढ़ने वाले			6–11 वय वर्ग के न पढ़ने वाले			एन0ई0 आर0
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	
1	ऊखीमठ	2864	2803	5667	2864	2803	5667	0	0	0	100.00
2	अगस्त्यमुनि	7060	6592	13652	7055	6592	13647	5	0	5	99.96
3	जरवोली	4895	4800	9695	4848	4720	9568	47	80	127	98.69
	योग	14819	14195	29014	14767	14115	28882	52	80	132	99.54

स्रोत – वी0एस0ए0 रूद्रप्रयाग

विकास खण्ड वार 11 – 14 वय वर्ग की बालगणना

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	11 – 14 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग के पढ़ने वाले			11–14 वय वर्ग के न पढ़ने वाले			जी0ई0 आर0
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	
1	ऊखीमठ	1682	1716	3398	1652	1646	3298	30	70	100	97.05
2	अगस्त्यमुनि	3537	3533	7070	3485	3456	6941	52	77	129	98.17
3	जखोली	3249	2423	5672	3196	2340	5536	53	83	136	97..6
	योग	8468	7672	16140	8333	7442	15775	135	230	365	97.74

हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में अध्ययनरत जूनियर स्तर के बच्चों की संख्या

11 से 14 वर्ष वर्ग के कुल बच्चे	11 से 14 वय वर्ग पढ़ने वाले कुल बच्चे	एन0ई0आर0
20235	20114	99.40

स्रोत – वी0एस0ए0 रूद्रप्रयाग

प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	स्वीकृत पद	पदविहीन विद्यालय हेतु अध्यापक		छात्र वृद्धि दर के अनुसार	नवीन विद्यालय हेतु अध्यापक		कुल आवश्यकता	कक्षा 1–5 तक छात्र नाम की स्थिति	अध्यापक संख्या	अनुपात
			स0 अ0	पै0 अ0		स0 अ0	पै0 अ0				
01–02	782	1039	18	18	10			10	27883	1039	1 : 27
02–03	500				6			6	28909	1075	1 : 27
03–04	511		5	5	7	6	6	7	29313	1120	1 : 26
04–05	516				4	5	5	4	29723	1134	1 : 26
05–06	516				3			49	30138	1137	1 : 27
06–07	516				6			34	30559	1143	1 : 27
योग	3341	1039	23	23	36	11	11	110			

नोट : – पी0 टी0 आर0 कम होने के बाबजूद जनपद में कतिपय स्कूलों में छात्र संख्या वृद्धि इस प्रकार से होगी कि वहां अध्यापकों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, इसका सम्पूर्ण विवरण वर्ष 2001 के दस वर्षीय प्रोस्पेक्टिव प्लान अध्याय 8 के छात्र वृद्धि सारणी में दी गई है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता

वर्ष	स्वीकृत पद	पदविहीन विद्यालय हेतु अध्या0 की आवश्यकता (दशम वित्त आयोग)	नवीन विद्यालय		क्रमोत्तर के अनुसार		मॉडल विद्यालय हेतु अध्यापकों की अवश्यकता जूनियर स्तर		कुल अध्यापक आवश्यकता वर्षवार	कुल योग
		स0 अ0	वि0 सं0	स0 अ0	वि0 सं0	स0 अ0	कार्यरत	आवश्यकता		
01–02	426								3	429
02–03					10	30			30	459
03–04			6	18			10	11	29	488
04–05			4	12					12	500
05–06										
06–07										
योग	426	0		30	10	30	10	11	74	500

नोट : – जनपद में मॉडल विद्यालयों की संख्या कुल 07 है। मॉडल विद्यालय रायड़ी में अध्यापकों के अभाव में जूनियर स्तर की कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं। मानकानुसार इन सभी विद्यालयों में कुल 37 पद स्वीकृत है।जबकि कार्यरत अध्यापक मांग 10 है जिनमें से एक अध्यापक केवल प्राथमिक स्तर तक की कक्षाओं को संचालित करता है। स्वीकृत पदों के संख्या कम होने के बाबजूद भी सर्वशिक्षा के मानक के अनुसार कुल अध्यापकों की मांग 11 की गयी है।

सारणी सी

वर्ष	विद्यालय की संख्या	पद विहीन विद्यालयों हेतु अध्यापको की आवश्यकता		कार्यरत अध्यापको की संख्या	नवीन विद्यालय हेतु अध्यापकों की आवश्यकता		मानक के अनुसार अध्यपाको की आवश्यकता सारणी बी के अनुसार	छात्र वृद्धि दर के आधार पर अध्यापको की आवश्यकता सरणी के अनुसार	कुल वांछित अध्यापको की आवश्यकता
		प्र0 अ0	पैरा अ0		प्र0 अ0	पैरा अ0			
01–02	482	23	23	1005	–	–	38	–	38
02–03	505			1080	–	–	--	16	16
03–04	511			1096	6	6	–	16	28
04–05	516			1124	5	5	–	17	27
05–06	516			1151	–	–	–	17	17
06–07	516			1164	–	–	–	17	17

टिप्पणी– वर्ष 2002–03 में पद विहीन विद्यालयों की संख्या 18 दर्शायी गई थी। किन्तु नया जनपद होने के कारण सीमांकन के बाद 5 पद विहीन विद्यालयों को रूद्रप्रेयाग जनपद में शामिल किया गया है। अतः इनकी संख्या 23 दिखाई है।

प्रस्तावित कार्यक्रम 2001 2007

1– नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना– जनपद में एस0एस0ए0 के मानक के अनुसार 120 से अधिक ऐसी बस्तियां है। जहां बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1 किमी0 से 5 किमी तक की दूरी तय करते हैं। उनके मार्ग में जंगल, पहाड़ी रास्ते, नाले, गधेरे आदि आते हैं। इन सभी विद्यालयों में प्राथमिक एवं ई0जी0एस0 की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जनपद को 11 असेवित वस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पडेगी। इनमें से 2003–04 में 6 एवं 2004–05 में 5 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए सर्वे एवं मानकानुसार 40 असेवित वस्तियां चिन्हित की गई हैं। जिनमें क्रमशः 2003–04 में 6 तथा 2004–05 में 4 उच्च प्रथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। शेष 10 असेवित वस्तियों में वर्ष 2002–03 में 10 क्रमोत्तर कक्षाएं संचालित करना प्रस्तावित है। इनके लिए प्रतिवर्ष एक कक्षा कक्ष की आवश्यकता होगी। सूची संलग्न है।

प्रस्तावित विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र सं	विकास खण्ड का नाम	क्रमोत्तर उ0 प्रा0 वि0	नवीन उ0 प्रा0 वि0	
		2002–03	2003–04	2004–05
1	ऊखीमठ	2	1	1
2	अगस्त्यमुनि	5	3	2
3	जखोली	3	2	1
	योग	10	6	4

प्रस्तावित विद्यालय प्राथमिक विद्यालय

क्र सं	विकास खण्ड का नाम	नवीन उ0 प्रा0 वि0	
		2003–04	2004–05
1	ऊखीमठ	1	1
2	अगस्त्यमुनि	3	2
3	जखोली	2	2
	योग	6	5

सारणी 2/15

जनपद में असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	असेवित बस्तियों की संख्या	जूनियर हाई स्कूलों की आवश्यकता संभावित
1	ऊखीमठ	20	4
2	अगस्त्यमुनि	35	10
3	जखोली	25	6
	योग	80	20

सारणी 2/20

विकास खण्डवार ई. सी. सी. ई. केन्द्रों की आवश्यकता

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	नये खोले जाने वाले केन्द्र				योग
			01–02	02–03	03–04	04–05	
1	ऊखीमठ	101	–	–	–	–	0
2	अगस्त्यमुनि	240	–	12	–	–	12
3	जखोली	141	68	–	–	–	68
	योग	482	68	12	–	–	80

निशुल्क पुस्तक विवरण– छात्र वद्धि दर के अनुसार वर्षवार निम्न सारिणी निशुल्क पुस्तक वितरण की जायेगी।

पुस्तक वितरण के लिए परिषदीय, राजकीय, मार्डन, एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा एक से आठ तक पढने वाले छात्रों की गणना सारणी–

वर्ष	कक्षा 1–5 तक की छात्र संख्या	कक्षा 1–8 तक की छात्र संख्या	योग
01–02	27883	14960	42843
02–03	28523	15304	43827
03–04	29172	15656	44828
04–05	29850	16016	45866
05–06	30536	16384	46920
06–07	31238	16761	47999

C1 क्षमता संवर्धन – जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के क्षमता संवर्धन हेतु वी0 आर0 सी0, सी0आर0,सी0, डी0पी0ओ0, एम0आई0एस0 की स्थापना एवं संचालन किया जायेगा। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के मानकानुसार बजट प्राविधान किया गया है।

सर्व शिक्षा द्वारा चलने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों की सूची

वर्ष 2001–2010

क्र.सं.	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	डायट स्तरीय प्रशिक्षण	वी. आर. सी. प्रशिक्षण	सी. आर. सी. स्तरीय प्रशिक्षण	विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण
1	A.M.F. प्रशिक्षण 5 दिन।	आचार्य जी प्रशिक्षण 30 दिन	MCDA प्रशिक्षण 2 दिन	V.E.C. वार्ड एवं सीमित 2 दिन।	S.M.C. सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण।
2	A.W.P.B. प्रशिक्षण 7 दिन।	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण 30 दिनं	ग्राम प्रधान प्रशिक्षण	ओरिन्टेशन प्रशिक्षण	
3	AE/JE प्रशिक्षण 5 दिन ।	B.R.C. कोल्डनेटर प्रशिक्षण	रिफ्रेसर प्रशिक्षण C.R.C.		नवाचार कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण।
4	स्टाफ डवलपमेन्ट प्रशिक्षण 7 दिन।	B.R.C.एवं C.R.C. कोल्डनेटर प्रशिक्षण 10 दिन।	कोल्डनेटर 5 दिन।		
5	रिसोर्सपर्सन प्रशिक्षण 20 दिन।	ABSA एवं SDI प्रशिक्षण 5 दिन।	अध्यापक एवं C.R.C. स्टाफ प्रशिक्षण 3 दिन।		
6	मैनेजमेन्ट प्रशिक्षण 10 दिन।	अध्यापक कम्प्यूटर प्रशिक्षण 20 दिन।	सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण 10 दिन।		
7		E.C.C.E. समन्वयक प्रशिक्षण 20 दिन।			
8		E.C.C.E.पुनरबोध प्रशिक्षण 10 दिन।			
9		सेवाकालीन प्रशिक्षण 20 दिन।			
10		रिफ्रेसर कोर्स शिक्षामित्र 10 दिन।			
11		A.B.S.A. प्रशिक्षण 3 दिन।			

उपरोक्त प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष उक्त स्तर पर दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान - लक्ष्य एवं उद्देश्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में व्यक्त भावना को फलीभूत करने हेतु भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागेदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रराम्भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने सम्बन्धी चिर अभिलाषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान जिससे देश के प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है, का उद्देश्य वर्ष 2007 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी वच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल व्यवस्था के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरूष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य :–

1. सभी बच्चों के लिये वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल "बैक टू स्कूल" शिविर की उपलब्धता।
2. सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लें।
3. सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी कर लें।
4. संतोषजनक कोटि की प्रारम्भिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्तव दिया गया हो, पर बल देना।
5. बालक–बालिका असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर समाप्त करना।
6. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाये रखना।

जनपद रूद्रप्रयाग के परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्य :–

क) शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य :–

सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जनपद रूद्र प्रयाग में भी वर्ष 2002–03 के अंत तक प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत छात्रों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद का वर्तमान शुद्ध नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सकल नामांकन दर को 2002–03

में इतना बढ़ाना होगा कि दोनो का अन्तर शून्य हो जाये।

ख) पुरूष–महिला साक्षरता के अन्तर को कम करने का प्रयास–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पुरूष एवं महिला साक्षरता में काफी अन्तर है। पुरूष साक्षरता की दर जहां 90.73 प्रतिशत है वही महिलाओं की साक्षरता की दर मात्र 59.98 प्रतिशत ही है। पुरूष महिला साक्षारता के अन्तर को समाप्त कर इसे शत् प्रतिशत करने का प्रयास किया जायेगा।

ग) ड्राप आउट कम करने का लक्ष्य–

जनपद में प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठशाला त्याग दर (ड्राप–आउट रेशियों) क्रमशः 1.2 प्रतिशत एंव 1.4 प्रतिशत है जिसे शून्य प्रतिशत तक ले जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्यो की पूर्ति हेतु औपचारिक विद्यालय, ई0जी0 एस0 तथा ए0आइ0 ई0 केन्द्रो की स्थापना की ज़ायेगी साथ ही अतिरिक्त शिक्षको की व्यवस्था तथा जनसंहभागिता बढाई जायेगी। योजनाओं के ठीक क्रियान्वयन तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रबन्धन एवं अनुश्रवण को चुस्त बनाया जायेगा।

घ) आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हमारा उद्देश्य विद्यालयों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर उनके बाह्य एंव आन्तरिक स्वरूप को आकर्षक बनाना है।

(1) निर्माण –

1. भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण कराना।
2. जीर्ण–शीर्ण विद्यालयों की मरम्मत कराना।
3. अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराना।
4. शौचालय एवं चाहरदीवारी विहीन विद्यालयों में इनका निर्माण कराना।
5. विकास खण्ड संसाधन केन्द्र (बी0 आर0 सी0) एवं न्याय पंचायत संराधन केन्द्रों (एन0 पी0 आर0 सी0) का निर्माण कराना।

(ड़) विद्यालयी व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण –

(1) विधार्थी विषयक क्रियाकलाप --

1. विद्यालयों में बैठने हेतु टाट–पट्टी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी छात्रों एवं समस्त बालिकाओं के लिये निःशुल्क/मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना तथा बच्चों के लिये उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना।

3. यदि संसाधन अनुमति दें तो अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा गणवेश उपलब्ध कराकर उनको अध्ययन के प्रति आकर्षित करना।

4. विद्यालयों में खेल सामग्री की व्यवस्था कर बच्चों को विद्यालयों में ठहराव को प्रोत्साहित करना।

(2) अध्यापक विषयक क्रियाकलाप –

1. प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

2. 300 से अधिक जनसंख्या वाली असेवित बस्तियों में जहाँ कम से कम 40 विद्यार्थी हों, दो कक्षीय विद्यालय तथा एक अध्यापक व एक पैरा टीचर की व्यवस्था करना जिससे गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

3. विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात (1:40) के अनुरूप व प्रति विद्यालय दो अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

4. अध्यापको को वेतन एंव अन्य भत्तों का समय से भुगतान सुनिश्चित करना जिससे वे निश्चिन्त होकर लगन से शिक्षण कार्य कर सके। बी0 आर0 सी0 एवं सी0 आर0 सी0 में आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराया जा सकता है।

5. अध्यापकों के लिये एक पारदर्शी स्थानांतरण नीति तैयार कर दूर–दराज के क्षेत्रों में भी एक निश्चित समयाविधि के ठहराव को सुनिश्चित करना तथा दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापको को एक निश्चित ठहराव के बाद उन्हें इच्छित विद्यालय में स्थानांतरित करना।

6. दूरस्थ एंव दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में अनिच्छुक नियमित शिक्षकों को न भेजकर स्थानीय योग्य व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण दिलाकर शिक्षक के रूप में नियुक्त करना जिससे वे मनोयोग से जनहित एंव बालहित में कार्य करेगें।

7. अध्यापकों को शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के अलावा यथासम्भव अन्य कार्यों से विरत किया जाना जिससे कि वे पूर्ण मनोयोग से अपना दायित्व पूरा करें।

8. अध्यापकों को समय–समय पर नवीन साहित्य एंव शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें सतत् जागरूक बनाना तथा उनके अन्दर के

(छ) समुदाय को प्रशिक्षित करना :–

1. बस्ती, गांवों आदि में शैक्षिक अभियान चलाकर लोगो को शिक्षा के महत्व से अवगत कराना तथा उन्हें अपने पाल्यों को विद्यालय भेजने के लिये प्रेरित करना।
2. समुदाय के लोगों को उनके जिम्मेदारियों अहसास दिलाना जिससे वे विद्यालयों के क्रिया कलापों तथा विकास में अधिक रूचि लें।
3. समाज को शिक्षण संस्थाओं एंव स्वास्थय कर्मचारियों के माध्यम से जनसंख्या नियत्रंण सम्बन्धी ज्ञान से अवगत कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों को विद्यालय हित में कार्य करने के लिये प्रेरित करना।

(ज) प्रशिक्षण :–

1. नियमित शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उनके व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाना।
2. अंशकालिक एंव अप्रशिक्षित शिक्षकों प्रशिक्षण देकर उनका अधिकाधिक लाभ उठाना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
4. बी0 आर0 सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0 के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(झ) पुस्तकालय :–

शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों के निर्विवाद महत्तव को देखते हुए पुस्तकालयों की महती आवश्यकता है। इसके निमित्त निम्नलिखित स्तरों पर पुस्तकालयों की स्थापना की जायेगी।

1. जिला स्तर पर पुस्तकालय की व्यवस्था करना।
2. विकासखंड स्तर पर पुस्तकालय की व्यवस्था करना।
3. न्याय पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की व्यवस्था करना।
4. विद्यालय स्तर पर एक अलमारी क्रय कर उनमे बाल सुलभ पुस्तकों का क्रय करना।

इसके अतिरिक्त जनपद में शिक्षा के प्रचार–प्रसार एंव पुस्तकों के अध्ययन के प्रति रूचि जागृति करने हेतु दो चल पुस्तकालयों की व्यवस्था की जायेगी।

जनपद में शिक्षा के प्रचार–प्रसार, प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, सामुदायिक सहभागिता के विचार को लोकप्रिय बनाने एंव प्रभावी शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने हेतु जनपद में जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गहती आवश्यकता है।

जनपद - रुद्रप्रयाग

सर्व शिक्षा अभियान (2002–2010)

नियोजन आरेख

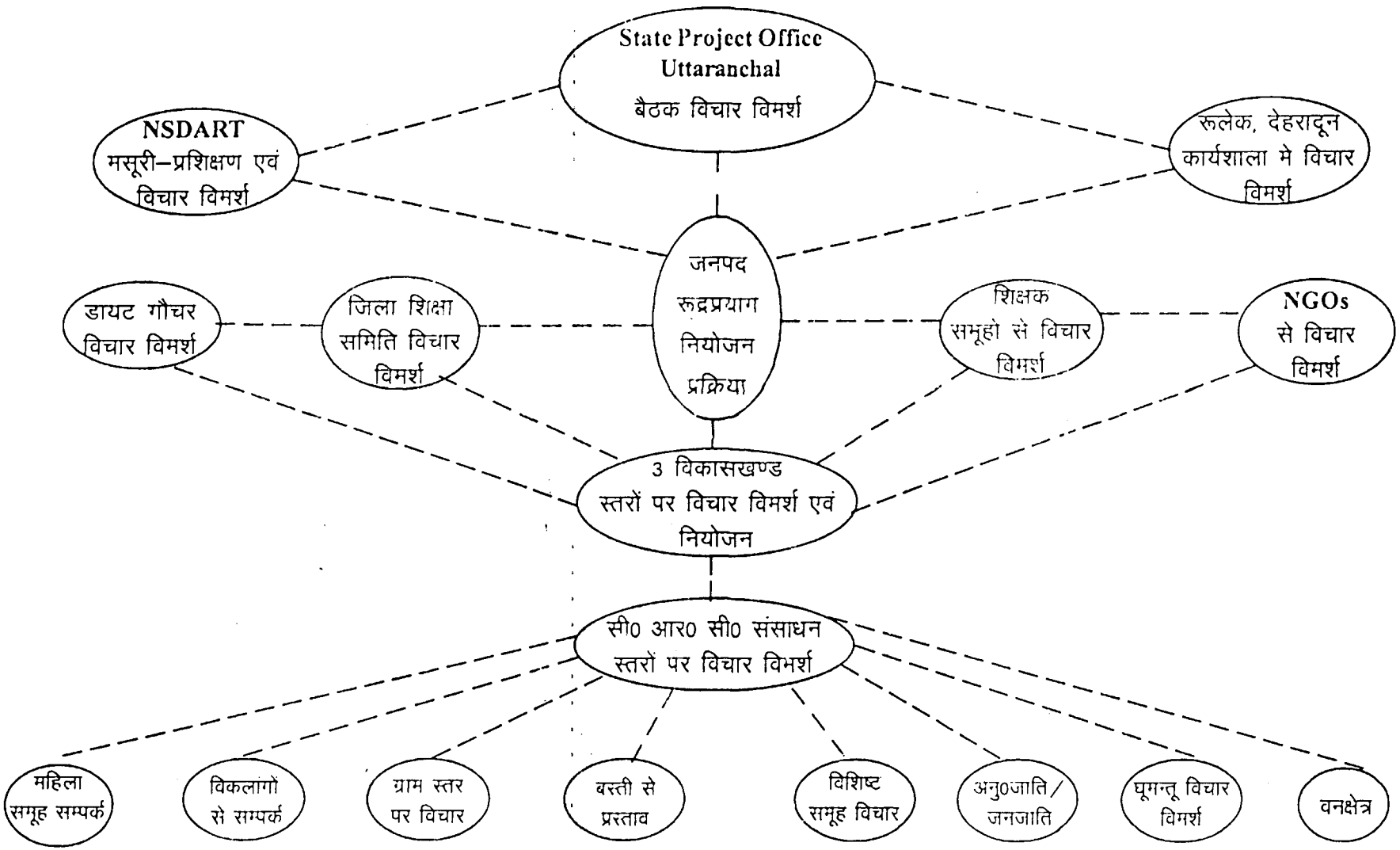

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद के सभी बच्चों का वर्ष 2003 तक विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करना तत्पश्चात् विद्यालयों में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित कर ड्राप आउट दर को शून्य करना है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान ही ऐसी योजना है जो बस्ती ग्राम, न्याय पंचायत, विकासखण्ड स्तर से समेकित होकर जिला स्तरीय योजना बनकर प्रस्तुत हुई है।

माइक्रों प्लानिंग :–

जनपद रूद्रप्रयाग में वर्ष 2000–2001 में परिवार तथा ग्राम को इकाई मानकर माइक्रो प्लानिंग की गयी। आकड़ो का संकलन न्याय पंचायत/संकुल स्तर पर करके विकास खण्ड के अनुसार रणनीति तय की गयी है। अन्त में सभी विकास खण्डों के आकड़ों, समस्याओं विशषताओं तथा विभिन्नताओं को समेकित करके वृहद प्लान तैयार किया गया है। बेसिक शिक्षा परियोजना में जो कमियां रह गई थी, उनकी पूर्ति हेतु इस योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं। योजना का निर्माण इस तरह किया गया है कि स्कूल तक न पहुँच पा रहे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ कर उनका विद्यालयो में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा सके तथा प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर तक गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान किया जा सके।

स्कूल चलो अभियान :–

जनपद में 01 जुलाई 2001 से 15 जुलाई 2002 तक गतवर्ष की भाँति स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसमें यह प्रयास किया गया कि 6–14 वर्ग के सभी बच्चें विद्यालयों में प्रवेश ले सके। प्रत्येक विद्यालय की बालगणना पत्रिका में नये बच्चों का नामाकंन करवाया गया तथा ग्राम स्तर पर उस क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं ने रैलियों व गोष्ठियों का आयोजन किया। प्रत्येक विकास खण्ड एंव तहसील दिवसों पर होने वाली बैठको में स्कूल चलो अभियान का प्रचार प्रसार जन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया। फलतः जनता में शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न हुई।

स्कूल चलो अभियान से शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु वातावरण तैयार हुआ तथा उन कारणों में मदद मिली जो बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित रखने के लिए उत्तरदाई है। 15 जून से पूर्व जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय कोर टीमों का गठन कर दिया गया है।

जिला स्तर पर गठित कोर टीम :–

- अध्यक्ष – जिलाधिकारी।
- उपाध्यक्ष – मुख्य विकास अधिकारी।
- सचिव – बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- सदस्य –
  1. प्राचार्य डायट।
  2. जिला कार्यक्रम अधिकारी।
  3. जिला पंचायत राज अधिकारी ।
  4. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक महिला सदस्य।
  5. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति का सदस्य।
  6. किसी एक स्वैच्छिक संगठन का अध्यक्ष।
  7. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालायों के एक –एक प्रधानाध्यापक।

विकास खण्ड स्तर पर गठित कोर टीम:–

- अध्यक्ष – विकास खण्ड अधिकारी।
- सदस्य सचिव – सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- सदस्य –
  1. ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित एक महिला सदस्य ।
  2. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति का प्रधान।
  3. स्वैच्छिक संगठनों का एक सदस्य जो शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखता हो।
  4. प्राथमिक विद्यालयों के एक प्रधानाध्यापक।
  5. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के एक प्रधानाध्यापक।

- अध्यक्ष – ग्राम प्रधान।
- सदस्य सचिव – कम से कम दो महिला सदस्य जिसमें एक अनुसूचित जाति एंव एक अनु0जनजाति की होगी। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो।
- सदस्य – दो अभिभावक जिसमें एक के पाल्य के सर्वोच्च अंक होगें तथा दूसरे के पाल्य के सबसे कम अंक होगे।

इस अभियान की सफलता हेतु अन्य विभागों के कर्मियों का भी सहयोग लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी ,जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास),जिला सूचना अधिकारी, जिला क्रार्यकम अधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला परियोजना निदेशक, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी तथा निर्माण एवं तकनीकी विशेषज्ञ प्रमुख हैं।

जिला व विकासखण्ड स्तरीय बैठको में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों /कमियों पर विशेष रूप से चर्चा परिचर्चा हुई तथा निम्न आवश्यकतायें चिन्हित की गयी ।

(क) असेवित क्षेत्र।

(ख) ड्रापआउट के कारण।

(ग) विद्यालय भवनों एंव संसाधनों की स्थिति।

(घ) अन्य भौतिक संसाधनो की आवश्यकता।

(ड़) जन सहभागिता की स्थिति।

(च) अपवंचित वर्ग के बच्चों एंव बालिका शिक्षा सम्बन्धी बाधायें।

(छ) विकलांग बच्चो हेतु शिक्षा व्यवस्था।

सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला कोर टीम द्वारा विभिन्न विकासखण्डों में संगोष्ठियॉं आयोजित करवायी गई। जिसमे जिला स्तर के सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में दो–दो व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम विवरण निम्नवत है।

नियोजन कार्यक्रम विवरण–

दिनांक	विवरण	विचारविमर्श एवं उद्देश्य
5–7–2001 से 7–7–2001	रूलेक, देहरादून मे सर्व शिक्षा अभिमुखीकरण कार्यशाला का संचालन किया गया।	सर्व शिक्षा अभियान पर राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला (तीन दिवसीय)
25–8–2001	जनपद रूद्रप्रयाग एंव चमोली की संगोष्ठी गोपेश्वर में की गयी ।	अभिमुखीकरण विचार विनिमय
4–9–2001 से 8–9–2001	न0एस0 डार्ट, मसूरी में परियोजना निर्माण कार्य शाला का आयोजन हुआ	सर्वशिक्षा परियोजना की कार्ययोजना सम्बन्धी कार्यशाला
12–9–2001	राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून में प्राचार्य डायट एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक/संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।	प्राचार्य एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशन
14–9–2001	जनपद रूद्रप्रयाग मे जनपदीप बैठक एंव सर्वशिक्षा प्रकोष्ठ की पहचान की गयी।	सर्वशिक्षा प्रकोष्ट की पहचान एवं कार्य गोजना का शुभारम्भ

विकास खण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रचार प्रसार के लिए निम्न कार्यशालाऐं आयोजित की गयी।

दिनांक	विकास खण्ड का नाम	स्थान	सन्दर्भ व्यक्ति	उद्देश्य
19–9–2001	अगस्त्यमुनि 1	रूद्रप्रयाग	श्रीमती ऊषा बर्त्वाल, श्री एस0एस0 नेगी ब्लाक प्रमुख, समस्त ग्राम प्रधान एवं ब्लाक कोर टीम के सदस्य	बच्चों के विद्यालय न जाने के कारण अभिभावक उन्हें घरेलू कार्यो में लगाते हैं।
20–9–2001	ऊखीमठ	ऊखीमठ	1. श्री डी0एस0 घरिया 2. कु0 दीना राणा	अध्यापकों को अनेक कार्य करने पड़ते हैं जिससे शिक्षण कार्य बाधित होता है
20–9–2001	अगस्त्यमुनि – 2	अगस्त्यमुनि	1. श्रीमती ऊषा वर्त्वाल 2. श्री एस0एस0नेगी	अध्यापकों के देर से विद्यालय आने के कारण बच्चों की उपस्थिति भी न्यून
21–9–2001	जखोली	जखोली	1. श्री रमेश प्रसाद सेमवाल 2. श्रीमती ऊषा विष्ट 3. श्री एस0एस0 नेगी 4. कु0 दीना राणा	होती है। इस हेतु अध्यापक अभिभावक सम्पर्क किया जाय। असेवित बस्तियों की पहचान करना असेवित बस्तियों में नये विद्यालयों की खोले जाने की आवश्यकता पर विचार विमर्श करना

दिनांक	विकास खण्ड का नाम	स्थान	सन्दर्भ व्यक्ति	उद्देश्य
17–10–2001	जखोली	मयाली	1. श्रीमती ऊषा बर्त्वाल 2. श्री डी. एस. घरिया 3. श्री रमेश चन्द्र सेमवाल 4. श्रीमती ऊषा बिष्ट	विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। शाला त्यागी बच्चों को विद्यालय में पहुंचाना।
18–10–2001	अगस्त्यमुनि	अगस्त्यमुनि	1. श्रीमती ऊषा बर्त्वाल 2. श्री डी. एस. घरिया 3. कु. दीना राणा	विद्यालय भवनों एवं संसाधनों की व्यवस्था करवाना। विद्यालय कार्यक्रमों में जनसहभागिता को
19–10–2001	ऊखीमठ	ऊखीमठ	1. श्री डी. एस. घरिया 2. श्री एस. एस. नेगी 3. श्रीमती ऊषा बर्त्वाल	बढ़ाना एवं विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना। सामाजिक भेद–भाव को दूर करवाना।
मार्च 02 से मई 02 तक	सम्पूर्ण जनपद में	सम्पूर्ण जनपद में	समस्त अध्यापकों द्वारा	घर–घर जाकर परिवार सर्वे की गयी तथा परिवार की समस्त जानकरियां निर्धारित प्रपत्र पर एकत्र की गई
03 अक्टूवर से 05 अक्टू. 02 तक	–	देहरादून	1. श्री एस0 एस0 नेगी 2. श्रीमती दीना राणा 3. भूपेन्द्र सिंह बर्तवाल	प्रोजक्ट निर्माण की नयी जानकारी प्राप्त करना।

दिनांकः– 24–9–2001 को जनपद स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें एन0 एस0 डार्ट मसूरी से विशेषज्ञ के रूप में श्री अतिन्द्र सेन, आई0ए0एस0 व डा0 एच0 सी0 पोखरियाल तथा राज्य स्तरीय प्रतिभागो के रूप में श्री शीशराम आर्य एवं श्री दिवाकर देवरानी ने प्रतिभाग किया। इस गोष्ठी में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों क्षेत्र पंचायत सदस्यों, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों, नगर पंचायत सदस्यों, नगर पंचायत अध्यक्षों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनो के प्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों ने प्रतिभाग किया।

अभियान की सफलता का उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग के आलाव अध्यापक, अभिभावक एवं समाज के जागरूक लोगों के ऊपर है। जनपद स्तर पर अभियान का नेतृत्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे।

***

अध्याय — 5

आवश्यकता एवं रणनीतियां

आवश्यकता :—

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराये गए फोकस ग्रुप डिसकसन से प्राप्त विचारों के विश्लेषणोपरांत उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं संतुलित रणनीति बनाई गई है। इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की तैनाती, नये भवनों का निर्माण, जीर्ण भवनों की मरम्मत, शौचालयों का निर्माण ,साज सज्जा एवं विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का निम्नवत प्रयास किया गया।

आवश्यकता	रणनीति
पहुँच :—	
■ शिक्षा का व्यवहारिक न होना। जी0 ई आर0 को बढ़ाने के उपाय	■ उच्च प्राथनिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा। जिससे विद्यार्थियों में स्वावलम्बन एंव करके सीखने की प्रवृति का विकास हो सके एवं आर्थिक पिछड़ापन दूर हो। विशेषकर ग्रामीण अंचल के बालक/बालिकाओं के लिए सिलाई, बुनाई, कताई, फल संरक्षण, स्थानीय क्राफ्ट, पर्यावरणीय शिक्षा एवं रीगंल, भीमल, रातदास, न्यौलू (गेहू का डण्टल) कम्प्यूटर शिक्षा आदि से विभिन्न प्रकार की वस्तुओ का निर्माण कराना सीखाया जायेगा।
■ असेवित एवं मलिन बस्तियों मे विद्यालय सुविधा का न होना।	■ 1 किमी तथा 200 की आबादी वाले ग्राम/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय से दूरी के मानक अनुसार E.G.S. केन्द्र खोले जायेगें तथा 6—14 वय वर्ग तक के बच्चो के लिए ।.E.G.S. केन्द्रो की स्थापना की जायेगी। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों की संख्या तथा उनके जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दो प्राथमिक स्कूलों के लिए एक उच्च प्राथमिक विद्यालय /वर्ग की सीमा निर्धारित की गई है।
■ प्रकृतिक अवरोध — भोगौलिक	■ भौगोलिक कठनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार 50 शिक्षा गारण्टी योजना एवम्

कठिनाइयों जैसे नदी, नाले जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध। अतः स्कूल गारन्टी योजना की आवश्यकता है।

वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा के केन्द्र खोले जायेगें और कालान्तर में उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ लिया जायेगा।

- विद्यालयों में भौतिक संसाधनों जैसे टाट पट्टी, फर्नीचर कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल, एंव चार दीवारी आदि की कमी।

■ छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, चाहरदीवारी आदि की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो के बच्चों के बैठने के लिए काष्टोपकरण की व्यवस्था की जायेगी।

ठहराव :–

- शिक्षा के प्रति अभिभवाक, बच्चों में जागरूता का अभाव। अभिभावक की सोच की बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुडें।

■ शिक्षा का मुल उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है न कि एक मात्र रोजगार उपलब्ध कराना। अभिभावक वर्ग की अवधारणा है कि उसका बच्चा कृषि कार्य के स्थान पर पढ़–लिख कर नौकरी करें। वह कृषि कार्य को निम्नस्तर पर रखता है तथा रोजगार को विशेष महत्व देता है इस सोच में सकारात्मक बदलाव की जरूरत है।

- विद्यालयी कार्यकलापों के प्रति बच्चो में अरूचि होना।

■ बच्चों को विद्यालय बोझिल न लगे, इस हेतु रूचिपूर्ण तरीके से शिक्षण कार्य किया जायेगा। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

- शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में हास।

■ शिक्षक का छात्रों के प्रति मृदु व्यवहार हो। मानवीय मूल्यो एवं संवेदनाओं में समन्वय हो। शिक्षक की छवि छात्रों के मस्तिष्क में सकारात्मक एवं गुणवत्ता परक रूप में प्रतिबिम्बित हो।

अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यो के निष्पादन में लिगं भेदी व्यवहार किया जाता है। लिंग भेद न करने हेतु शिक्षक/शिक्षिकाओं को प्रेरित किया जायेगा।

◆ शिक्षक/शिक्षिकाओं का समुदाय से समन्वय न होना।	■ अधिकांशतः समुदाय का विद्यालयी कार्यों में सहयोग नहीं लिया जाता है तथा वह विद्यालय क्रिया कलापों से अनिभज्ञ रहता है। इस हेतू S.M.C/ V.E.C. जैसे समितियों का गठन कर उसे मजबूत बनाया जायेगा।
◆ विद्यालय में छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी।	■ ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग प्राप्त कर मानक के अनुसार प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के सापेक्ष अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। जहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ प्राथमिक विद्यालय संचालित होगें, वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक ही दोनों विद्यालयों का पूर्ण संचालन करेगा जिसके सभी अध्यापक कक्षा 1 से 8 के तक पाठ्यक्रम से परिचित होगें तथा अध्यापकों की कमी भी दूर होगी।
■ अध्यापकों से अपने विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों के कार्यों को निष्पादित कराया जाना।	■ अपरिहार्य परिस्थिति में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य अध्यापकों से करवाये जायें जिससे अध्यापकों को शिक्षण कार्य हेतु पूरा समय मिल सकें। इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा।
■ पाठ्य सहायक सामग्री/पुस्तकों का अभाव।	■ जनपद का अधिकांश क्षेत्र ऊसर होने के कारण यहाँ अन्न का उत्पादन नाममात्र का होता है तथा इस क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार की सुविधा भी अधिक न होने के कारण अधिकांश लोग गरीब है। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के अलावा कक्षा 6 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं को भी निःशुल्क पुस्तके उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
■ विद्यालय का वातावरण छात्रों के मनोनुकूल न होना।	■ विद्यालय परिसर का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। T.L.M और T.L.E के द्वारा कक्षा शिक्षण के क्रियालापों को रूचिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जायेगा तथा नवाचार विधियों के द्वारा विद्यालय वावावरण को रूचिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जायेगा।
■ निदानात्मक शिक्षण का अभाव	■ जनपद की दुर्गम भौगोलिक एवं समाजिक परिस्थिति के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश में छात्र पठन–पाठन के क्रिया कलापों से दूर हो जाते हैं और शिक्षा के प्रति उनमें आर्कषण कम हो जाता है। अतः ग्रीष्मकाल में शिक्षण हेतु समर कैम्प की व्यवस्था का प्रावधान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कमजोर छात्रों की पहचान कर उन्हें

निदानात्मक शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

क्षमता संवर्द्धन :-

- विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संसथान का न होना।
- विकास खण्ड संसाधन केन्द्र, संकुल संसधान केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
- प्राथमिक /उच्च प्राथिमक विद्यालयों में छात्र अनुपात में कक्षा – कक्षों की कमी।
- जनपद की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा, एवं भवनों के रखरखाव तथा मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जायेगा (V.E.C. के माध्यम से)
- सामुदायिक नेताओं का विद्यालय के प्रति जागरूक न होना।
- जनपद में V.E.C, S.M.C. (M.T.A, P.T.A) आदि का प्रशिक्षण कराया जायेगा जिससे सामुदायिक नेताओं में शिक्षा के प्रति रूचि जागृत होगी।
- जड़ी–बूटियों आदि के क्षेत्र में पारम्परिक ज्ञान का ह्रास।
- जड़ी बूटी के क्षेत्र में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके लिए शोध की व्यवस्था करना। तथा उनके द्वारा किये गये शोध कार्यो का लाभ जन जन तक पहुँचाना। इस प्रकार पारम्परिक ज्ञान के संवर्धन का प्रयास किया जायेगा।

गुणवत्ता :-

- शिक्षक की कमी।
- जनपद की भौगोलिक स्थिति,शिक्षको का असमान वितरण, प्रति विद्यालय दो अध्यापक, छात्र शिक्षक अनुपात पर आधारित मानक पर शिक्षकों की कमी है। इस कमी को दूर करने का पूरा प्रावधान किया जायेगा।
- कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय अध्यापक के रूप में गृह विज्ञान शिक्षिकाओं की व्यवस्था की जायेगी।
- शिक्षक अनुदान न मिलना।
- शिक्षा में गुणवत्ता सम्वर्द्धन के लिए प्रत्येक शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करेगा। इस कार्य

- स्कूल अनुदान की अनुपलब्धता।
- शिक्षकों में सकारात्मक सोच की कमी।
- प्रभावी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का न होना।
- सतत मूल्यांकन का अभाव
- विकलांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था में कमी।
- विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन का अभाव।

के लिए शिक्षक अनुदान की व्यवस्था की जायेगी।

- प्रत्येक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में T.L.E की व्यवस्था का प्रावधान किया जायेगा।
- इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे– विषय सम्बन्धी अभिमुखीकरण, एवं नवाचार, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
- अनुश्रवण एंव मूल्यांकन का कार्य विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाता है। इस कार्य में V.E.C., C.R.C, B.R.C आदि का भी विभिन्न स्तरों पर सहयोग लिया जायेगा।
- विद्यालय स्तर पर सतत मूल्याकंन की व्यवस्था हेतु अध्यापको को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- विकलांग बच्चों का जनपद में सर्वेक्षण करवाकर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए0डी0पी0 आई0 को बच्चो के लिए उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।
- विशेष कार्य करने वाले V.E.C., C.R.C, B.R.C अध्यापक एंव छात्रों को के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की जायेगी।

बालिका शिक्षा की समस्या:–

- शिक्षा के प्रति रूचि होने के बावजूद घरेलू कार्यों एवं सामाजिक मान्यताओं के कारण बालिकाए शिक्षा से दूर हो जाती है जिससें उनका व्यक्तित्व निर्माण

- शैक्षिक अभियान चलाकर पुरातन सामाजिक मान्यताओं पर कड़ा प्रहार किया जायेगा तथा लिंग समानता का विचार जन--जन तक पहुँचाया जायेगा।
- विकास खण्ड स्तर पर बालिका छात्रावासों की व्यवस्था कर 50 प्रतिशत स्थान कमजोर वर्ग यथा अनु0जाति एवं अनु0जन जाति के छात्राओं के लिए आरक्षित किया जायेगा तथा छात्रा संवासनियों का चयन ब्लाक स्तरीय चयन समिति के माध्यम से योग्यता के आधार पर किया जायेगा। छात्रावास का प्रबन्ध महिलाओं द्वारा ही किये जाने की व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जायेगी।(संलग्नक देखे)
- कमजोर वर्ग के छात्राओं के लिए विद्यालय समय के पश्चात् विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी तथा

अवरूद हो जाता है।	इस कोचिंग हेतु नियोजित बस्ती की शिक्षित महिला को प्रशिक्षक बनाया जायेगा। यदि उस बस्ती में शिक्षित महिला न हो तो निकटवर्ती गॉव की महिला को प्रशिक्षक बनाया जायेगा जो कोचिग के समय छात्राओं के गृहकार्य को भी पूर्ण करने में सहायता करेगी।
■ लिंग भेद के कारण महिलाओं / छात्राओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	■ लिंग भेद की समस्या को समाप्त करने हेतु पुरूष महिला समानता के विचार को जन–जन तक पहुँचाने का अभियान चलाया जायेगा। ■ महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु महिला मंगल दल, महिला समाख्या, मैती सदस्यों बाल विकास परियोजना में कार्यरत कार्यकर्ता, ए0 एन0 एम0,कला तथा जनसम्पर्क समूह, ग्रामशिक्षा समितियों तथा जागरूक नागरिकों का सहयोग लिया जायेगा। ■ इसके निमित्त जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान में महिला शिक्षा एंव विकास विभाग का गठन किया जायेगा ओर इसके संचालन हेतु चार सदस्यी समिति का निर्माण होगा। इसका एक सदस्य सरकारी क्षेत्र से तथा 3 सदस्य गैर–सरकारी क्षेत्र से होगी। सभी सदस्य महिलाऐं होगी। ■ प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक आठ सदस्यीय महिला प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। जिसका मुख्य कार्य महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की पहचान कर उनका निदान करना तथा तत्सम्बन्धी सूचना से डायट स्थित महिला शिक्षा एवं विकास सदन को अवगत करना होगा। ■ महिला पुरूष भेदभाव को कम करने हेतु जेण्डर सोसाइटीजेशन एंव सामुदायिक सहयोंग से गोष्ठियो, सेमीनाऐं आदि का आयोजन करना ।
■ विद्यालयों में क्रीड़ा आयोजन हेतु धन का अभाव	■ डायट स्तर पर महिला शिक्षा एंव विकास सदन द्वारा माताओं के संगठन को प्रशिक्षित किया जायेगा। ■ छात्रों से लिया जाने वाला क्रीड़ा शुल्क अत्यधिक न्यून है। अतः इस शुल्क में लगभग चार गुने से अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर यह शुल्क प्रति छात्र 0.25 रू0 है तथा उ0प्र0 में यह दर 2.00 रू0 प्रति छात्र है।

1. EGS की आवश्यकता :– क्षेत्र पहाड़ी दुर्गम एवं जंगल होने के कारण कई बस्तियॉ इस प्रकार से हैं जहां पर बच्चों को स्कूली शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जीवन को जोखिम में डालना पड़ रहा है। अतः इन लोगों में स्कूली गारंटी केन्द्रों का प्रावधान किया जा रहा है। जनपद मे ऐसी 50 बस्तियॉ हैं। जिनमें छात्र कक्षा 1 से 05 तक शिक्षा प्राप्त करने के लिये 1 किमी0 से 4 किमी0 की दूरी तय करते हैं। तथा इनमें छात्र संख्या 15 से अधिक है तथा इन बस्तियों से विद्यालय जाने के रास्ते ऊबड़, खाबड़, जंगली, तथा बीच में गदेरे नाले है। वर्ष 2002–2003 इन भागों में ई0जी0एस0 केन्द्रो की खोलने के वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। माइक्रो सर्वे (परिवार सर्वे) के आधार पर वर्तमान समय में जनपद में ऐसी कोई बस्ती नही है जहां पर 20 से अधिक बच्चे स्कूल न जाने वाले हों तथा इन बस्तियों से विद्यालय की दूरी 1 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

2. TLE सामग्री :– जनपद में कुल 482 प्राथमिकविद्यालय 23 पद विहिन विद्यालय हैं। जनपद के पुराने प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षा नीति 1986 के अर्न्तगत दी गयी शिक्षण सामग्री के पश्चात् इन विद्यालयों को किसी प्रकार की शिक्षण नही दी गयी यह सामग्री वर्तमान में किसी भी प्रकार से प्रयोगार्थ नही रह गयी है। अतः इन सारे विद्यालयों में टी0एल0ई0 सामग्री का अभाव है। अतः जनपद के सामग्री की मांग प्रस्तुत की जा रही है। जनपद में 98 उ0प्रा0 विद्यालय 01 दशम् वित्त विद्यालय, 10 क्रमोत्तर विद्यालय, 10 नवीन 50 प्रा0वि0 तथा 07 माडल स्कूल हैं। इस प्रकार कुल 126 उ0 प्राथमिक विद्यालय हैं।

3. क्रमोत्तर एवं नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय :–जनपद में ऐसी बस्तियां जहां पर छात्र उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 3 किमी0 से अधिक दूरी तय करते हैं। तथा इन बस्तियों में संभावित छात्रों की संख्या 40 से अधिक है तो बस्तियों के लिये जहां पर केन्द्र स्थान में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है जहां विद्यालय केन्द्र में स्थित नही है वहां नवीन उच्च प्राथमिक प्राथामिक विद्यालय केन्द्र स्थापित किये जायेगें। इस मांग हेतु सेवित एवं असेखित बस्तियों की सूची संलग्न में दी गयी है।

4. अध्यापकों की आवश्यकता एवं वेतन :–

क–प्राथमिक – जनपद में इस समय 23 प्राथमिक विद्यालय पद विहीन हैं विद्यालयों में 23 अध्यापक एवं 23 पैरा अध्यापक, छात्र वृद्वि दर के अनुसार सर्व शिक्षा के मानको के आधार पर अध्यापकों की आवश्यकता है। अतः वर्ष बार प्रस्तुत प्रोजेक्ट में अध्यापकों की मांग की गयी है।

ख–उच्च प्राथमिक विद्यालय :– जनपद में एक विद्यालय दशम वित्त आयोग का है जो कि पद विहीन है 10 प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोत्तर विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा। तथा 10 नवीन क्र0उ0प्र0 विद्यालय प्रति के लिये प्रति विद्यालय 03 अध्यापकों का वेतन तथ मॉडल विद्यालयों को वेतन दिया जायेगा।

5.निदानात्मक शिक्षा :– जनपद के दो ऐसे ब्लाक ऊॅखीमठ उवं जखोली जहां पर नवाचार कार्यक्रम एस0सी0/एस0टी0 बालिकाओं के लिये भी चलाया जा रहा है।वहां पर एस0सी0, एस0टी0 बालिकाओं के लिये अतिरिक्त कक्षा शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही की गयी है जिनकी संख्या मात्र 50 है। जिनमें से जखोली में 35 तथा ऊॅखीमठ में 15 उ0प्र0 विद्यालय हैं। इसके लिये डुयटी के उपरान्त या स्कूल लगने से पूर्व के घंटे (सुविधानुसार) में ऐसे छात्रों

को विज्ञान /गणित में योग्यता रखने वाले अध्यापक के द्वारा अतिरिक्त शिक्षण कार्य किया जायेगा इस हेतु उसे 500 रू0 प्रति माह की दर से पारिश्रसिक दिया जायेगा। किसी कारणों की वजह से यदि विद्यालय में विज्ञान/गणित में योग्यता रखने वाला अध्यापक उपलब्ध न हो तो तब ऐसी स्थिति में उसी क्षेत्र के योग्य बेरोजगार युवक/युवती को भी उक्त शिक्षण हेतु रखा जा सकता है। जिसका चयन उस विद्यालय के ग्राम प्रधान की सहमति से किया जायेगा।

6. बाल वृक्ष मित्र योजना :– यह योजना संपूर्ण जनपद में पर्यावरण के संरक्षण के रूप में की जायेगी। यह योजना भी जूनियर विद्यालयों में लागू की जायेगी, इसके अर्न्तगत प्रत्येक उच्च कक्षा में पढ़ने वाला छात्र/छात्रा निचली कक्षा में पढ़ने वाले किसी एक छात्र/छात्रा को मित्र बनायेगा और वह इस मित्र के लिए एक पौधा/पेड़ देगा । जिसके लिए वह छात्र जो पेड लेगा अपने बड़ी कक्षा के छात्र को 5 रू0 देगा। इस पांच रूपये में से 3 रूपये छात्र खुद अपने खर्च के लिए और 2 रूपये कक्षा अध्यापक के पास वृक्ष मित्र योजना कोष के रूप में जमा करेगा। उस कोष से प्रर्यावरण सम्बन्धी वस्तुएं (पेड़, पौधेख बीज, खाद) आदि के खरीद में प्रयोग किया जायेगा। यह क्रम चलता रहेगा। जो छात्र–छात्रा पेड़ खरीदेगा वह उस पेड को विद्यालय परिसर या उसके आस–पास अथाव जंगल या घर पर भी लगा सकता है। कक्षा अध यापक ,समय समय पर इन वृक्षों के जीवित रखने की पुष्टि करता रहेगा। अथात् देख रेख होती रहेगी इस प्रकार वृक्ष मित्र योजना आगे बढ़ती रहेगी।

7. मध्याह्न भोजन :– जनपद में केवल 03 ब्लाक हैं। दो ब्लाकों में मध्या6न (भोजन पक–पकाया) की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। उन्ही मानको के आधारपर जनपद के छोटे ब्लाक ऊखीमठ जहां की छात्र संख्या मात्र 5741 है में इस व्यवस्था को सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जारी की जाने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार इस योजना के द्वारा सम्पूर्ण जनपद के विद्यालयों में छात्र/छात्राओं का ठहराव बनाने में सहायक सिद्व होगा इस पर अनुमानित व्यय 14 लाख 24 हजार से 12 लाख 40 हजार तक होगा।

8. अध्यापक अनुदान :– शिक्षण में गुणवता संवर्द्वन की पुष्टि से प्रत्येक अध्यापक की अध्यापक अनुदान 500 रू0 प्रति अध्यापक की दर से दिया जायेगा। यह अनुदान प्राथमिक उ0प्रा0 विद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं हा0स्कूल तथा इण्टर मीडिऐट कालेजों जहां पर कक्षा 6, 7, 8, संचालित होते हों वे प्रति विद्यालय तीन अध्यापकों को दी जायेगी। इस प्रकार वर्ष वार सारणी के अनुसार अनुदान की मांग की गयी है।

9. स्कूल हैल्थ चैकअप :– विभाग से समन्वयक करके विद्यालयों (रा0,परिषदीय) सहायता प्राप्त सभी विद्यालयों में स्वास्थय परीक्षण करवाया जायेगा । इसके साथ–साथ बच्चों को व्यास्थय संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करवायी जायेगी। छात्रों के अभिभावकों की भी विद्यालय में बुलाया जायेगा। जिससे उनको बच्चों के स्वास्थय संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेगें प्रत्येक विद्यालय में कक्षावार सभी छात्रों का स्वास्थ्य संबंधी विवरण (भार, ल0, आदि) के एक पंजिका में अंकित की जायेगी। यह पंजिका विद्यालय में सुरक्षित रहेगी। इस हेतु प्रति विद्यालय 500 रू0 व्यय किया जायेगा इस मद से भ्रमण करने वाली टीम का व्यय छात्रों को दी गयी दवाइयां विद्यालय में First Aid Box की व्यवस्था की जायेगी।

अध्याय — 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

नवीन विद्यालय :–

प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शत्– प्रतिशत् नामाकंन कराने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसी बस्तियां जहॉ के बच्चे अन्य निकटस्थ विद्यालयों में पहुँचने में कठिनाई महसूस करते है और अपनी शारीरिक अथवा भौगोलिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वचिंत रह जातें हैं, उन बस्तियों में शिक्षा की व्यवस्था करके नामाकंन को बढ़ाया जायेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिए सर्व प्रथम सम्पूर्ण जनपद की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए असेवित एंवं अपहुँच वाली बस्तियों को चिन्हित किया जा चुका है। चूँकि सर्व शिक्षा अभियान की मंशा 2003 तक समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शत् प्रतिशत् नामांकन की है अतः अवशेष चिन्हित निर्माण कार्य इस अवधि के पूर्व ही करा लिए जायेगे। ताकि 2003 तक शत् प्रतिशत नामाकंन के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव आगे सारणी में दशायें गयें है।

निर्माण कार्य की प्रकिया :–

निर्माण की प्रकिया निम्नवत होगी।

1 माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित असेवित बस्तियों में आवश्यकता के अनुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रस्तावित किया जायेगा।

2 स्थल चिन्हांकन तथा भूमि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराई जायेगी।

3 स्थल चयन के पश्चात् ग्राम शिक्षा निधि में प्रथम किश्त की धनराशि, अवमुक्त कर दी जायेगी।

4 विद्यालय निर्माण के लिए ग्राम प्रधान एंव प्रधानाध्यपक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। धन का हिसाब किताब प्रधान अध्यापक के पास रहेगा।

5 धनराशि ग्राम शिक्षा निधि में पहुँच जाने पर निर्माण कार्य छः माह के अन्दर पूर्ण कराया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व ही प्राप्त कर लिया जायगा।

वैकल्पिक शिक्षा गारण्टी केन्द्रों की संख्या (E.G.S.)–

क्र. सं.	विकास खंड का नाम	प्रस्तावित केन्द्र 2002–03
1.	ऊखीमठ	~~30~~ 5
2.	अगस्त्यमुनि	~~30~~ 24
3.	जखोली	~~05~~ 21
	योग	~~65~~ 50

1 शिक्षक :–

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक एवं एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार प्रत्येक उच्च प्रा0 विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक एवं तीन सहायक अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी।

2 T.L.E. :-

परिषदीय प्रा0 विद्यालयों में कम से कम 4 कुर्सी, 2 मेज एवं एक अलमारी, टाट पटटी, बाल्टी, लोटा एंव घन्टी की व्यवस्था की जायेगी।

3 विद्यालय अनुदानः–

साज सज्जा हेतु प्रत्येक प्रा0 विद्यालयों में रू0 2000/– प्रतिवर्ष तक प्रत्येक उच्च प्रा0 वि0 हेतु रूपया 2000/– प्रति वर्ष की दर से दिया जायेगा।

4 चाहरदीवारी :–

वर्ष 2001–02 में जनपद के कुल 50 प्राथमिक विद्यालयों तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी का निर्माण प्रस्तातिव है।

बालिका शिक्षा हेतु योजना :–

जनपद रूद्रप्रयाग की भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है कि वर्ष के आधे भाग में बालिकाओं का ग्राम से बाहर जाना संम्भव नहीं हो पाता है। इससे यहाँ की बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत न्यून है। उसमें भी अनुसूचित जाति एवं अनु0जाति की बालिकाओं का साक्षरता प्रतिशत अत्यधिक न्यून है। बालिकाओं में शत प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक गाँव में विद्यालय शिशु शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी। बालिकाओं के साक्षरता दर कम होने का प्रमुख कारण उनके आर्थिक स्थिति का भी कमजोर होना है। परिवार के अधिकतर सदस्यों को रोजी रोटी के लिए मजदूरी पर जाना पड़ता है। तथा 6–14 वय वर्ग की बालिकाओं को गृहकार्य, छोटे भाई–बहनों की देख–रेख तथा भोजन पकाना आदि कार्य करना पड़ता है।

ऐसी बालिकाओं हेतु जिन्हें अभिभावक के मजदूरी पर जाने के कारण परिवार के छोटे बच्चों की देख रेख करनी पड़ती है। उन्हें विद्यालय में लाने के हेतु शिशु केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी।

बालिका शिक्षा हेतु ऐसे पाठ्यक्रम को लागू किया जायेगा जिसके द्वारा उन्हें साक्षर बनाने के साथ– साथ गृह कार्य कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई एंव आर्थिक प्रगति में सहयोगी अन्य गृहपयोगी कार्य जैसे – आचार निर्माण, मुरब्बा निर्माण आदि विधाओं का समावेश किया जायेगा। अभिभावक के मन की इस भ्रांति को दूर करने के लिए कि बालिकाओं के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिन्टमीडिया, बैनर, पोस्टर एंव जनजागरण अभियान चलाकर ये समझाया जाना आवश्यक है कि यदि बालिका अशिक्षित रह गयी तो समाज का किसी भी प्रकार से विकास सम्भव नहीं हो सकेगा। क्योकि ये समस्त बालिकाएं ही आगे चलेकर एक–एक परिवार का भार अपने कन्धों पर लेगीं। और यदि वे स्वंय शिक्षित नहीं हैं तो समाज की अगली पीढ़ी को शिक्षित कर पाने में अपना सहयोग नहीं दे पाएगीं। साथ ही गृहस्थी सम्बन्धी कार्यो को भी सुव्यवस्थित रूप से सम्पादित नहीं कर सकेगीं। इसके लिए ऐसी बालिकाएं जो ग्रमीण क्षेत्रों में काफी उम्र की वजह से कक्षा 1 या 2 में प्रवेश लेने में झेंप महसूस करती हैं, उनके लिए बालिका शिक्षा शिविर लगा कर उन्हे योग्यता के अनुसार सीधे अगली कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जायेगा।

ऐसे स्थान जहां की भौगेलिक एंव आर्थिक स्थिति इन बालिकाओ के शिक्षित होने में बाधक है, जहॉ पर दूर दूर तक विद्यालय नहीं है, जहाँ की लड़कियॉ अन्य कार्यो में संलग्न है, वहॉ पर ब्रिजकोर्स पूर्ण रूप से आवासीय होगे। और उनके शिक्षण के साथ साथ कपड़ो की सफाई एंव स्वच्छता आदि का भी ध्यान रखा जायेगा। इससे पूर्व इन बालिकाओं के अभिभावकों को ये समझाया जाना चाहिए कि उनकी बालिकाओं को ऐसे शिविर में कोई परेशानी नहीं होगी। और उनके शिक्षक के रूप में महिला अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि अभिभावक बीच में अपनी बालिकाओं से मिल

सके और ये जान सकें कि उनकी बच्चियॉ शिविर में रह कर कुछ सीख रही हैं।

जनपद रूद्रप्रयाग की भौगोलिक संरचना कुछ इस प्रकार की है कि यहॉ के अनेक ग्राम/बस्ती मानक के अनुसार असेवित है इसलिए विभिन्न वय वर्ग की बहुत सी बालिकाओं का विद्यालय तक पहुचना सम्भव नहीं हो पाता। अतः उनको शिक्षा की मुख्य धारा में पूर्व शिशु शिक्षा केन्द्र की स्थापना/ शिक्षा गारण्टी योजना प्रारम्भ की जायेगी। इन केन्द्रो को आकर्षक एंव रोचक बनाने हेतु बच्चों के पठन पाठन सामाग्री के साथ–साथ उनके शारीरिक ,मानसिक एंव बौद्विक विकास में सहयोगी सामग्रियों की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। उनके ड्राप आउट को समाप्त करने हेतु इन केन्द्रो पर महिला अभिभावको से सम्पर्क के समय को पाठ्यकम में सम्मिलित किया जायेगा। बच्चियों की उम्र को ध्यान में रखते हुए उनके लिए परिसर में ही ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पूर्व से संचालित आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, आदि केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के तहत उन्हे अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान कर एवं उनकी कक्षाएं निकट के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित करवा कर उन्हें गतिशील बनाया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत सुदूर स्थिति गांवो एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य गावों को प्राथमिकता के आधार पर सेवित किया जायेगा।

समस्त जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर किसी विशेषता (अपहुॅच वाला गांव, अनु0जाति बाहुल्य गॉव इत्यादि) के आधार पर एक माडल ग्राम का चुनाव किया जायेगा एवं इस गॉव में बालिकाओं का शत प्रतिशत नामाकंन कराकर उन्हें सुविधाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार से उपयोगी शिक्षण सामाग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षित किया जायेगा। एंव यहां के नामाकंन प्रतिशत एंव उपलब्धियों को सम्पूर्ण न्याय पंचायत मे प्रचारित करने हेतु माडल क्लस्टर विलेज द्वारा साक्षर की गयी बालिकाओं के माध्यम से गांव गांव में गोष्ठी, नाटक एवं नुक्कड़ सभाओंके आयोजन द्वारा जन जागरण अभियान चलाकर पूरी न्याय पंचायत का शत् प्रतिशत बालिका नामाकंन लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। तथा सभी बालिकाओं को कक्षा –2 तक की शिक्षा देने के उपरान्त् उन्हें विद्यालयोंमे प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

आर्थिक रूप से परिवार के मददगार न होने पर विद्यालय को सत्र के बीच में छोड़ने वाली बालिकाएं, शिक्षण सत्र के मध्य में गम्भीर रूप से बीमार होने के कारण शिक्षा छोड़ने वाली बालिकाओं, बाल विवाह के कारण सत्र के मध्य विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाएँ एवं अन्य कारणों से शिक्षा को बीच में छोड़ देने वाली बालिकाओं को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सर्वप्रथम पैरा टीचर्स की नियुक्ति कर गॉव–गॉव में ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इसमें सर्व प्रथम मुख्य कार्य गॉव की माइक्रोप्लानिंग कराकर ड्राप आउट हुई बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क किया जायेगा। उनके ड्राप आउट होने के कारणो की खोज एंव विश्लेषण किया जायेगा। अभिभावकों को पुनः बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उस गॉव में संचालित ग्रीष्म

कालीन शिविरों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा तथा शिविर के पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि निर्धारित समय के अन्तर्गत ही उसे समाप्त कर नए सत्र में आरम्भ होने वाली कक्षाओं में उनका प्रवेश कराया जा सके।

उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव योजना का संचालन किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत विभागीय पाठ्यक्रम के साथ–साथ भावी जीवन के लिए उपयोगी कार्य कलापों का समावेश किया जायेगा। इसमें घर की स्वच्छता, साज सज्जा, बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियाँ तथा उनके उपचार आदि को सम्मिलित किया जायेगा। नारी जीवन में गृहणी के कार्यो से सम्बन्धित क्रिया–कलाप जैसे अचार, मुरब्बा आदि का निर्माण तथा उनको सुरक्षित रखने की विधि आदि का भी समावेश किया जायेगा। जिससे बालिकाएं अपने शिक्षण काल में ही स्वंय उनके निर्माण एंव प्रयोग में दक्ष होकर अपने भावी जीवन में स्वावलम्बी बन सकें एंव परिवार की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करन में सहभागिता निभा सकें।

उपरोक्त सभी योजनाओं की सफलता तथा बालिकाओं के शत् प्रतिशत् नामाकंन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उनमें निःशुल्क पाठ्यपुस्तको का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों में बालिकाओं के लिए सांध्यकालीन शिक्षण शिविर की व्यवस्था की जायेगी। इन शिविरों की चलाने के लिए प्रत्येक महिला संचालिका को 200 रूपया प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जायेगा। यह व्यवस्था धारण एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु की जायेगी।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल प्रदेश में पुरूषों एंव महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 84.01 एंव 60.26 प्रतिशत है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग में पुरूषों की कुल साक्षरता 90.73 प्रतिशत एंव महिलाओं की कुल साक्षरता 59.98 प्रतिशत दर्शायी गयी है।

महिला साक्षरता :–

किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की महिला साक्षरता से प्रभावित होता है। कहा जाता है कि महिला के शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामाकंन शत् प्रतिशत् करने के साथ ही सभी वर्गों की बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं। 3–6 वय वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों में बालिका शिक्षा के नामाकंन में वृद्वि हुयी है। बालिकायें अक्सर इस वय वर्ग में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के कारण विद्यालय नहीं जा पाती थी। कक्षा 5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं हेतु कार्यानुभव प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। परिणामस्वरूप विद्यालय की उपस्थिति में वृद्वि हुयी एंव ड्राप आउट की संख्या में कमी आयी ।

सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित रणनीतियाँ :–

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जनपद रूद्रप्रयाग में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न योजनाएं प्रस्तावित है :–

1 बालिकाओं के माता पिता अपनी लड़कियो को दूरस्थ स्थापित विद्यालयों में भेजना उचित नहीं समझते अतः विद्यालय विहीन 1.5 कि0 मी0 की परिधि एंव कम से कम 200 की आबादी पर नवीन विद्यालयों की स्थापना की जायेगी एवं 300 की आबादी से अधिक तथा 3 कि0 मी0 की परिधि पर प्रत्येक बस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगें।

2 प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव हेतु शौचालय एंव पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।

3 प्रत्येक प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षिकायें हो ऐसा प्रयोग किया जायेगा।

4 माता शिक्षक संघ एंव महिला प्रेरक समूहो का गठन कर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली समस्याओं को कम किया जायेगा।

5 बालिकाओं के नामाकंन एंव ठहराव में वृद्वि हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी।

6 जनपद में बालिका शिक्षा के समन्वय एवं देखरेख एक पूर्ण कालिक जिला समन्विका की व्यवस्था नियमानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जायेगी।

7 समस्त सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के दृष्टिकोण से कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं एवं विद्यालय वातावरण आदि पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

8 ऐसी बालिकायें जो औपचारिक विद्यालय में नहीं जा सकती, उनका ई0जी0एस0 में प्रवेश कराया जायेगा।

9 11–14 वय वर्ग की बालिकाओं जो गॉव की रूढ़िवादी परम्पराओं के कारण बालकों के साथ विद्यालय में नहीं पढ़ने जाती, उनके लिए अलग नवाचार ए0आई0ई0 खोले जायगे।

10 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बालिका शिक्षा उन्नयन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिये जायेगें।

11 जनपद में महिला शिक्षा एवं विकास सदन की स्थापना, बालिकाओं की स्थिति में उन्नयन हेतु की जायेगी। इसका प्रमुख उद्देश्य लिंग भेद को कम करना होगा।

कार्यक्रम

जनजागरण अभियान :–

जनपद – रूद्रप्रयाग में 2542 बालिकायें है जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं है इन बालिकाओं का नामाकंन सुनिश्चित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाये जायेगें। विशेषकर विकासखण्ड ऊखीमठ एवं जखोली में बालिकायें घरों में काम करती है। या अल्पसंख्यक जातियाँ अपेक्षाकृत अधिक पिछडी हुई है। इनके लिए माह जुलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह एक बार जनजागरण अभियान चलाया जायेगा जिसके अन्तर्गत प्रभात फेरियाँ जुलूस तथा पोस्टर नारों का लेखन जनसम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठको का आयोजन किया जायेगा।

बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन संख्या :–

1 समस्त ग्राम समितियो को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगे।

2 महिला प्रेरक समूहो एंवं एम0 टी0 ए0 का गठन एंवं प्रशिक्षण।

3 जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

मॉडल क्लस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच :–

जनपद के अत्यन्त पिछड़े एंव सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल क्लस्टर ग्राम सभा का विकास किया जायेगा।

न्याय पंचायत को माडल बनाकर क्लस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा । इन क्लस्टरों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगे ताकि इन न्याय पंचायतो की समस्त ग्राम सभाओं में 6–14 वय वर्ग की बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित हो सके साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति स्वाभाविक लगाव भी विकसित हो। चयनित न्याय पंचायतो में बालिकाओं में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित है जैसे ग्रीष्माकालीन शिविर किशोरी संघो का गठन, लाइफ स्किल ट्रेनिंग आदि का आयोजना।

विशेष नामाकंन अभियान :–

चयनित क्लस्टर में पार्टीसिपेन्ट्री रूरल एप्रोच विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा। प्राप्त आंकड़ो के आधार पर उपरोक्त विकास खण्डो में नामांकन अभियान चलाया जाएगा। इस सम्बन्ध में समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूहों का सहयोग लिया जायेगा एंव निम्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

1 इसके माध्यम से प्रत्येक गॉव स्तर पर गोष्ठियो का आयोजन, फिल्म प्रदर्शन, बैनर चार्ट पोस्टर एवं कला जत्था के माध्यम से माता पिता एंव अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा।

2 मॉ – बेटी मेला आयोजन : ग्राम स्तर पर मॉ बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा उसके माध्यम से माताओं को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

3 ग्राम सभा समितियों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला : इस कार्यक्रम के तहत एम0 टी0 ए0, पी0 टी0 ए0, वी0 ई0 सी0 महिला प्रेरक समूह ब्लाक तथा एन0 सी0 आर0 सी0 केन्द्रों के समन्वयकों आदि के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

4 ग्राम शिक्षा समितियो, महिला प्रेरक समूहो का गठन एंव प्रशिक्षण : बालिकाओ की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं, नामाकंन विद्यालय में ठहराव में वृद्वि हेतु वी0ई0 सी0 एवं एस0 एम0 सी0 आदि को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यस्था की जायेगी । इसके लिए जि0 प्रा0 शि0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्रशिक्षण मंजूशा प्रयोग की जायेगी।

5 बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने वाली कक्षा द्वारा कक्ष प्रकियाओं तथा गतिविधियों से अवगत कराने हेतु विकासखण्ड संसाधन तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों तथा सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा शिविर :–

शालात्यागी बालिकाओ को पुनः विद्यालय से जोड़ने हेतु : ड्राप आउट बालिकाओं को पुनः विद्यालय से जोड़ने हेतु 30 दिन का ग्रीष्मकालीन शिविर चलाया जाएगा और उनको कक्षा विशेष में पुनः नामाकित कराया जायेगा यह शिविर प्रा0 एंव उ0प्रा0 विद्यालयों में चलाये जायेगें। क्षेत्र का चयन बालिकाओं की ड्राप आउट दर को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

विकास खण्ड के माडल क्लस्टर/अन्य क्षेत्रो की चयनित ग्राम सभाओं में दस दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर लगाने का प्रस्ताव है इन शिविरों में शालात्यागी बालिकाओं के अभिभावकों , स्वंयसेवो संस्थाओं के प्रधानों एवं अन्य समूहो के माध्यम से बालिकाओं को स्कूल में लाने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

चयनित क्लस्टर में आवश्यकतानुसार बालिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स आयोजित किये जायेगें ऐसे शिविर नगर क्षेत्र रूद्रप्रयाग तथा ऊपर उल्लिखित दो विकास खण्डों में प्रस्तावित किये जायेगे। इन शिविरों में 3 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित कर शालात्यागी बालिकाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा 5 तथा कक्षा 8 की परीक्षा दिलाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम :-

जनपद के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढावा दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को खिलौना बनाना, कला, चित्रण, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि की शिक्षा के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियॉ, मिट्टी के खिलौने कागज के खिलौने, एवं कागज के समान बनाने की कला सिखाई जायेगी। कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत कृषि पशुपालन, पुस्तककला, धातु कला आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान देकर छात्रों के मन में विद्यालय के प्रति आर्कषण पैदा किया जायेगा।

विशेष वर्ग की शिक्षा – समेकित शिक्षा :-

भारत की लगभग 5–10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजानिकीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रासित बच्चो को विद्यालय नहीं लाया जाता। इसके पश्चात् एक मेडिकल बोर्ड द्वारा उन्हे विभिन्न प्रकार की विकलांगता के अनुसार श्रेणीवद्व किया जायेगा और इन बच्चों के लिए समेकित अथवा व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

विकलांगता / अक्षमता के प्रकार :-

मुख्य रूप से विकलांगता पॉच प्रकार की होती है।

1 दृष्टि विकलांगता।

2 श्रवण एंव वाणी विकलांगता।

3 अस्थि विकृर विकलागता।

4 मानसिक मन्दता।

5 अधिगम मन्दता।

विकलांगता / अक्षमता के कारण :-

बच्चो में कुछ विकलांगतायें/ अक्षमता जन्म से होती है तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। बच्चो की अधिगम अक्षमता के निम्न कारण हो सकते है।

1 बौद्धिक क्रिया कलाप का निम्न स्तर का होना।

2. देखने में कठिनाई, सुनने एवं बोलने में कठिनाई।

3. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना, अंगों की विकृति, मांस पेशियों में तालमेल न होने से क्रिया कलाप में कठिनाई।

4. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें आदि।

5. दृष्टि तथा मांस पेशियों में तालमेल न होना।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते है।

- माता पिता के स्नेह में कमी।
- सीखने के समान अवसर का न मिलना।
- शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।
- शिक्षक का बच्चों से कम लगाव होना।
- सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

अक्षमता के परिणाम :-

1. बच्चों में :-
   - आत्मनिर्भरता में कमी।
   - चलने में परेशानी।
   - समाज में उपेक्षित।
2. परिवार में :-
   - अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।
   - आर्थिक बोझ अधिक आदि।

3. अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों की पढ़ाने के लिये विशेष तकनीकि की आवश्यकता नहीं होती। केवल अध्यापक को कुछ

बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। विशेष प्रकार की तकनीकि की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

4. संवेदीकरण :–

अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये निम्नलिखित का संवेदीकरण आवश्यक है–

1. समुदाय का संवेदीकरण।
2. परिवार एवं भाई–बहनों का संवेदीकरण मार्गदर्शन ।
3. अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देते हैं, किन्तु इन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि सहायता की आवयकता है। उनकी क्षमताओं को और विकसित करने की आवश्यकता है।

5. उपकरण एवं उपस्कर :–

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उनके लिए उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात कराने के लिये बच्चों को डाक्टरों की एक टीम जिसमें एक आर्थोपेडिक्स, एक इ.एन.टी. डाक्टर एवं एक आई स्पेस्लिस्ट हो, द्वारा मेडिकल एसेसमेन्ट कराया जाता है। फिर आवश्यकतानुसार उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकेरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से की जाती है। इसके लिए निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जा सकता है।–

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।
2. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बान्द्रा, मुम्बई।
3. एलिम्को, जी.टी. रोड, कानपुर–208016।
4. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, कर्करडूमा, विकास मार्ग, दिल्ली।
5. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मन्त्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेन्ट सेन्टर।
6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद।
7. नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइन्ड, एजूकेशन डिपार्टमेन्ट, काटेन ग्रीन, एल.पी. कॉम्प्लेक्स, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

9. यू.पी.विकलांग केन्द्र 13 लूकरगंज, इलाहाबाद।

6. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :–

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया गया है जिसमें विकलांग बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया गया है। रामेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को 05 का दिन प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति विकास खण्ड 4–4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाता है और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवान्स स्टडीज स्पेशल एजूकेशन, रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली, अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर कर्करडूमा विकास मार्ग, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश विकलांग केन्द्र, रूरल रिसर्च सोसाइटी, 13 लूकरगंज इलाहाबाद में आयोजित किया जा सकता है।

7. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास :–

शिक्षकों द्वारा हस्त पुस्तिका का विकास किया है जो पॉच विकलांगताओं यथा–दृष्टि,श्रव्य, अधिगम, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोकस किये गए है।जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिये "आप क्या कर सकते है।" फोल्डर विकास किया गया है। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा–3 पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तक में "दोस्ती" नामक पाठ सम्मिलित किया गया है। शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में विकलांगता के विषय में शामिल किया गया है।

8. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम का समावेश होता है।

+ विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
+ विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझाना।
+ इन बच्चों के सभी समूहों के लिए शिक्षण रणनीति विकसित करना।
+ कक्षा–कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।
+ इन बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
+ विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

9. स्वंय सेवी संस्थाओं की भागीदारी :–

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हो और निम्न पात्रताएँ रखती हों।

+ संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।
+ संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता।
+ विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
+ संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

सामुदायिक गतिशीलता :–

6–14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वालों की अपेक्षा अधिक होती है।

गाँव एवं नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गये। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चत करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगरों में वार्ड वार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी। शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अनेक अधिकार शिक्षा समितियों को प्रदान किये गये।

कार्य ग्रुप डिस्कैर्सन :–

ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास क्षेत्र स्तर तथा जिला स्तर पर विभिन्न समस्याओं पर फोकस ग्रुप डिस्कसन कराये गये। इन ग्रुप डिस्कसन में ग्राम प्रधान गणमान्य व्यक्ति अध्यापक, अभिभावक अधिकारियों, अल्प संख्यक वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा प्रभिभाग किया गया।

फोकस ग्रुप डिस्कसन में नामांकन, भवन, विज्ञान, शिक्षा, नैतिक शिक्षा, खेलकूद, मकतब को सुदृढ करना, गणवेश, बालिका शिक्षा आदि विन्दुओं पर चर्चा की गयी।

ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता :–

ग्राम में ग्राम शिक्षा पर चर्चा की गई। सामुदायिक गतिशीलता को बनाये रखने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है। समुदाय को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा एवं शिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करना, वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है।

विगत वर्षो में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन हुआ है। पंचायत राज व्यवस्था के अन्दर प्राथमिक शिक्षा की सम्पूर्ण गतिविधियों में ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः ग्राम पंचायतो को शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक कार्य से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देना अत्यन्त आवश्यक हैं। जनपद में वर्ष 2002 में 100 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संसाधन के निर्देशन मे न्याय पंचायत स्तर पर दिया जाना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण अवधि दो दिन की होगी तथा प्रशिक्षण स्थल न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र होगें।

विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने में सामुदायिक भूमिका :–

सूक्ष्म नियोजन के उपरान्त विद्यालय मे जो समस्याएं है उनका निराकरण करने मे समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जहाँ विद्यालय के लिए भूमि नहीं है अथवा कम भूमि है वहाँ पर ग्राम वासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। बच्चों को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि बिना खेल के बच्चा सीख नही सकता अत खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा :–

आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है। इसके लिए वृक्षारोपण एवं पुष्पवाटिका हेतु जानकार लोगों की सहायता ली जायेगी तथा उन्हीं से पौध आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय मे उनका रोपण कराया जायेगा। उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

साज–सज्जा में सहयोग :–

विद्यालय में फर्नीचर टाट पट्टी, श्याम पट्ट चाक, शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगों की तथा ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी। गरीब बच्चों के लिए समुदाय के लोगों से उनके गणवेश, स्लेट, पेंसिल, कॉपी आदि की सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा। प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी।

विद्यालय सुदृढ़ीकरण में सक्रियता :–

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत, चाहरदीवारी निर्माण, मिट्टी भराव एवं विद्यालय प्रांगण की भूमि ऊँची नीची होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

विद्यालय गणवेश निर्माण मे सहयोग :–

वातावरण एवं आकर्षक परिवेश हेतु बच्चों के गणवेश का विशेष महत्व है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों एवं जानकार लोगो की मदद से विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी। जिससें बच्चें अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे और अन्य बच्चों से उनकी पृथक विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चें अपने को अपराध भावना से देखें और स्वंय भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सके।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वो पर चेतना जागृति :–

राष्ट्रीय पर्वो में प्रभात फेरी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जन सहयोग लिया जायेगा। अपवंचित वर्ग के अभिभावकों एवं बच्चों को इससे जोडा जोयगा।प्रतियोगिताएं आयोजित कर सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्यापक सहयोग :–

समुदाय के शिक्षित लोगो को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालयो में शिक्षण कार्य के लिए समय दे तथा अध्यापक के कार्य मे सहयोग करे।

विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोग :–

ग्राम के शिक्षित एवं सम्मानित व्यक्तियों शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को इस बात के लिए गतिशील बनाया जाये कि वे अपना विद्यालय की भावना से विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करते रहे। और मासिक रूप से उसका अनुश्रवण भी करे तथा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर संवर्द्धन हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करे।

◆◆◆

प्रशिक्षण

1. सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण :– शिक्षण में गुणवता लाने के लिये तथ कठिन स्थलों पर शिक्षकों की सहायता के लिये समस्त सेवारत अध्यापको को कम से कम 10 दिवसीय प्रशिक्षण डायट/B.R.C. स्तर पर जायेगा। प्रशिक्षण वर्षवार सारणी E के अनुसार दिया जायेगा।

2. पैरा अध्यापकों का प्रशिक्षण :– पद विहीन विद्यालयों में पैरा अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी जिसके अर्न्तगत 230 पैरा अध्यापकों का सेवागम प्रशिक्षण 30 दिवसीय संपादित किया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात आगामी वर्षों में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (10 दिवसीय) डायत स्तर पर संवादित किया जायेगा।

3. समन्वयकों का प्रशिक्षण :– तीन ब्लाको पर 03 वरिष्ठ समन्वयक एवं 06 सहायक समन्वयकों, सी0 आर0 सी0 स्तर पर 48 समन्यवक नियुक्त किये जायेगें इनका (05 दिवसीय) प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के संचालन एवं उनकी कार्य क्षमताओं में वृद्वि करने की दृष्टि से डायट स्तर पर किया जायेगा।

4. एस0 डी0 आई0/ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण :–जनपद के एस0 डी0 आई0 तथा ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण 5 दिवसीय सर्व शिक्षा अभियान के तहत, सर्व शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन एवं उनकी कार्य क्षमताओं वृद्धि करने की दृष्टि से डायट स्तर पर किया जायेगा। इसका निर्देशन राज्य परियोजना कार्यालय करेगा।

5.सहायक/अवर अभियंताओं का प्रशिक्षण :–इनका प्रशिक्षण राज्य स्तर पर कियार जायेगा तथा इस सतर पर सर्व षिक्षा की जाकारी दी जायेगी तथा इन निमार्ण कार्यों राज्य सरकार के मानको को ध्यान में रखते हुये गुणवता का ध्यान रखा जायेगानिमार्ण संबंधी कार्यों की जाँच की पुष्टि इन्ही प्रशिक्षित अभियंताओं द्वारा दी जायेगी। इस हेतु विकास खण्ड स्तर पर अभियंताओं की संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।

6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण :– 05 डायट कर्मी, व 4 जिला समन्वयकों, 9 विकास खण्ड समन्वयकों का प्रशिक्षण संपादित किया जायेगी। यह प्रशिक्षण 10 दिवसीय होगा इस प्रशिक्षण की व्यवस्था डी0पी0ओ0 कार्यालय द्वारा दी जायेगी 1500 रू0 प्रति व्यक्ति की दर से रखा जायेगा। कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु चयनित विद्यालयों के एक एक अध्यापक का प्रशिक्षण भी किया जायेगा यह प्रशिक्षण 10 दिवसीय होगा इसमें आठ सदस्य होंगे।

7. डायट कर्मियों के लिए डी0टी0एस0 एवं डी0 ओ0 टी प्रशिक्षण :– इस प्रशिक्षण में 6 डायट कर्मियों एवं 4 जिला समन्वयकां को प्रशिक्षित करने का प्रविधान रखा जायेगा। यह प्रशिक्षण 5 दिवसीय होगा इसके लिए प्रति व्यक्ति व्यय 1600 रूपये रखा जायेगा। इस प्रशिक्षण से समन्वयकों तथा डायट कर्मियों द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण से गुणवत्ता बढ़ेगी तथा प्रशिक्षण कौशलों का विकास होगा।

8. एस0एम0सी0 वी0इ0सी0 का प्रशिक्षण :– एस0एम0सी0 तथा वी0इ0सी0 के सदस्य प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेगें।

9. बाल मेला :– जनपद पूर्णतः पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र हैं अधिकांश 90 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है जहां कि यातायात की सुविधा भी प्रयाप्त नही है। कई क्षेत्र जैसे रांसी, गोनार, नैणी, पोण्डार आदि जहां कि बच्चों व ग्रामीणों ने बस, जीप, नही देखी है। वर्तमान समय के विकास से जो अभी तक अछूते ही है। इन लोगों के बच्चों के लिये कंप्यूटर वीडियो गेम्स, ट्रैफिक जानकारी संबंधी ज्ञान मात्र कल्पना लोक की बातें हैं जहां कि शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए यह उसकी दैनिक क्रियाकलापों का

अभिन्न अंग बना हैं। जनपद की साक्षरता दर वर्ष 2001 की गणना के अनुसार 74.23 है जो कि राज्य की कुल साक्षरता 72.23 है यह कुल साक्षरता तुलना में अधिक है। यह साक्षरता दर केन्द्र व राज्य सरकार के विभिन्न साक्षराता कार्यक्रमों के माध्यम से बढी है इसी से प्रेरित होकर जनमानस ने शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है जिससे आज जनपद में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या भी कम है। जन सामान्य में जन्मे बच्चों को विद्यालय शिक्षा देने की जो भावना पैदा हुई है उनको बनाये रखने के लिये छात्रों को विद्यालय शिक्षा के अतिरिक्त भी जीवनोपयोगी शिक्षा दी जानी आवश्यक है। जनपद का संपूर्ण क्षेत्र पहाड़ी दुर्गम कठिन होने के कारण इस प्रकार की शिक्षा अभी तक उपलब्ध नही हो पायी है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए एस0एस0ए0 के अर्न्तगत छात्रों की शिक्षा में गुणवत्ता वृद्वि के लिये बाल मेला आयेजन का प्रबन्ध किया गया है। इस मेले का स्वरूप निम्नवत है। बाल–मेला पूरे जनपद में सी0आर0सी0 स्तर पर किया जायेगा। इसमें सी0आर0सी0 समन्वयक के संरक्षण में जनसहयेागिता तथा सी0आर0सी0 के अन्य अध्यापकों की सहायता से किया जायेगा। बाल मेला के अर्न्तगत प्रशिक्षण प्रतियोगिता आयोजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

10. प्रदशनी :– प्रदर्शनी के रूप में आधुनिक उपकरणों टेजीविजन, टेलीफोन रेल की पटरी, हवाई जहाज, कम्प्यूटर ट्रैफिक लाइट आदि के वास्ताविक या मॉडलों की प्रदर्शनी की जायेगी तथा ऐसी वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया जायेगा जो छात्रों को जानकारी में वृद्वि कर सकती है। प्रदर्शनी में सी0आर0सी0 के अर्न्तगत आने वाले सभी विद्यालयों के सभी छात्र प्रतिभाग करेगें।

11. प्रतियोगियतायें :– बाल मेला के अर्न्तगत विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जायेगा। सी0आर0सी0 स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करने से पूर्व विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी चयनित छात्र सी0आर0सी0 पर प्रतिभाग करेगें। प्रतियोगिता कार्यक्रम के अर्न्तगत निबन्ध चित्रकला, कविता, सुलेख प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जायेगा।

12. सांस्कृति कार्यक्रम :– सांस्कृति कार्यक्रम के अर्न्तगत सभी विद्यालयों के द्वारा कम से कम एक कार्यक्रम दिया जायेगा। जिससे बच्चों में अभिनय कला की भावना का विकास होगा। बच्चे अभिनय कला को भली भांति परिचित हैं तथा वे सांस्कृतिक दल द्वारा भी सांस्कृतिक ज्ञान परिचित हो सके इस हेतु एक सांस्कृतिक दल द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कराया जायेगा। यह सांस्कृतिक दल जनसहभागिता के सहयोग से कार्यक्रम प्रस्तुत करेगें।उपरोक्त आयोजन दो दिवसीय होगा प्रथम दिन प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। छात्र सुविधा को मध्य रखते हुये प्रदर्शनी कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहेगा ताकि छात्रों को आधुनिक उपकरणों को समझानें का अधिक अवसर प्रदान किया जायेगा। सी0आर0सी0 स्तर पर बाल मेला आयोजन करने हेतु सी0आर0सी0 समन्वयक की अध्यक्षता में एक बाल मेला कमेटी का गठन होगा जो बाल मेला आयोजित करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। बाल मेला समिति में सी0आर0सी0 के सभी विद्यालयों के प्र0अ0 सदस्यों होगें। सी0आर0सी समन्वयक द्वारा एक सक्रिय अध्यापक को सचिव मनोनीत किया जायेगा। यह बाल मेला अक्टूबर–नवम्बंर माह में आयोजित किया जायेगा बाल मेले में ऐसी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जायेगा जो अधिक महंगी न हो और मॉडल के रूप में हों इसके निर्माण हेतु

सी0आर0सी0 एवं डी0पी0ओ0 कार्यालय से समन्वय किया जायेगा। जिससे सी0आर0सी0 अन्य सी0आर0सी के द्वारा तैयार किये गये माडल/उपकरणों का उपयोग कर सके। बाल मेला सी0आर0सी0 स्तर पर इस कारण आयोजितकिया जा रहा है जिससे सभी छात्रों को सहभागिता करने में सुविधा होगी छात्र सुबह अपने घर से खाना खाकर आयेगें तथा स्वयं अपने घर से दिन का भोजन साथ लायेगें व रात्रि विश्राम हेतु अपने घर जा सकते हैं। बाल मेले के आयोजन हेतु व्यय प्रति सी0आर0सी0 25 हजार रूपये होगा। इस 25 हजार रूपये मे से 10 हजार रूपये प्रदर्शनी आयोजन हेतु उपकरणों की व्यवस्था, माडल निर्माण प्रदर्शनी कक्ष साज–सज्जा अथवा स्टाल निर्माण पर व्यय किया जायेगा शेष 10 हजार रूपये में से 2 हजार रूपये मात्र छात्रों के जल–पान पर व्यय 5 हजार रूपये से पुरस्कार वितरण तथा 3 हजार रूपये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु व्यय किये जायेगें। 5 हजार रूपये विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजकों पर व्यय किये जायेगें।

INNOVATION PROGRMME IN THE DISTRICT

1. कार्यक्रम का नाम– 'उठ बेटी' (UTHA BETI)

2. कार्यक्रम की आवश्यकता के तथ्य।

बालिकाओं की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान एक अवसर प्रदान करना है। इसी अवसर को सामने रखकर जिले की आवश्यकताओं के मध्यनजर यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

यह सर्व विदित है कि समाज में प्राचीन काल से लेकर अब तक बालिका/महिलाओं के प्रति भेदभाव का रवैया अपनाया गया है। यद्यपि कई कारण हो सकत हैं, किन्तु चिन्तनशील मस्तिष्क, बुद्धिजीवी आज इस नतीजे पर पहुंच चुके है कि, समाज का विकास तभी पूर्ण रूप से हो सकता है। जब बालिका/महिला की स्थिति में आवश्यक सुधार किये जायं। नालंदा, तक्षशिला जैसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में भी बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने से बंचित किया है। आज महिला विकास की दिशा में कार्य करने वाले सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाऐं इस नतीजे पर पहुंच चुकी है। कि समाज की परम्पराऐं एवं सोच भी बालिकाओं की उच्च शिक्षा ग्रहण करने से रोकती है। जन्म से लेकर मरण तक उनके साथ भेद–भाव किया जाता है। हर प्रकार के समाज में इस कार्यक्रम की आवश्यकता निम्न तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जाती है।

1. इतिहास का दृष्टावलोकन करने पर यह स्वीकार किया जाता है कि, बालिकाओं को उच्च शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने से बंचित किया जाता है।
2. एन.सी.ई.आर.टी. के महिला शिक्षा एवं विकास विभाग द्वारा दी जाने वाली 42 दिवसीय प्रशिक्षण के अनुभव के आधार पर, जिसमें यह पाया गया है कि भारतवर्ष के सम्पूर्ण राज्यों में पाठ्यक्रमों में बालिका को दूसरा निम्न दर्जा दिया गया है। इसकी प्रमाणिकता के लिए रिपोर्ट उक्त विभाग में मौजूद है।
3. डायट गौचर चमोली के पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा बालिका विकास के दृष्टिकोण से किये गये कक्षा–1 से कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम का शैक्षिक विश्लेषण का आधार रिपोर्ट उक्त डायट में मौजूद है।
4. दिनांक 4–5 जून 2000 को डायट गौचर चमोली में महिला शिक्षा एवं विकास तथा पर्यावरण सम्बन्धी कार्यशाला का आयोजन का आधार इसका कार्यक्रम सहित संक्षिप्त विवरण संलग्न में दिया गया है।
5. न0 4 की कार्यशाला की आयोजन पूर्व क्षेत्र विशेष ग्राम सारी, नगरासू, पनाई, बन्दरखंड आदि से भ्रमण करके अनुभव का आधार, ग्राम सारी की महिलाओं

द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु एक माहन तक [illegible]

6. माइक्रो प्लानिंग का आधार।

7. महिला सशक्तिकरण की दिशा में आयोजन होने वाली गोष्ठी, कार्यशाला आदि के तथ्यों के आधार।

8. विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाओं में बालिका शिक्षा हेतु दिये जाने वाले लेखों का आधार।

उक्त के अलावा भी कई ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर समाज के विकास की दिशा में इस कार्यक्रम को लिया गया है।

3. उद्देश्य— यद्यपि वर्तमान में ही इसके सारे उद्देश्यों को समेट पाना संभव नहीं है। कार्यक्रम की गति प्रति वर्ष इसके उद्देश्यों को सबके सम्मुख प्रकट करने में सफल सिद्ध होगी। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इस कार्यक्रम को गति देने वाले व्यक्तियों के क्या आदर्श हैं, चुनौतियां काफी हैं, किन्तु इस कार्यक्रम की रणनीति इस प्रकार से है कि वह इन चुनौतियों का सामना सफलता पूर्वक करना होगा। अत्यधिक व्याख्यात्मक रूप को न लेते हुए संक्षेप में इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न हैं।

1. विद्यालय में बालिका नामांकन, धारण में वृद्धि के प्रयास किये जायेगें। उन्हें शिक्षा की धारा में जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

2. समाज में बालिका की शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण हैं, उनको सकारात्मक बनाने उद्देश्य है। समाज को संवेष्टित करना है कि बेटी इस पृथ्वी के लिए एक अमूल्य निधि है, महिला ही संसार की रचनाकार है। इसलिए इसको सामाजिक कार्यो में निर्णय लेने का अवसर देना चाहिए।

3. कुछ विद्यालयों की छात्र/छात्राओं की संख्या का अनुपात यह बताता है कि विद्यालयों में छात्राओं की संख्या अधिक है। इसका कारण पाया गया है अधिकतर लोग बालकों को प्राइवेट विद्यालय में एवं बालिकाओं को राजकीय विद्यालयों में पढ़ाते हैं। इस सोच में भी परिवर्तन करना है और अच्छे वातावरण का निर्माण करना है।

4. प्रत्येक घर में लड़कियों के ऊपर घर के अन्दर के कार्यो का अत्यधिक बोझ रहता है। और पढ़ाई के लिए समय नहीं निकल पाता हैं। जबकि लड़कों को पर्याप्त समय उपलब्ध करवाने के बावजूद भी परीक्षा परिणाम के दिन लड़के का चेहरा रोता हुआ और लड़की का चेहरा हंसता हुआ रहता है। इसके प्रति महिलाओं को संबोधित करना है कि वे कार्यो को बराबर बांटे।

5. कार्यो में लिंग भेदी असमानता को दूर करना— समाज की परम्पराओं में कार्य को लिंगभेदी कर दिया हैं। अमुक–अमुक कार्य लड़की ही करेगी। लड़का

नहीं। सर्वेक्षण ये कहते हैं कि विद्यालय में भी शिक्षकों के द्वारा लड़कियों के प्रति भेदभाव जाने अनजाने रखा जाता है। अतः यह कार्यक्रम इस भेद को भी कम करने का प्रयास करेगा।

6. अधिकांशतः ग्रामों में शराब कहर व्याप्त रहता है। और इसमें उस गांव में शैक्षिक माहौल नहीं बन पाता है। अतः इस उद्देश्य के प्रति हेतु ग्राम की महिला द्वारा अभियान चलाया जायेगा।

6. संविधान में समानता का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद भी बालिकाओं/महिलाओं को दिये जाने वाले अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। आई.पी.सी. की कौन सी धारा उनकी सुरक्षा के लिए है। वे अनभिज्ञ हैं किन–किन परिस्थितियों में वे किन–किन का सहारा ले सकती है। इन सब बातों की जानकारी उन्हें नहीं है। उक्त कार्यक्रम के द्वारा जानकारी दी जायेगी।

7. सामाजिक क्षेत्र में होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय किये जायेगें। वर्तमान समय में भी कतिपय उदाहरणों से दहेज हत्या के मामले सुनाई देने लगे है। इससे पूर्व कि जनपद में दहेज की प्रथा अपनी चरमता छुये, इसके पूर्व ही उनको बल न देने के प्रयास किये जायेंगे। यद्यपि यह सर्वविदित है कि रुद्रप्रयाग जनपद में प्राचीन काल में दहेज जैसी प्रथा का प्रचलन तो क्या, नाम तक नहीं था। कतिपय उदाहरणों में बहुओं को जलाने, प्रताड़ित करने की वारदातें भी सामने आने लगी है। यह कार्यक्रम इन कुरीतियों की प्रश्रय न देने की दिशा में कार्य करेगा।

8. आर्थिक क्षेत्र– इस क्षेत्र में भी बालिकाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है। अर्थ तंत्र भाई, पिता के पास होने के कारण, बालिका का दर्जा समाज में दूसरा है। अतः इस दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जायेगा। यद्यपि कृषिगत कार्यों को करने में सम्पूर्ण रूप से महिला, बालिका का अपना परिश्रम होता है।

9. राजनीतिक क्षेत्र– संविधान द्वारा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। मगर इस क्षेत्र में उनकी क्षमताओं का विकास करने का प्राविधान इस कार्यक्रम के तहत किया जायेगा। यद्यपि इस कार्य में समय अधिक लग सकता है।

10. परम्पराओं का क्षेत्र– जनपद में महिलाएं भी अन्य आवश्यक कार्यों से अपने को मुक्त रखना चाहती है। अपने इस परम्पराऐं चाहे वेश–भूषा हो, चाहे किसी त्यौहार को मनाने का उत्सव हो, में बदलाव आने लगा है। प्रयास किया जायेगा कि क्षेत्रीय परम्पराओं का विकास एवं संवर्धन हो सके; ताकि समाज में एक प्रकार से सौहार्द का वातावरण बन सके।

11. अन्य अपेक्षित उद्देश्य– राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भी इस योजना के अन्तर्गत भी चलाया जा सकता है। जैसे भवन गणना, पशु गणना, पल्स पोलियो जैसे

अभियान का इस कार्यक्रम के संगठन द्वारा सफलता से किया जा सकता है। इससे हमारे अध्यापकों द्वारा किये जाने वाले अतिरिक्त कार्यों में कमी आयेगी। तथा वे अधिकतर समय को शैक्षिक गतिविधियों में लायेंगे। अच्छा हो इस कार्य के सम्पादन हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जाय। तथा समुदाय को ही समुदाय के लिए किये जाने वाले कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाये जाय। इन अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये गये निर्णय पर निर्भर करेगी।

विशेष नोट– संविधान द्वारा प्रदत्त नारी सुरक्षा के अधिकारों की जानकारी बालिकाओं को नहीं होती है। इसलिए इन अधिकारों को इस योजना के द्वारा जन–जन तक पहुंचाना और योजना का लाभ सभी महिला/बालिकाओं को पहुंचे, का प्रयास करना है। क्षेत्रों में कृषि आधारित उत्पादन, शिल्प, क्राफ्ट को प्रोत्साहन देना बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक प्रभावी प्रयास है।

ग्राम स्तर पर सामाजिक परिवेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रयास किया जायेगा। इस हेतु वहां उत्पन्न होने वाले खाद्यानों में वृद्धि के उपाय ढूंढे जायेगें तथा क्षेत्रीय उत्पादों की उत्पादन की महत्व देने की ओर प्रयास किया जायेगा। क्षेत्रीय शिल्प, कला, संस्कृति के भी सर्वधन हेतु प्रयास किया जायेगा। पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम भी "मैती" आंदोलन के सदस्यों के प्रतिभाग करने से स्वतः ही चलने लगेगा।

उठ बेटी कार्यक्रम का स्वरूप एवं रणनीतिः–

विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में महिलाओं की जनसंख्या पुरूष जनसंख्या की तुलना में अधिक है। यहां पर 6–11 वय वर्ग एवं 11–14 वय वर्ग की बालिकाओं की भी संख्या अधिक है।

कुल जनसंख्या – 111532, महिला - 58889 और पुरूष – 52643

6–11 वय वर्ग		11–14 वय वर्ग		योग
पु0	म0	पु0	म0	
7060	6592	3537	3533	111532

इस प्रकार उपर्युक्त आंकड़ा यह दर्शाता है कि ब्लॉक अगस्त्यमुनि में बालिकाओं की संख्या काफी अधिक है। जिनमें S.C.S.T.जाति वर्ग की बालिकाएं भी सम्मिलित हैं। अतः बालिकाओं के शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए प्रस्तुत कार्यक्रम एक सफल निदानात्मक उपाय है जिसके द्वारा बालिकाओं, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अवश्य ही परिवर्तन आयेगा। सामाजिक पर्यावरण परिवेश एक प्रकार से शैक्षणिक परिवेश का अपने आप ही रूप लेता रहेगा।

हस प्रोजेक्ट का स्वरूप निम्नवत् है–

1. **ब्लॉक स्तर :–** ब्लॉक स्तर पर 7 सदस्यीय एक ग्रुप बनाया जायेगा, जिसे प्रेरणा ग्रुप नाम दिया गया है। इसके सदस्य निम्नवत् है–
   1. एक सदस्य जिला समन्वयक।
   2. एक सदस्य मैती कोआर्डिनेटर/(गैर सरकारी)।
   3. तीन सदस्य सक्रिय समाज सेविका (गैर सरकारी)।
   4. एक सदस्य ब्लॉक समन्वयक।
   5. एक सदस्य जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम पंचायत क्षेत्र से शिक्षण शिविर संचालिका।

इस प्रकार यह प्रेरणा ग्रुप 7 सदस्यीय होगा। जिनमें पांच सदस्यों (गैर सरकारी) को रूपये प्रति 1000 की दर से मानदेय देने की व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर तक संचालित सारे बालिका शिक्षण शिविरों की देख–रेख इसी समिति के द्वारा होगा।

संकुल स्तर पर:– 04 सदस्यों को मिलाकर एक ममता ग्रुप बनाया जाऐगा। जिनके सदस्य निम्नवत होगें।

1. एक सदस्य संकुल समन्वयक।
2. तीन सदस्य शिक्षण शिविर संचालिका।

ये ममता ग्रुप प्रत्येक संकुल पर बनाये जायेंगे, और शिक्षण शिविर में आने वाली किसी भी प्रकार की परेशानियों, कमियों को संकुल कोआर्डिनेटर, ब्लाक कोआर्डिनेटर, तत् पश्चात जिला कोआर्डिनेटर के सम्मुख रख सकेंगे। ताकि यथाशीघ्र शिविरों में आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकें, और ये शिविर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।

क्योंकि ये सामुदायिक ग्रुप है अतः इसे इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जायेगा। संकुल समन्वयक का दायित्व/कर्तव्य होगा कि इनकी मासिक बैठक अवश्य हो, जो कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से आयोजित हो।

सदस्यों की चयन की प्रक्रिया:–

1. बालिका शिक्षण शिविर संचालिका :– पुर्व वर्णित आवश्यकताओं के कारण जनपद रूद्रप्रयाग के ब्लाक अगस्त्यमुनि के सभी ग्राम पंचायतों (155) में ये शिक्षण शिविर चलाये जायेंगे। इनकी नियुक्ति ग्राम के ग्राम प्रधान एवं उस ग्राम के निकटतम विद्यालय (रा0 परिज0) के विद्यालय अध्यक्ष प्र0 अ0 /प्रधानाचार्य के द्वारा की जायेगी। कम से कम योग्यता 12वीं पास, विज्ञान वर्ग को प्रमुखता दी जायेगी। शिविर संचालिका बालिका, महिला दोनों हो सकती हैं।
2. ममता ग्रुप के सदस्य :– ये सदस्य संकुल पर होंगे। संकुल के अर्न्तगत आने वाली सबसे तीन योग्यतम, प्रभावशाली सक्रिय संचालिकाओं को चुना जायेगा। यह चुनाव संकुल को आर्डिनेटरों द्वारा किया जायेगा। इसमें यह भी ध्यान रखा जायेगा कि ये तीनों सदस्यों का निवास स्थान इस प्रकार से हो कि ये सम्पूर्ण संकुल को आसानी से आच्छादित कर सकें। इस बात का सभी कोआर्डिनेटर विशेष ध्यान रखेंगे।
3. ब्लाक स्तर प्रेरणा ग्रुप:– 07 सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया निम्न है–
    1. मैती काआर्डिनेटर सीधे ही इस ग्रुप का सदस्य होगा।
    2. दूसरा सदस्य जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्रम पंचायत क्षेत्र से शिक्षण शिविर संचालिका का सीधे इसकी सदस्य होंगी।
    3. बाकी तीन गैर सरकारी सदस्य सक्रिय समाज सेविकायें होंगी। जिन्हे जिला शिक्षा समिति द्वारा अनुबंधित किया जायेगा। ये सभी पांच सदस्य सामुदायिक सहभागिता के दृष्टि कोण से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

प्रमुख कार्यक्रम एवं गतिविधि :–

अ. **शैक्षणिक गतिविधि** :– प्रत्येक शिविर संचालिका विद्यालय में छुट्टी होने के एक घण्टे बाद सभी बालिकाओं को ग्राम के एक सुविधाजनक स्थान में बुलाऐंगी और उनके कक्षाकार्यो के बारे में जानकारी लेंगी, तत्पश्चात प्रत्येक छात्रा से गृहकार्य पूरा करवाऐंगी, और उनके शिक्षण में होने वाली किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करेंगी। उनके ज्ञान में वृद्धि करेंगी। उन्हें बाहरी ज्ञान से भी परिचित करवाएंगी क्योंकि इसके लिए प्रत्येक शिविर में एक बाल–पत्रिका एवं एक अखबार उपलब्ध करवाया जायेगा।

शिविर संचालिकाओं के मुल्यांकन के लिए एक रजिस्टर उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसमें प्रत्येक छात्रावार निम्न तथ्य सप्ताहिक विवरण के रूप में लिखि जाएंगे।

सप्ताहिक

नाम छात्रा	माता का नाम	शिविर में किये गये कार्यो का विवरण				हस्ताक्षर	
		भाषा	गणित	विज्ञान	अन्य	अभिभावक	संचालिका

यह सूचना सप्ताहिक प्राप्त की जायेगी।

प्रत्येक 2 महीने में एक टेस्ट लिया जाऐगा जो कि किसी भी छुट्टी के दिन लिया जाएगा। यह टेस्ट ग्राम प्रधान की उपस्थिति में लिया जाएगा। ताकि विद्यालयी एवं शिविर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी को स्वयं रख सकें कि उनके बच्चे कक्षा में एवं कक्षा से बाहर क्या कर रहे हैं। इन टेस्टों को सम्पादित करने की सहायता अध्यापक से भी ली जा सकती है। यह एक ही होगा जिसमें सभी विषयों के प्रश्नों को सम्मिलित किया जायेगा।

इस प्रकार से क्रिया कलाप से स्कूल के अन्दर की गतिविधि का विवरण भी समुदाय को मिलता रहेगा और वो इस प्रक्रिया में स्वतः ही एक मुख्य अंग बन जायेंगे।

इन सब कार्यो का विवरण ब्लाक स्तर पर गठित प्रेरणा ग्रुप के सदस्यों के पास होगा, उनके पास एक रजिस्टर होगा तथा प्रत्येक शिविर का नाम उसमे लिखा होगा।

(ब). जेण्डर सेमीटाइजशनः– पूर्व वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए V.E.C. पर M.T.A./ P.T.A. शिक्षण शिविर संचालिकाओं की जनशाला का आयोजन करके लिंगभेद प्रकरण को दूर किया जायेगा, और समाज में बालिकाओं के समानता स्तर प्राप्ति के लिए प्रयास किये जायेंगे, यह कार्य संकुल कोआर्डिनेटर द्वारा आयोजित होगा। यह कार्य Community Mobilization करके किया जाऐगा।

B.R.C. पर एक जनशाला का आयोजन किया जाऐगा, जिसमें B.R.C. एवं C.R.C. पर गठित प्रेरणा एवं ममता ग्रुप के सदस्यों की भागीदारी होगी। कम से कम जिनमें 100 सदस्य होंगे। यह जनशाला दो दिवसीय होगी। प्रतिवर्ष एक बार आयोजित की जायेगी, जिसमें निम्न क्षेत्रों से तकनीकी विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जायेगा –

1. कृषि अंग से।
2. समाज कल्याण विभाग।
3. उद्योग विभाग।
4. स्वास्थ्य विभाग से।
5. पर्यावरण/वन विभाग से।
6. महिला पुलिस विभाग से।

इनकी आमन्त्रण की व्यवस्था जिला कोआर्डिनेटर (D.P.O.) करेगा।

(स). पर्यावरणीय ज्ञानः– जिस पर्यावरण में प्रत्येक जीव अपना जीवन यापन कर रहा है। उसे बचाने का कार्य करना हर व्यक्ति का दायित्व बन जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए प्रेरणा ग्रुप एवं ममता ग्रुप में मैती के सदस्यों की भागीदारी को अनिवार्य कर लिया है।

(द). समाज कल्याण :– समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को भी इन प्रेरणा एवं ममता ग्रुप के द्वारा चलाया जाऐगा। समाज कल्याण से सम्बधित कौन–कौन सी योजनाऐं हैं। उन योजनाओं का ज्ञान प्रत्येक ग्रामीण को उपलब्ध करवाया जायेगा।

CHART FOR STRUCTURAL SET UP

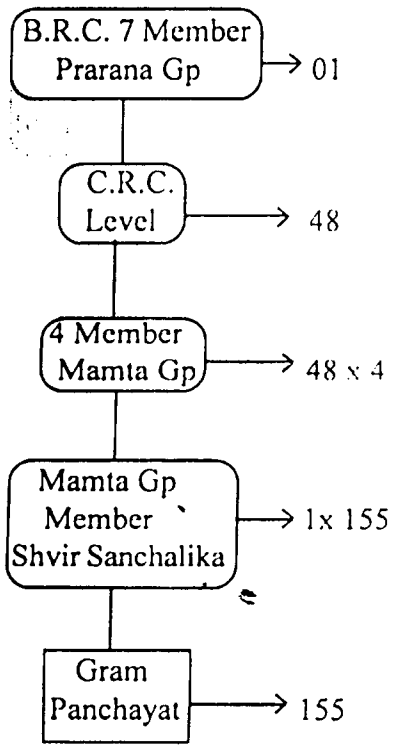

FLOW CHART

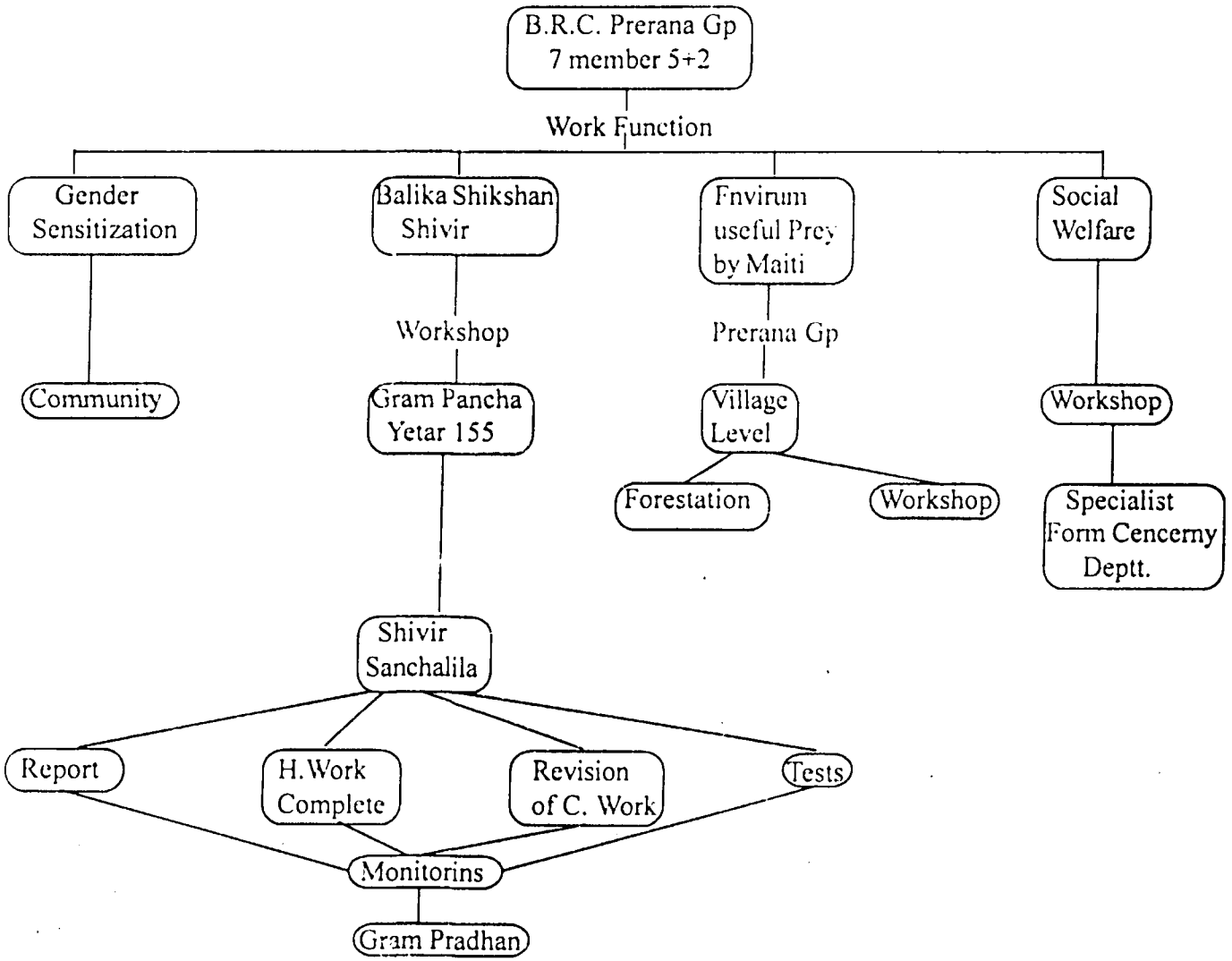

अन्य कार्यक्रमः– बजटिंग के अनुसार अन्य कार्यक्रमों का संचालन भी विधिवत किया जायेगा। जैसे वार्षिक परीक्षा का मुद्रण प्रेरणा ग्रुप द्वारा किया जायेगा। जिसमें कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण के अलावा प्रमुख महिलाओं के विचारों, क्षेत्र की प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी।

ममता ग्रुप के सदस्यों को बैठकों में भागीदारी के लिए सम्पूर्ण रूप से T.A./D.A. दिया जायेगा उनके लिए यह व्यय किसी भी मद से ज्ञात किया जा सकता है।

प्रत्येक शिविर में एक बाल पत्रिका, अखबार एवं प्रत्येक छात्रा के लिए एक रिपोर्ट बुक रखी जायेगी।

रिपोर्ट बुक में निम्न सूचनाएं उपलब्ध होगें –

नाम छात्रा कक्षा 2–5 तक की	सप्ताहिक विद्यालयी क्रिया कलाप (पाठों के नाम)			ह0 निर्देश अभि0	सप्ताहिक शिविर क्रिया कलाप (गृह कार्य)			ह0 प्र0 अ0	निर्देश अभिभावक	ह0 अभिभावक
	भाषा	गणित	विज्ञान		भाषा	गणित	विज्ञान			

नोटः– विद्यालयी क्रियाकलाप को विद्यालय की अध्यापिकाओं (तत्संबंधी) द्वारा भरा जायेगा। तथा शिविर कार्यकलापों को संचालिकाओं द्वारा भरा जायेगा।

BUDGATION

		Phy	Fin			Phy	Fin
Hiring of Room	1 x 12	1	12	Contirgency	84	1	8
Furnishing (Chairs and table)	5	1	5	Renunuration for Community person	1x5x12	1	60
TA/DA for other Govt.	Every 500/month	12	6	Meeting of villages at V.E.C	5 per VEC	(155)	46.5
Workshop (VEC. Commettee)	0.07	620+5	43.75	Publication of Magzine	15	1	15
Arit & Craft Exhibition at SRC level	20	1	20	Child Magzine	(0.020+0.110)x2	155	241.8
Training of Shivir Sanchalika B.R.C. level	0.03x2	155	9.3	Renumuration of Shivir Snchalika	0.40x12	(155)	744
Monitaring work	10	1	10	Supply of Suplementry Materail	30	1	30
Report book for child	0.20	10470	209.4	Prizes for best Shivir at V.E.C. level	15	1	15
Others	15	1	15				
Total			**130.45**				**460.30**
G. Total							**590.75**

2. कम्प्यूटर शिक्षा :– शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विकासों की देखकर वर्तमान परिस्थितियों में सूचना क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों को देखते हूए कम्प्यूटर शिक्षा एक आवश्यकता बन चुकी है। आज हम जिस ओर भी नजर डालते हैं तो हर क्षेत्र मे सारे कार्य कम्प्यूटर द्वारा सम्पन्न किये जा रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र, सूचना प्रसारण क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र में यदि कम्प्यूटर की सुविधा न हो तो कार्यो की सफल संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

कम्प्यूटर शिक्षा आज की परिस्थितियों में एक अनिवार्य विषय का रूप ले रही है। जिस प्रकार से परम्परागत विषय भाषा, गणित, विज्ञान, आदि विषयों ने पहले से ही अनिवार्य विषय का रूप ले लिया है।

इस क्षेत्र में बालिकाओं का ज्ञान अल्प होने के कारण उन्हें कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के प्रसास किये गये हैं। इसके तहत जनपद के कुल 28 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन निम्नलिखित आधार पर किया गया है –

1. ऐसे विद्यालय जहां केवल बालिकाएं ही शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।
2. ऐसे विद्यालय जहां सहज शिक्षा की व्यवस्था है तथा बालिकाओं की संख्या अधिक है।
3. ऐसे विद्यालय जहां विद्युत सुविधा उपलब्ध है। एवं ठीक तरीके से उपकरणों की देख भाल हो सकती है। उन विद्यालयों को भी इनमें शामिल किया गया है जिनमे विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करवाया जा सकता है।
4. जनपद के तीनों विकास खण्डों में विद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है।
5. ऐसे तीन विद्यालयों का भी चयन किया गया है जो कि B.R.C. के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित हैं यह इसलिए किया गया है कि B.R.C. स्तर पर कम्प्यूटर संबंधी कार्यो/प्रशिक्षण का भी संपादन करने में सुविधा है।

विकास खण्ड का नाम	उ0 प्राथमिक विद्यालय	विद्यालयों के नाम
अगस्त्यमुनि	12	रतूडा केन्द्र के सभी विद्यालय
ऊखीमठ	5	ऊखीमठ, गुप्तकाशी, पाली फाफंज, तुजंगा, रामपुर
जखोली	8	

कम्प्यूटर शिक्षा हेतु विद्यालयों के नाम निम्न प्रकार है :–

अगस्त्यमुनि

क्र. सं0	विद्यालयों के नाम	छात्र संख्या	क्र. सं0	विद्यालयों के नाम	छात्र संख्या
1	रतूड़ा (कन्या)		9	नगरसू (सहज शिक्षा)	
2	सतेराखाल (कन्या)		10	खुरड़ (कन्या)	
3	मयकोटी (कन्या)		11	पठालीधार (सह शिक्षा)	
4	दुर्गाधार (कन्या)		12	क्यूंजा (सह शिक्षा)	
5	काण्डई दशजूला (कन्या)		13	स्यूणी (कन्या)	
6	फलई (कन्या)		14	डूंगरा (कन्या)	
7	क्यार्क वरसूड़ी (कन्या)		15	गंधारी (कन्या)	
8	वच्छणस्यूं काण्डई (कन्या)				

ऊखीमठ

क्र. सं0	विद्यालयों के नाम	छात्र संख्या
1	ऊखीमठ	
2	गुप्तकाशी	
3	पाली फाफंज	
4	तुंगनाथ	
5	रामपुर	

जखोली

क्र. सं0	विद्यालयों के नाम	छात्र संख्या
1	रायडी	
2	तुणेटा	
3	रोठिया	

वर्ष 2002–03 में ब्लॉक मुख्यालयों के निकटस्थ 3 विद्यालय तथा एक जिला मुख्यालय के निकटस्थ विद्यालय का चयन किया गया है। यह इसलिए किया गया है कि इन विद्यालयों को आदर्श स्वरूप प्रदान करते हुए उनकी सहायता से क्षेत्रों के अन्य चयनित विद्यालयों में भी कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करने में सुविधा हेगी। वर्ष 2002–03 में इनमें कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने का व्यय 446 हजार रूपये है। इनका क्रय एवं स्थापना संबंधी कार्य जिला परियोजना कार्यालय द्वारा, राज्य परियोजना कार्यालय को निर्देशानुसार राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जायेगा।

वर्ष 2003–04 में 13 विद्यालयों का चयन किया गया है। इस वर्ष कम्प्यूटर शिक्षा की स्थापना एवं संचालन के लिए 1489.5 हजार रूपये व्यय होगें।

वर्ष 2004–05 में 11 विद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इस शिक्षा पर कुल व्यय 1396.5 हलार रूपये होंगे।

वर्ष 2005–06 व 2006–07 में कम्प्यूटर शिक्षा को जारी रखने के लिए 280 हजार रूपये के का प्रतिवर्ष की दर से व्यय होगा। क्योंकि नवाचार शिक्षा में नवाचारी कार्यक्रमों को संचालित करने को लिए प्रति योजना के लिए 1500 हजार रूपये का व्यय का निर्धारण किया गया। अतः शेष राशि के द्वारा जनपद के ऐसे शिक्षा उपलब्ध करवायी जायेगीं। ऐसे विद्यालय जहां राज्य सरकार द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध न करवायी गयी है। विद्यालयों का चिह्नहांकन जिला परियोजना समिति, द्वारा बलॉक परियोजना समिति के प्रस्तावों के आधार पर किया जायेगा।

वर्ष 2005–06 में दस तथा वर्ष 2006–07 में दस विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवायी जायेगी। इस प्रकार वर्ष 2005–06 में 1395 हजार रूपये व वर्ष 2006–07 में 1495 हजार रूपये व्यय होगें। तत्पश्चात् यह शिक्षा सतत् रूप चलती रहेगी।

***

3 नवाचार कार्यक्रम

E.C.C.E. केन्द्रों का संचालन

विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव में वृद्धि के लिए जनपद में E.C.C.E. केन्द्रों का संचालन सफल तरीके से करने का प्रावधान किया गया है। यह सर्व विदित है कि घर, परिवार में बड़ा भाई/बहिन को अपने छोटे भाई /बहिन की देख रेख करनी पड़ती है। जिस कारण वे विद्यालय नहीं आते हैं। और यदि नामांकन होता भी है तो विद्यालय में उनका ठहराव नाम मात्र ही हो पाता है।

अतः ये छात्र/छात्राएं शिक्षा से वंचित न रहें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए के I.C.D.S. तद्त 96 केन्द्रों की स्थापना की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा इन केन्द्रों का सुदृढ़िकरण किया जायेगा एवं संचालन सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए उपकरणों आदि की व्यवस्था की जायेगी तथा इन केन्द्रों का संचालन संबंधी पर्यवेक्षण का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति को दिया गया है। और छात्र समिति की निगरानी में ये केन्द्र सफलता से संचालित होगें।

विकास खण्ड	I.C.D. के द्वारा स्थापित केन्द्र	
	संचालित	प्रस्तावित
जखोली	75	
अगस्त्यमुनि	21	
ऊखीमठ	–	
योग	96	

S.S.A. द्वारा इन केन्द्रों को प्रति केन्द्र 5000 रूपये तथा अनुदेशिका की 250 रूपये प्रतिमाह मानदेय तथा सेविका के लिए 125 रूपये प्रतिमाह की दर से मान देय दिया जायेगा। सभी प्रकार इन केन्द्रों के आकस्मिक व्यय हेतु प्रति केन्द्र 1500 रूपये प्रति वर्ष तथा अनुदेशिकाओं को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण हेतु 1200 रूपये प्रति सेविका प्रशिक्षण व्यय का प्रावधान किया गया है।

Action Reseach (गुणवत्ता)

विषय :– गणित विषय के प्रति अरूचि का वातावरण क्यों?

विषय चयन की पृष्ठ भूमि :– सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि छात्र/दात्राओं का गणित के प्रति एक डर का भाव पैदा रहता है। वे गणित को एक बहुत कठिन विषय मानते हैं। इस धारणा के पनपते उनके मानसिक एवं व्यक्तित्व का विकास होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जीवन के हर क्षेत्र में हमारे छात्र प्रायः विछड़ जाते है, क्योंकि गणित सभी क्षेत्रों में एवं सभी विषयों की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है।

अतः इसकी नितांत आवश्यकता समझी जा रही है कि प्रायः छात्र गणित विषय में अनिच्छा क्यों रखते है।

विषय के लाभ :– रिसर्च के माध्यम से निष्कर्ष सामने आने पर इसमें जो भी कठिनाई होगी उनको दूर किया जा सकता है। ताकि छात्र गणित में कमजोर न रहें।

रणजीति :– छात्रों, अभिभावकों, शिक्षक/शिखिकाओं के लिए सर्वे प्रपत्र तैयार किये जायेगें। रेण्डम सैम्पलिंग के आधार पर सर्वे हेतु 50 विद्यालय चुने जायेगें। इन्हीं विद्यालयों के अध्यापकों, छात्रों एवं अभिभावकों से इन प्रपत्रों को भरवाया जायेगा।

द्वितीय चरण में इन्हीं विद्यालयों के शिक्षकों, अभिभावकों की एक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। और निष्कर्ष प्राप्त किये जायेगें। सर्वे द्वारा पाप्त निष्कर्ष भी विचार हेतु इस कार्यशाला में रखे जायेगें।

इनका व्यय वितरण निम्नप्रकार से होगा:–

	अनुमानित व्यय रू. में
सर्वे प्रपत्र पुद्रण	5000
सर्वेक्षण	10000
कार्यशाला	5000
कन्टिनजेन्सी	2000
अन्य व्यय	2000
योग	24000

दूसरा विषयः– अंगेजी विषय में छात्र बहुत कमजोर हैं। और जिन्हें इस विषय का ज्ञान है वे अच्छी प्रकार या सही ढंग से अंग्रेजी का प्रोनाउसिएशन नहीं कर पाते हैं। इस विषय में छात्रों के ज्ञान में कैसे वृद्धि की जा सकती है, के विषय पर शोध कार्य किया जायेगा। इस विषय पर भी अनुमानित व्यय ऊपर की भाँति ही रू. 25000 आयेगा।

तीसरा विषय :– कक्षा 2 से लेकर 5 तक की छात्र गणित की किन स्थलों पर कठिनाई, परेशानी महसूस करते है। इनकी पहिचान करना, कौनसे ऐसे प्रसंग अभयास हैं जहां छात्र दिक्कत महसूस करते है। कक्षावार उन पाठों की पहिचान करना एवं इन पाठों को सरलीकरण हेतु उपायों को ढूंढना यह प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में एवं द्वितीय वर्ष राज्य स्तर के पाठ्यक्रम में किया जायेगा। इसमें भी अनुमानित व्यय रू. 25000 आयेगा। प्रथम वर्ष सर्वे करने के उपरान्त प्राथमिक स्तर पर इन कठिन अध्यायों के लिए शिक्षण सामग्री निर्माण का कार्य भी किया जायेगा। जो कि पर्यावरणीय परिवेश की वस्तुओं पर ही आधारित होगा। इस प्रकार प्रथम वर्ष डायट के अन्तर्गत संचालित होने वाले 20 लैब एरिया विद्यालयों के लिया जायेगा। और इनमें ही ये शिक्षण सामग्री वितरित की जायेगी। इसमें अनुमानित व्यय रू. 26000 आयेगा।

चौथा विषय :– शिक्षक के Attitude पर :– यह सर्वमान्य तथ्य है, कि शिक्षण में गुणवत्ता नहीं है। वैसे भी परिषदीय विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा में , जबकि वहाँ पर योग्यत्तम शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसके पीछे क्या कारण है। यदि शिक्षक है भी तो वे उदासीन हैं। इसके लिए भी सर्वे प्रपत्र तैयार किया जायेगा, और निष्कर्ष निकाला जायेगा।

नोटः– एक्सन रिसर्च का कार्य डायट रतर पर किया जायेगा, और यदि जनपद का कोई शिक्षक किसी विषय पर शोध करना चाहता हो तो वह अपने आवेदन कर प्राचार्य डायट के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उनकी स्वीकृति के बाद ही एक्सन रिसर्च का कार्य किया जायेगा। इसमें भी अनुमानित व्यय 2500रू0 आयेगा।

आवश्यकताऐं एवं रणनीतिः– जनपद रूद्रप्रयाग वर्ष 1997 में नया जनपद के रूप में स्थापित हुआ। इसका गठन टिहरी, पौड़ी एवं चमोली जनपदों के भू–भागों से किया गया है। जनपद रूद्रप्रयाग मै तीन विकास खण्ड हैं, जिसमें जखोली टिहरी जनपद का जखोली क्षेत्र का तीन चौथाई भू--भाग व कीर्तनगर क्षेत्र का एक चौथाई भू–भाग को सम्मिलित कर एक विकास खंड बनाया गया। जिसका नाम जखोली है। क्षेत्र ऊखीमठ पैत्रिक जनपद चमोली का एक विकास खण्ड था, जिसे पूण रूप से जनपद रूद्रप्रयाग में सम्मिलित किया गया। क्षेत्र अगास्त्यमुनि पैत्रिक जनपद चमोली तथा पौड़ी के भू–भागों को सम्मिलित कर के बनाया गया है। विकास खण्ड अगस्त्यमुनि जनपद चमोली का सबसे बड़ा विकास खण्ड था, जिसे कि सम्पूर्ण रूप से जनपद रूद्रप्रयाग में सम्मिलित किया गया। इसी विकास खण्ड में जनपद चमोली के ही विकास खण्ड पोखरी की दो न्याय पंचायतें कांडई (दशजूला) एवं चोपड़ा तथा विकास खण्ड कर्णप्रयाग (चमोली) की एक न्याय पंचायत नगरासू को सम्मिलित किया गया। इसी विकास क्षेत्र में जनपद पौड़ी के क्षेत्र खिर्सू की दो न्याय पंचायतें बरसूड़ी व कांडई (बचणस्यूँ) को शामिल किया गया। इस प्रकार क्षेत्र अगस्त्यमुनि में कुल 5 अतिरिक्त न्याय पंचायतें सम्मिलित की गयी हैं, जबकि 8 न्याय पंचायतें इसमें पहले से ही शामिल थी।

इस प्रकार विकास खंड अगस्तमुनि जनपद रूद्रप्रयाग का सबसे बडा विकास खंड है। जो कि जनपद रूद्रप्रयाग का लगभग आधा भाग है, जहाँ कि जनपद की 48.49 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जनपद में कुल 482 प्रा0 विद्यालयों में से 240 प्राथमिक विद्यालय तथा 98 उ0 प्राथमिक विद्यालयों में से 48 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्षेत्र अगस्तमुनी में हैं। यही स्थिति माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर भी है। अंग अगस्तमुनी की विशालता को देखते हुये राजस्व एवं विकास विभाग ने इस क्षेत्र को तीन विकास खंडों में बॉटने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को दिया है। यह प्रस्ताव शासन स्तर कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।

अतः इस क्षेत्र की विशालता एवं बड़े प्रशासनिक ढाँचे को दृष्टिगत करते हुये सर्व शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत 23 संकुल संसाधन के केन्द्रों (C.R.C.) की गठन किया गया है। पूर्व में भी यहाँ पर 23 उप केन्द्र संचालित थे। इसी आधार पर 23 C.R.C. की स्थापना अनिवार्य है।

क्षेत्र अगस्तमुनी का अन्य विकास खंडो से तुलनात्मक अध्ययन

विकास खंड	ग्राम पंचायत	नगर पंचायत	राजस्व ग्राम	न्याय पंचायत	जनसंख्या वर्ष 2001	विद्यालय संख्या	
						प्रा0	उ0 प्रा0
जखोली	100	–	168	9	73502	141	35
ऊखीमठ	63	1	145	5	43914	101	15
अगस्तमुनी	155	1	367	13	110046	240	48

गुणवत्ता संवर्धन हेतु जनपद में ही पी0 ओ0, बी0 आर0 सी0 एवं सी0 आर0 सी0 का गठन एवं संचालन किया जाएगा। जो कि जनपद के सभी विद्यालयों की शिक्षर्ण प्रक्रिया में संवद्धन हेतु कार्य करेंगे। जनपद मे M.T.S. का गठन किया जायेगा, जो कि विद्यालय संबधी संपूर्ण सूचनाओं का कम्प्यूटर में लेखा–जोखा रखेंगे, तथा सभी स्तर के आँकड़ों को भी संकलित करेंगे और आगामी वर्षो में इन आँकड़ों का विश्लेषण करके उचित सुझावों को प्रेषित करेंगे।

पहुँच (आवश्यकता एवं रणनीति)

विकलांग छात्रों की शिक्षण व्यवस्था :– जनपद रुद्रप्रयाग में विकलांग बच्चों की कुल संख्या 293 है। जिनमें कुछ बच्चे मूक, बधिर, अंधे, शारिरिक क्षमता वाले हैं।

विकास खंडवार विकलांग बच्चों की संख्या निम्न प्रकार से है–

विकास खंड का नाम	संख्या
ऊखीमठ	38
जखोली	104
अगस्तमुनी	161
योग	303

वर्तमान समय में ब्लॉक ऊखीमठ का विकलांग बच्चों का विवरण निम्न प्रकार दिया जा रहा है।

विकलांगता के आधार पर बच्चों की संख्या का विवरण

ब्लॉक का नाम	शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों की संख्या					योग
	शारीरिक विकलांग	दृष्टि	मूक बधिर	दृष्टिहीन	मानसिक अक्षमता	
ऊखीमठ	22	2	5	6	3	38
अगस्त्यमुनि	95	21	25	5	15	161
जखोली	73	18	5	4	4	104

20 में शारीरिक विकलांगों में से 15 बच्चे हाथ से विकलांग हैं। 4 बच्चे पैर से विकलांग है। शारीरिक विकलांग के इन बच्चों को डाक्टर से परीक्षणोपरान्त आवश्यक उपकरण दिये जायेगें।

राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशन पर जनपद के विकलांग बच्चों के उपचार के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित संस्थानों के सहयोग से बच्चों की विकलांगता के अनुसार, तत्सम्बन्धी उपकरणों को उपलब्ध करवाया जायेगा। तथा आवश्यकता पड़ने पर इनके विशेष प्रकार शिक्षण एवं चिकित्सा की व्यवस्था सम्बन्धित संस्थानों के माध्यम से की जायेगी।

अध्याय – 7

परियोजना का प्रबन्धन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की योजना वर्तमान व्यवस्था की समपूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2002 – 2010 तक होगी। इस अवधि में 6 – 14 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी । इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवम् प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है। प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा। इसमे व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगे। प्रबन्धन लोकतान्त्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय समय पर समीक्षा और रणनितियों के परिर्वतन के लिये इसे तत्पर रहना होगा। इसमे सबसे निचले स्तर पर जवाब देही सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा । अध्यापको एवम् छात्रों की उपस्थित सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रबन्ध तंत्र –

प्रबन्ध तंत्र संवेदनशील एवम् लचीला प्रणाली के अर्न्तगत सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित किया जाना है। प्रारभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में लचीलापन लाने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित किया गया है तथा वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारपरक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक प्रबन्धक तन्त्र तैयार किया गया है जो निम्नवत है।

निर्णय कर्त्ता	प्रबन्धक तन्त्र	अकादमिक संस्थाएं
साधारण सभा और कार्य कारणी	राज्य परियोजन कार्यालय	एन.सी.ई.आर.टी.एवम् सीमेट
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट एन.जी.ओ.
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापिका	सी.आर.सी.
संगठनात्मक ढॉचा – नीति निर्धारण		

ग्राम शिक्षा समिति :–

ग्राम्य स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो के सम्पादन के लिये बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है।

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

1. ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष होगा ।
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहॉ एक से अधिक स्कूल हो तो उनके मुख्य अध्यापको मे से ज्येष्ठतम् सदस्य सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा ।
3. बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन अभिभावक (जिसमें एक अभिभावक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दष्ट किये जायेगे।

अधिकार एवम् दायित्व : –

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी :–

1. पंचायत क्षेत्र के स्कूलों का प्रशासन नियन्त्रण एवम् प्रबन्धन करना ।
2. बेसिक स्कूलो के प्रचार, प्रसार और सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।
3. बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना ।
4. ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिऐ आवश्यक समझे जायें।
5. पंचायत के सीमाओं के अंदर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारियों पर ऐसी रीति से जैसे नीहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।
6. बेसिक शिक्षा से संम्बन्धित ऐसे अन्य कार्यो को करना जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उन्हे सौंपा जायें ।

कार्यक्रमों में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिए पी.टी.ए. महिला अभिप्रेरण समूह भी स्थापित किये जाऐगें इन कार्यो के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण

(Convergence) इसी समिति का कार्य एवम दायित्व है। शिक्षा मित्रो, अनुदेशको आचार्यो, आगनवाड़ी केन्द्रो के स्टाफ के वेतन/ मानदय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण पोषाहार वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के प्रवेषण में किया गया है।

क्षेत्र पंचायत शिक्षा समिति :–

प्रत्येक विकास खण्ड स्तार पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी ।

क्षेत्र पंचायत शिक्षा समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैः–

1.	ब्लाक प्रमुख	–	अध्यक्ष
2.	सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	–	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम् अध्यापक	–	सदस्य

अधिकार एवम् दायित्व :–

इस समिति का मुख्य कार्य क्षेत्र पंचायत के अर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वय एवम् क्रियावन्य में आ रही कठिनाईयाँ को दूर करना तथा ग्राम पंचायत समिति एवम् जिला पचायत समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करना है।

ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की एक कोर टीम का गठन किया गया है। इस कोर टीम के निम्नलिखित सदस्य है –

1.	खण्ड विकास अधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	क्षेत्र पंचायत समिति की भी सदस्यता हो 01 वर्ष के लिये नामित	–	सदस्य
4.	क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा नामित अनु0जाति/अनु0जनजाति/ पिछड़े वर्ग एक का ग्राम प्रधान 01 वर्ष के लिये नामित	–	सदस्य
5.	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका उ0प्रा0वि0 (1)	–	सदस्य
6.	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका प्रा0वि0 (1)	–	सदस्य7.
सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी		–	सदस्य /सचिव

अधिकार एवम् दायित्व :–

इस कोर टीम का कार्यक्षेत्र सम्बन्धित विकास खण्ड होगा । विकास खण्ड स्तर पर जिला परियोजना या जिला कोर टीम द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण करना विद्यालयों शिक्षकों, बच्चों एवम् ग्राम शिक्षा समितियो के बारें में सूचनाओं / ऑकड़ो का संकलन करना तथा प्रत्येक माह ब्लाक पर संकलन समन्वयों के साथ बैठक का आयोजन करना इस टीम के प्रमुख दायित्व के रूप में संदर्भित है।

संकुलन संसाधन केन्द्र (सी.आर.सी.) :–

जनपद के भौगोलिक स्थितियो को ध्यान में रखते हुये कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण हेतु संकुल संसाधन केन्द्रों का चयन कर लिया गया है। एक संकुल केन्द्र से अधिकतम 12 विद्यालय सम्बद्ध होगें। प्रत्येक संकुल संसाधन केन्द्र पर संकुल समन्वयक की नियुक्ति की जाऐगी तथा इन्हें सुसज्जित किया जाऐगा । संकुल संसाधन केन्द्रों पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

कार्य एवम् दायित्व :–

1. संकुल केन्द्र से सम्बद्ध विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना ।
2. अध्यापकों की सप्ताहिक बैठक करना तथा उनकी व्यक्गित कठिनाईयों पर विचार विर्मश करना ।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन करना ।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से संकुल केन्द्रों से सम्बद्ध विद्यालयों के गुणवत्ता में सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना बनाना ।
5. संकुल स्तरीय सूचनाओं / ऑकडों का संकलन करना ।

ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.)

इस जनपद में सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवम् नगर क्षेत्रों में नगर संसाधन केन्द्रों के लिये भवन निर्माण कराया जायेगा तथा इन संसाधन केन्द्रों को उपकरणों, विद्युतकरण,कम्प्यूटर एवम् अन्य मूल भूत सुविधों से सुसज्जित किया जायेगा । प्रत्येक केन्द्र पर एक समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी। विकास खण्डों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों एवम् कार्यक्रम की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए समन्वयक के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में सह समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी । समन्वयकों एवम् सहसमन्वयकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

1. अध्यापकों के लिए अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।
2. विकास खण्डों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सूक्ष्म नियोजन करना।
3. विद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना नवीन विधियों एवम् सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग की स्थिति सुनिश्चित करना ।
4. ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
5. संकुल केन्द्रों तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर पर अधिकारियों एवम् अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
7. विकास खण्ड में स्कूल से बाहर विभिन्न वय वर्ग के बच्चों का बस्तीवार कम्प्यूटराइज आँकडें तैयार करना ।
8. विद्यालय से सम्बन्धित आँकडों का संकलन जाँच एवम् विश्लेषण करना ।
9. प्रत्येक माह में शैक्षिक प्रगति हेतु संकुल समन्वयकों के साथ बैठक करना।
10. विकास खण्ड में संकुल एवम् विद्यालय स्तरीय शैक्षिक कठिनाईयों तथा प्रगति से जिला परियोजना कार्यालय एवम् डायट को अवगत करना है

जनपद स्तरीय समिति :--

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है –:

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य / सचिव
प्राचार्य / डायट	सदस्य
वरिष्ठ प्रवक्ता / प्रवक्ता	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
जिला हरिजन कल्याण एवम् समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)	पदेन सदस्य
तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से हों	सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट	
विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
जो समिति का सहायक उप सचिव होगा	

जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद के नियमों और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी ।

1. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।
2. नये बेसिक स्कूल स्थापित करना ।
3. ऐसे बेसिक स्कूल के विकास प्रचार प्रसार एवम् सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।

प्रशासनिक तन्त्र :–

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवम् कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा ।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, करेगें। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिये जिला परियोना कार्यालय की स्थापना की जायेगी । जिसमे स्टाफ के पद सृजित कर तैनाती सुनिश्चित की जायेगी ।

जिला परियोजना कार्यालय की संरचना–

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई.जी.एस./ए.आई.ई)	01

3.	समन्वयक	04 (राजपत्रित प्रतिनियुक्ति पर)
4.	सलाहकार	02 (रू 10000/– नियत वेतन प्रति पद)
5.	सलाहकार	01 (रू 7000/– नियत वेतन प्रति पद)
6.	सहायक लेखाधिकारी	01
7.	लिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर	01
8.	परिचारक	01

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवम् कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण एवम् पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें । जनपद में कार्यरत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने –अपने विकास क्षेत्र के प्रभारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगें।

शैक्षिक प्रबन्धन एवम् सूचना प्रणाली
(ई.एम.आई.एस.)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण के लिये जिला परियोजना कार्यालय में एम.आई.एस. स्थापित किया जायेगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था की जायेगी। कम्प्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी। कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गति विधियों का अनुश्रवण तथा आकड़ों का संकलन एवम् विश्लेषण किया जायेगा। विद्यालय सांख्यिकी कार्य के लिये कम्प्यूटर आपरेटर ,प्रधानाध्यापक,संकुल समन्वयक बी.आर.सी. समन्वयक एवम् सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और ई.एम.आई.एस सम्बन्धी प्रपत्र भरने सूचना संकलन एवं विश्लेषण आदि की जानकारी दी जाएगी।

आँकड़ों का उपयोग :–

ई.एम.आई.एस. आँकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण सूचक जैसे जी.ई.आर.ड्राप आउट दर छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगे। इन सूचको का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार बार सूचनाओं के संकलन में समय के बचत हो सके और कार्ययोजना की संरचना में समयनुसार समावेश/संशोधन किया जा सके ।

आँकडों का उपयोग नवीन विद्यालय हेतु असेवित बस्तियों की पहचान करने में शिक्षा गारंटी केन्द्र/ नवाचार वे वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान करने में एकल अध्यापकीय विद्यालयों के चिन्ह करण में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में बालिकाओं के कम नामकन वाले विद्यालयों के चिन्हीकरण में पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थियों की संख्या के आकलन में, शिक्षकों के विवरण में विकलांग बच्चों के चिन्ही करण तथा उन्हे उपलब्ध करायी गई सुविधा के बारे में अत्यधिक प्रभावी होगी ।

जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान :–

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की महती आवश्यकता है। नवसृजित जनपद होने के कारण यहाँ डायट नहीं है। अतः जनपद चमोली के गोचर स्थित डायट से ही अभी सहयोग लिया जा रहा है। किन्तु सर्व शिक्षा अभियान व्यपक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखतें हुये जनपद रूदप्रयाग में डायट की स्थापना तथा उसका सुदृढ़ीकरण अति आवश्यक है।

इस योजना के अर्न्तगत इस संस्थान के निम्नलिखित कार्य होगे।

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर संदर्भ व्यक्तियों को चयनित करना तथा उन्हे प्रशिक्षित करना।
2. राज्य एवम् राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों कें सम्पर्क मे रहना तथा शिक्षा में नवाचार, अभिनव प्रवृतियों और अनुसंधानों, क्रियात्मक शोधों तथा शोध

   अध्ययनों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना, ताकि जिला विकास खण्ड एवंम् ग्राम स्तर किया जा सके ।
3. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षत करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना ।
4. जिला स्तर पर शिक्षा की समस्याओं के निदान एवम् उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना ।
5. जिले के समस्त विद्यालयों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण एवम् अनुश्रवण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्कतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का निर्देशन एवम् नियन्त्रण करना ।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।
8. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये वेस लाइन सर्वे करना।

9. जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना ।

10. शिक्षा के गुणवत्ता विकास के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शिक्षकों, समन्वयकों, ई.सी.सी.ई. तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं निरीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

12. एम.आई.एस. के माध्यम से शैक्षिक आँकडों का विश्लेषण करना तथा संकलित को विश्लेषण कराना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना।

13 जिले में एक वर्षीय कार्य योजना के अनुसार क्रियान्वित कार्यक्रमों की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु स्मारिका, फोल्डर एवम् सांख्यिकी की का प्रकाशन ।

परियोजना प्रबन्धन एवम् योजना प्रणाली :–

एम.आई.एस के द्वारा जनपद के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी और जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

निधि का प्रवाह :–

जिले की वार्षिक योजना एवम् बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायेगी ।प्रशिक्षण, अकादमिक,पर्यवेक्षक /अनुश्रवण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी

इस संस्थान द्वारा गुणवत्ता के लिये बी.आर.सी. एवम् सी.आर.सी. को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी । निर्माण,वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं जैसे – ग्राम शिक्षा समिति स्वय सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि को सीधे खाते में हस्तान्तारित की जायेगी । जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त एवम् व्यय – धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान
(राष्ट्रीय प्रकोष्ठ)

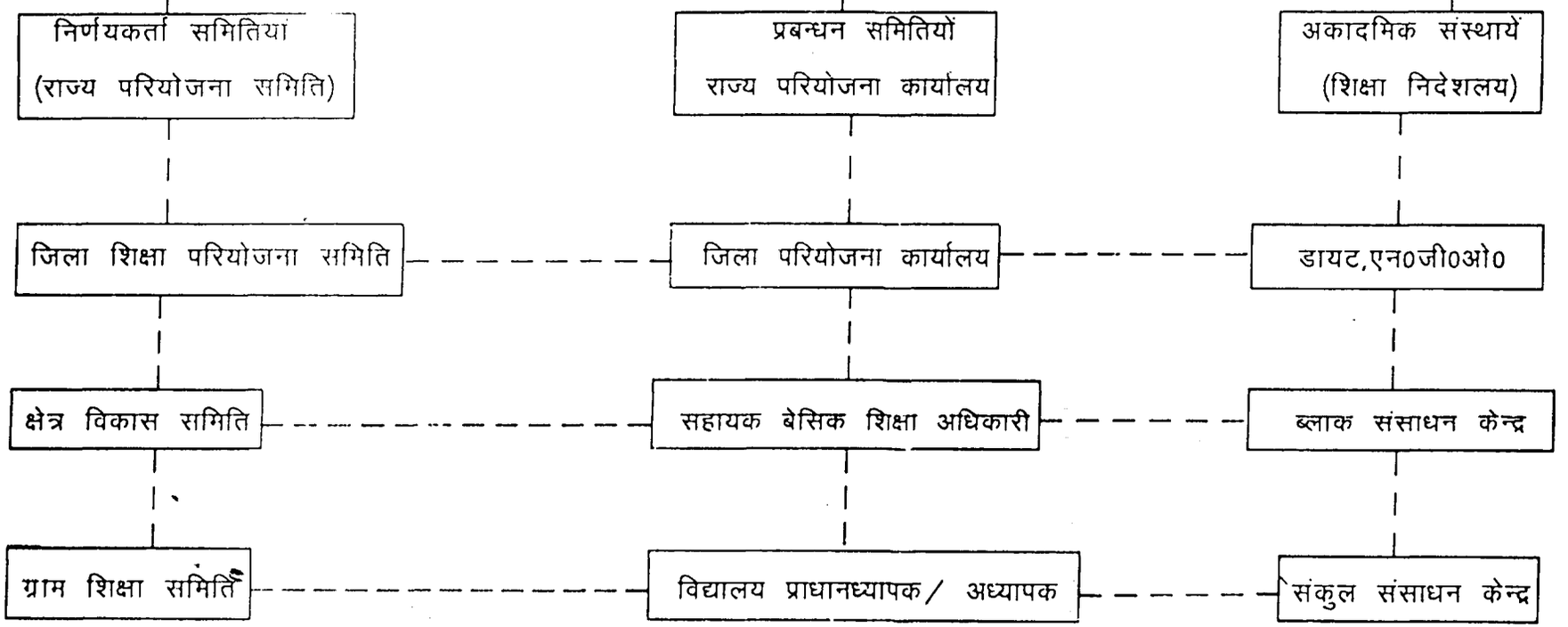

◆◆◆

क्र. सं.	कार्यक्रम शीर्षक	कार्यक्रम का नाम			क्रय ऐजेन्सी / कार्य ऐजेन्सी / निर्माण कार्य ऐजेन्सी	मूल्यांकन कर्त्ता	अन्य विवरण
1	**Access:-** पहुंच	निर्माण कार्य A1	1.	ब्लॉक संसाधन केन्द्र	निर्माण निगम / लोक निर्माण विभाग	विभागीय अधिकारी तथा शिक्षा समिति	विभागीय अधिकारियों में बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक, प्राशासनिक अधिकारी त डायट का वरिष्ठ प्रव0 सम्मिलित होगा।
			2.	क्लस्टर संसाधन केन्द्र	ग्राम शिक्षा समिति (प्र0अ0 + ग्राम प्रधान)	विभागीय अधिकारी तथा शिक्षा समिति	
			3.	प्रा0 एवं उ0प्रा0 भवनों का निर्माण (नये एवं जीर्ण–शीर्ण भवन)	ग्राम शिक्षा समिति (प्र0अ0 + ग्राम प्रधान)	विभागीय अधिकारी तथा शिक्षा समिति	
			4.	अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य	ग्राम शिक्षा समिति (प्र0अ0 + ग्राम प्रधान)	विभागीय अधिकारी तथा शिक्षा समिति	ठहराव के कार्यक्रम
			5.	लघु मरम्मत	ग्राम शिक्षा समिति (प्र0अ0 + ग्राम प्रधान)	विभागीय अधिकारी तथा शिक्षा समिति	ठहराव के कार्यक्रम
			6.	शौचालय एवं चाहरदीवारी	ग्राम शिक्षा समिति (प्र0अ0 + ग्राम प्रधान)	विभागीय अधिकारी तथा शिक्षा समिति	ठहराव के कार्यक्रम
			7.	पेयजल	जल संसाधन के सौजन्य से ग्राम शिक्षा समिति उपलब्ध करेगी।	संसाधन का अधिशासी अभियन्ता एवं विभागीय अधिकारी	ठहराव के कार्यक्रम
		A2		T.L.E. शिक्षण अधिगम सामग्री:– केवल नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु			

			1.	प्राथमिक विद्यालय	ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कोटेशन आमन्त्रित करके	विभागीय अधिकारी (B.S.A., जिला समन्वयक, डायट कर्मी)	
			2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	ग्राम शिक्षा समिति द्वारा टेन्डर आमन्त्रित करके	विभागीय अधिकारी	
		A3		पैरा टीचर	जिला शिक्षा समिति	विभागीय अधिकारी	जिला शिक्षा समिति में– 1. अध्यक्ष– जिलाधिकारी 2. सचिव– B.S.A. 3. सदस्य– प्राचार्य डायट, A.B.S.A.
2	**Retention – ठहराव**	R1		विद्यालय अनुदानः– प्रति विद्यालय रू. 5000.00	ग्राम शिक्षा समिति प्र0अ0 + प्रधान	विभागीय अधिकारी	
		R2		निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण	B.S.A.	विभागीय अधिकारी	S.S.A. द्वारा केवल S.C., S.T. एवं बालिकाओं को तथा राज्य सरकार द्वारा सा0 छात्रों को पुस्तकें वितरित की जायेंगी।
		R3		विकलांग बच्चों हेतु निदानात्मक योजना	स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग (संयुक्त रूप से)	विभागीय अधिकारी	
		R4		नवाचारी शिक्षाः–			
			1.	E.C.C.E. केन्द्रों का संचालनः–			
				(i) T.L.M. की उपलब्धता	ग्राम शिक्षा समिति	I.C.D.S. शिक्षा विभाग के तत्संबंधित अधिकारी	
				(ii) कान्टेनजेन्सी	ग्राम शिक्षा समिति	I.C.D.S. शिक्षा विभाग के तत्संबंधित अधिकारी	
			2	कम्प्यूटर शिक्षा :–			

				जनपद के ऐसे विद्यालय जहां बालिकाओं की संख्या अधिक है।	जिला परियोजना कार्यालय एवं राज्य परियोजना कार्यालय कम्प्यूटर टेन्डर प्रक्रिया द्वारा क्रय होगें।	राज्य जिला परियोजना कार्यालय में कम्प्यूटर विशेषज्ञों द्वारा	
			3	उठ बेटी :–			
				(i) समिति (ग्रुप गठन) प्रेरणा	समुदाय/जिला शिक्षा समिति के सहयोग से	जिला कोआर्डिनेटर	यह कार्यक्रम संपूर्ण रूप से समुदाय के सदस्यों द्वारा समुदाय की सहभागिता से चलाया जायेगा।
				(ii) कार्यशाला	संकुल स्तर	ठण्त्ब्/विभागीय अधिकारी	
				(iii) शिविर (प्रशिक्षण)	समुदाय	ग्राम प्रधान, प्र0अ0	
				(iv) गोष्ठी			
				(v) community Molization	प्रेरणा, ममता (समुदाय)	जिला समन्वयक, विभागीय अधिकारी	
		R5		मध्याह्न भोजन:–			
				पका पकाया भोजन व्यवस्था (5/रू. प्रति छात्र प्रति दिन की दर से 25 दिन का एक माह में)	प्र0 अध्यापक के निवेदन से	ग्राम शिक्षा समिति/ अभिभवक संघ /अधिकारी	विस्तृत विवरण समस्या एवं रणनीति वाले अध्याय में दिया गया है।
		R6		स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वास्थ्य प्रगति कार्ड	स्वास्थ्य विभाग एवं अध्यापक	प्रधानाध्यापक/अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति	
		R7		निदानात्मक शिक्षा:–			
				S.C, S.T, सभी लड़कियों एवं लड़कों के लिए।	विज्ञान/गणित/अंग्रेजी के अध्यापक	प्र0 अध्यापक/अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति	
		R8		बाल वृक्ष मित्र योजना	प्र. अ./कक्षाध्यापक	अभिभावक शिक्षक संघ	
3	गुणवत्ता संवर्धन	Q1		अध्यापक अनुदान	अध्यापक	विभगीय अधिकारी	T.L.M. के लिए

	Q2	प्रशिक्षण:–			
		(i) अध्यापक प्रशिक्षण			
		सेवारत प्रशिक्षण अ0 10 दिन	डायट स्तरीय	डायट / विभागीय अधिकारी	
		पैरा टीचर 30 दिन			
		सेवागम प्रशि0 30 दिन			
		(ii) समन्वयक प्रा0 (B.R.C., C.R.C.)	डायट स्तरीय	डायट / विभागीय अधिकारी	
		(iii) जिला समन्वयक एवं डायट कर्मियों का प्रशि0	राज्य स्तरीय	S.C, S.R.T, विभागीय अधिकारी	
		(iv) सहायक अभियन्ताओं का प्रशि0	राज्य स्तरीय जिला मुख्यालय पर	तत्सम्बन्धी विभागीय अधिकारी	
		(v) A.B.S.A.& S.D.I. का प्रशायन व अनुश्रवण संबंधी ट्रेनिंग 5 दिन	डायट स्तरीय	विभागीय अधिकारी	संदर्भदाता राज्य स्तरीय होगें।
		(vi) कम्प्यूटर प्रशिक्षण			
		(1) डायट कर्मी	राज्य परियोजना कार्यालय	विभागीय अधिकारी	
		(2) जिला समन्वयक	राज्य परियोजना कार्यालय	विभागीय अधिकारी	
		(3) विकास खण्ड समन्वयक	राज्य परियोजना कार्यालय	विभागीय अधिकारी	
		(4) कम्प्यूटर शिक्षा हेतु चयनित विद्यालयों का एक – एक अध्यापक	राज्य परियोजना कार्यालय	विभागीय अधिकारी	
		(vii) S.M.C., V.E.C.व समुदाय कर्मियों का प्रशि0	संकुल स्तरीय (संकुल केन्द्रों में)	जिला समन्वयक, डायट कर्मी	

			(viii) विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु प्रति ब्लॉक दो अध्यापकों का प्रशि0 15 दिन	R C.I. Rehalaitation council of India	R.C.I. कर्मी तथा विभागीय अधिकारी	
4	**क्षमता विकास (Capacity Building)**	**B1**	जिला परियोजना कार्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विकास खण्ड संसाधन केन्द्र, सकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना एवं सुसज्जीकरण हेतु सामग्री का क्रय सर्व शिक्षा परियोजना के मानकानुसार (टेन्डर आमन्त्रित करके) किया जायेगा।	तत्संबंधी कार्यालयाध्यक्ष	विभागीय अधिकारी एवं A.G. Office	

अध्याय 8

प्रस्तावित कायक्रम वर्ष 2001–2010

पहुंच– ए–1 प्राथमिक विद्यालयों में सात प्रतिशत नामांकन की प्राप्ति हेतु जनपद रूद्रप्रयाग में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवनों की निर्माण कार्य करवाया जायेगा तथा पद विहीन विद्यालयों में सर्व शिक्षा से अध्यापकों की पूर्ति की जायेगी, यह आपूर्ति निम्न प्रकार से की जायेगी।

सारणी 1
वर्षवार भौतिक साधनों की आवशयकता

वर्ष	नवीन भवन		पुन निर्माण/भवनहीन		शौचालय		पेयजल		चाहरदीवारी		अतिरिक्त कक्ष		सी0आर0सी0	बी0आर0सी0
	प्रा0	उच्च प्रा0	प्रा0	उच्च प्रा0	प्रा0	उच्च प्रा0	प्रा0	उच्च प्रा0	प्रा0	उच्च प्रा0	प्रा0	उच्च प्रा0		
01–02	–	–	5	3	–	–	12	6	–	–	4	3	–	1
02–03	–	–	16	7	20	5	15	20	–	1	30	10	–	–
03–04	6	6	21	13	200	25	50	10	70	10	5	10	23	–
04–05	5	4	16	10	186	20	50	10	130	10	5	10	23	2
05–06	–	–	–	–	–	–	–	–	247	20	–	–	–	
06–07														

नोटः– चाहरदीवारी का निर्माण की आवश्यकता 499 प्रा0 वि0 एवं 100 उच्च प्रा0 पिद्यालयों में है, बजट के आधार पर मात्र 300 प्रा0 तथा 41 उच्च प्रा0 विद्यालयों में ही मांग प्रस्तावित की गई है। उ0 प्रा0 अतिरिक्त कक्षा की मांग उ0 प्राथमिक विद्यालय जो क्रमोत्तर होंगें उनके लिए की गयी है।

ए--2-- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत– विद्यालयों मे अध्यापकों की आपूर्ति निम्नप्रकार से की जायेगी। यह आपूर्ति पद विहीन विद्यालयों , नये खोले जाने वाले विद्यालयों तथा छात्र संख्या में होने वाले वृद्धि दर के आधार पर की जायेगी।

वर्ष वार छात्र वृद्धि दर के अनुसार कुल छात्रों की संख्या की सारणी

वर्ष	कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की संख्या	प्रति वर्ष छात्रों की संख्या में कुल वद्धि	छात्र वृद्धि के अनुसार अध्यापकों की अवश्यकता छात्र वृद्धि/40
01--02	27883	–	–
02 -03	28523	640	16
03--04	29179	656	16
04–05	29850	671	17
05--06	30536	686	17
06--07	31238	702	17

सारणी बी

विद्यालय में छात्र संख्या के आधार पर अतिरिक्त अध्यापको की आवश्यकता हेतु सारणी

वर्तमान छात्र संख्या के अनुसार अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता

क्र0 सं0	छात्र/छात्राओं की संख्या	प्राथमिक विद्यालय की संख्या	मानक के अनुसार अध्यापकों की संख्या	स्वीकृत पदो की संख्या			कार्यरत अध्यापकों की संख्या		
				प्र0 अ0	स0 अ0	योग	प्र0 अ0	स0 अ0	योग
1	50 से कम	277	554	322	717	1039	305	916	1221
2	50–100	164	328						
3	100–150	72	216						
4	150–200	16	64						
5	200–205	3	15						
7	205	0							
	योग		1177	322	717	1039	305	916	1221

राजकीय आदर्श विद्यालय के विकल्पित अध्यापकों की सूचना

जनपद रूद्रप्रयाग।

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	प्रधानाध्यापक		सहायक अध्यापक	
		स्वीकृत पद	कार्यरत	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	रा0आ0वि0 बीना	1	—	6	3
2	रा0आ0वि0 जखोली बगवान	1	—	6	3
3	रा0आ0वि0 गौरी कुण्ड	1	—	6	2
4	रा0आ0वि0 लौगा	1	—	6	—
5	रा0आ0वि0 रायडी	1	—	1	1
6	रा0आ0वि0 कोटिलस्या	1	—	6	1
7	रा0आ0वि0 पाडो थली	1	—	6	—
	योग	7	—	37	10

जनपद में सात आदर्श विद्यालय है सर्वशिक्षा मानकानुसार प्रतिविद्यालय तीन अध्यापक प्रति विद्यालय होने चाहिए इसके अनुसार कुल 21 अध्यापक होने चाहिए। जिसमें से दस अध्यापक पूर्व से ही कार्यरत है सर्वशिक्षा के अधीन ग्यारहा और अध्यापकों की मांग की जा रही है। ये सभी विद्यालय अब परिषदीय विद्यालयों की भाति जनता की मांग एवं छात्र संख्या के आधार पर संचालित होते रहेंगें।

ए 3– टी0 एल0 ई0 उपकरणों की मांग – जनपद के उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकता के आधार पर तथा संलग्नक में दी गई सूची के आधार पर टी0 एल0 ई0 मांग की गयी है।

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
01–02	–	20
02–03	200	20
03–04	200	40
04–05	116	23
योग	516	103

Q1 जनपद में बच्चों के शिक्षण में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए निम्न प्रकार कार्यक्रम किये जायेगें। इसके अन्तगत नवानयुक्त परा टीचर तथा स0 अध्यापकों का प्रशिक्षण करवाया जायेगा।

सारिणी E

शिक्षक अनुदान एवं प्रशिक्षण हेतु प्राथमिक तथा उ0प्रा0 विद्यालयों के अध्यापकों का वृद्धि अनुसार विवरण –

वर्ष	प्रा0वि0 मे अध्यापकों की संख्या	उ0प्रा0 विद्यालयो में अध्यापको की संख्या				हा0स्कूल के विद्यालयो में अध्यापकों की संख्या			इण्टर विद्यालय में अध्यापकों की संख्या			महायोग
		परिष0	सहा0	माडल	योग	रा0	सहा0	योग	रा0	सहा0	योग	
01-02	996	429	-	12	441	42	-	42	141	-	141	1620
02-03	1080	459	45	12	516	42	3	45	141	3	144	1785
03-04	1096	477	45	12	534	42	3	45	141	3	144	1819
04-05	1124	489	45	12	546	42	3	45	141	3	144	1859
05-06	1151	489	45	12	546	42	3	45	141	3	144	2027
06-07	1164	489	45	12	546	42	3	45	141	3	144	2040

टिप्पणी : जनपद में कुल हाई स्कूलों की संख्या यद्यपि 26 है परन्तु इनमें से केवल 14 हाई स्कूलों में ही कक्षा (6–8) तक की कक्षायें संचालित है। इसलिए केवल 14 हाई स्कूलों को ही विद्यालय अनुदान एवं शिक्षक ग्रान्ट दी जायेगी।

Q2–1 **शिक्षक अनुदान** – निम्न सारिणी के अनुसार शिक्षण अधिगम में गुणवत्ता लाने के लिए प्राथमिक विद्यालय एव उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इण्टर कालेजों के विद्यालयों के शिक्षकों को मानकानुसार अनुदान दिया जायेगा। सारिणी ई में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है।

2– **निःशुल्क पुस्तक विवरण** – छात्र वृद्धि दर के अनुसार वर्षवार निम्न सारिणीनुसार निशुल्क पुस्तक वितरण की जायेगी।

निशुल्क पाठ्यपुस्तक विवरण वर्षवार वृद्धिदर 1.4 के अनुसार

पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए परिषदीय राजकीय माडल एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठ तक के पढने वाले छात्रों की गणना सारिणी –

वर्ष	कक्षा 1–5 तक की छात्र संख्या			कक्षा 6 से 8 तक की छात्र संख्या			सम्पूर्ण योग
	सा0बा0 / अन्य बा0	S.C./S.T. /All Girls	योग	सा0बा0 / अन्य बा0	S.C./S.T. /All Girls	योग	
01-02							
02-03	9306	19217	28523	6040	9264	15304	43827
03-04	9687	19485	29172	6263	9393	15656	44828
04-05	10093	19757	29850	6492	9524	16016	45866
05-06	10503	20033	30536	6728	9656	16384	46920
06-07	10924	20314	31238	7050	9711	16761	47999

C1 **क्षमता सम्वर्धन** – जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के क्षमता सम्वधन हेतु वी0आर0सी0, सी0आर0सी0, डी0पी0ओ0, एम0आई0एस0 की स्थापना एवं संचालन किया जायेगा।

सारणी एफ

सर्व शिक्षा के अधीन आने वाले अध्यापकों का वेतन हेतु विवरण

उच्च प्राथमिक / प्राथमिक विद्यालयों में

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक	
	पी0 टी0	ए0 टी0	क्रमिक योग	ए0 टी0	क्रमिक योग
01–02	23	61	23 / 61	3	3
02–03	–	16	23 / 77	30	33
03–04	6	22	29 / 99	18	51
04–05	5	22	34 / 121	12	63
05–06	–	17	34 / 138	–	63
06–07	–	17	34 / 155	–	63

सर्व शिक्षा के अधीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले अध्यापकों का विवरण वेतेन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। जनपद में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय दसम वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत है। इस विद्यालय के लिए वर्ष 2001–03 में तीन सहायक अध्यापकों की मांग की गयी है। दस प्राथमिक विद्यालय को क्रमोत्तर बनाया गया है।इसमें 30 सहायक अध्यापकों की मांग वर्ष 2002–03 में की गयी है। वर्ष 2003–04 में 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय नये खोले गये है। इस हेतु 3 की दर से 18 सहायक अध्यापक तथा वर्ष 2004–05 में 4 उच्च प्राथमिक विद्यालय फिर नये खोले गये है। जिनके लिए 12 सहायक अध्यापकों की मांग की गयी है।

V.E.C एवं एस0एम0सी0 का प्रशिक्षण

वर्ष	विद्यालयों की सख्या			SMC की संख्या	SMC के सदस्यों की संख्या	VEC के सदस्यों की संख्या
	प्रा0	उ0प्रा0	योग			
01-02	500	99	599	4792	330	2640
02-03	500	109	609	8144	330	2640
03-04	511	115	626	5008	318	2544
04-05	516	119	634	5072	318	2544
05-06	516	119	634	5072	318	2544
06-07	516	119	634	5072	318	2544

प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक तथा उ0प्रा0 विद्यालयों के लिए 8 सदस्यीय विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन राज्य के मानकानुसार किया जायेगा तथा प्रत्येक ग्राम सभा में एक ग्राम शिक्षा समिति का गठन राज्य के मानकानुसार किया जायेगा। इनके जो भी अधिकार तथा कतव्य हों उनका पालन राज्य द्वारा निर्धारित किये जायेगें। जनपद में V.E.C तथा S.M.C की संख्या तथा सदस्यों की संख्या वर्षवार उपरोक्त तालिका के अनुसार होगी।

जनपद में कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की नामांकन वृद्धि दर 1.4 प्रति

क्र0सं0	क्षेत्र का नाम	परिषदीय/राजकीय/मण्डल वि0 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या												मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले कुल			कुल छात्रों की संख्या		
		एस0 सी0						एस0 टी0			ओ0 बी0 सी0								
		बी0	जी0	टी0	बी0	जी0	टी0	बी0	जी0	टी0	बी0	जी0	टी0	बी0	जी0	टी0	बी0	जी0	टी0
1.	अगस्त्यमुनि	6296	6792	13088	2206	2220	4426				95	100	195	1500	1000	2500	7796	7792	15588
2.	जखोली	4832	5248	10080	1198	1243	2441				122	114	235	307	218	525	5139	5466	10605
3.	ऊखीमठ	2680	3061	5741	709	650	1359	3	–	3	31	24	55	808	493	1301	3488	3554	7042
02–03		13808	15101	28909	4113	4113	8226	3	–	3	248	238	485	2615	1711	4326	16423	16812	33235
03–04		14001	15312	29313	4170	4170	7965	3	–	3	250	240	490	2651	1735	4386	16653	17047	33699
04–05		14197	15526	29723	4228	4228	8456	3	–	3	252	242	494	2688	1759	4447	16885	17285	34170
05–06		14395	15743	30138	4287	4287	5874	3	–	3	254	244	498	2725	1783	4508	17120	17526	34346
06–07	योग :–	14596	15963	30559	4347	4347	8694	4	–	4	256	246	502	2763	1808	4571	17359	17771	35130

कक्षा 6 से 8 तक छात्रों की नामांकन विवरण

अगस्त्यमुनि	1750	2009	3759	413	405	818	–	–	–	40	37	77	813	622	1435	2563	2631	5194
जखोली	992	1018	2010	286	285	571	–	–	–	16	19	35	547	486	1033	1539	1504	3043
ऊखीमठ	370	615	985	33	57	90	–	–	–	8	16	24	130	102	232	500	717	1217
योग	3112	3642	6754	732	747	1497	–	–	–	64	72	136	1490	1210	2700	4602	4852	9454
मा0 विद्यालय	4262	4037	8299	853	792	1645	–	–	–	14	16	30	541	318	859	4803	4355	9158
योग बे0शि0 /मा0वि0	7374	7679	15053	1585	1539	3124	–	–	–	78	88	166	2031	1528	3559	9405	9207	18612

वर्ष 2003से 2007 तक 1.4 वृद्धि दर के आधार पर छात्र संख्य वृद्धि

03–04		7477	7786	15263	1607	1560	3167	–	–	–	80	90	170	2059	1549	3608	9536	9335	18871
04–05		7581	7895	15476	1629	1581	3210	–	–	–	82	92	174	2087	1570	3657	9668	9465	19133
05–06		7687	8005	15692	1651	1603	3254	–	–	–	84	94	178	2115	1591	3707	9803	9596	19399
06–07		7794	8117	15911	1674	1625	3299	–	–	–	89	96	182	2145	1613	3458	9939	9730	19669

निःशुल्क माध्यम पुस्तक हेतु आवश्यक विवरण

जनपद के परिषदीय राजकीय, मॉडल तथा सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग की अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राएं व अनुसूचित जन जाति के छात्र–छात्राओं का वर्षवार आगणन वृद्धि दर 1.4 प्रति वर्ष

कक्षा 1 से 8 तक

वर्ष	सामान्य वर्ग की छात्राऐ	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		ओ0बी0 सी0 की	योग	सामान्य वर्ग वर्ग की छात्राऐ	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		ओ0बी0सी की छात्राऐ	योग	कक्षा 1 से 8 तक लाभान्वित छात्र संख्या
		छात्र	छात्राऐ	छात्र	छात्राऐ										
02–03	10750	4113	4113	3	—	238	19217	8052	1585	1539	—	—	88	9264	28481
03–04	10902	4170	4170	3	—	240	19485	8135	1607	1560	—	—	90	9393	28878
04–05	11056	4228	4228	3	—	242	19757	8222	1629	1581	—	—	92	9524	29281
05–06	11212	4287	4287	3	—	244	20033	8308	1651	1603	—	—	94	9656	29689
06–07	11370	4347	4397	3	—	246	20314	8396	1674	1625	—	—	96	9711	30105

जनपद में स्कूल इम्प्यूवमेन्ट देने हेतु सारणी

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय			हाई स्कूल		इण्टर		योग
	परिषदीय	सहा0 प्राप्त	परिषदीय	राजकीय	सहा0 प्राप्त	सरकारी	सहा0 प्राप्त	राजकीय	सहा0 प्राप्त	
01–02	482	–	98	7	–	14	–	47	–	648
02–03	500	–	109	7	9	14	1	47	1	688
03–04	511	–	115	7	9	14	1	47	1	705
04–05	516	–	119	7	9	14	1	47	1	714
05–06	516	–	119	7	9	14	1	47	1	714
06–07	516	–	119	7	9	14	1	47	1	714

विकलांग बच्चों हेतु सुविधा–जनपद में विकलांग बच्चों की पहिचान के उपरान्त विकास खण्डवार निम्न प्रकार दिखाया गया है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	विकलांग बच्चे			
		01–02	02–03	03–04	04–05
1	ऊखीमठ	–	40	38	38
2	जखोली	–	75	104	104
3	अगस्त्यमुनि	–	100	161	161
	योग	215	215	303	303

ठहराव

जनपद में बच्चों के ठहराव को विद्यालय में बनाने के लिए विद्यालय की भौतिक संसाधनों में वृद्धि स्कूलों को अनुदान तथा विकलांग बच्चों की देखभाल स्कूल हेल्थ चेकअप विभिन्न नवाचार कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा, इसका विवाण सारणी प्रथम में दिया गया है।

आर 2 – संलग्नक में लगी सूची के आधार पर प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लघु मरम्मत, स्कूल इम्प्यूवमेन्ट ग्रान्ट स्कूल हेल्थ चेक अप का कार्य किया जायेगा।

वर्ष	लघु मरम्मत		स्कूल हेल्थ चेक अप
	पी0 एस0	यू0 पी0 एस0	
01–02	455	60	–
02–03	400	60	–
03–04	500	60	705
04–05	511	118	714
05–06	516	126	714
06–07	516	126	714
योग	2898	550	2847

ठहराव

जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड़ अगस्त्यमुनि एवं जखोली में पका पकाया मध्याह्न भोजन व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी है। इस प्रकार केवल ऊखीमठ विकास खण्ड़ जो कि पहाड़ी एवं सुदूरवर्ती है। इसमें सर्व शिक्षा व्यवस्था द्वारा (चावलों को छोड़कर) मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हेतु विद्यालय में ठहराव बनाने के लिए कार्यक्रम निम्नप्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है–

मध्याह्न भोजन

दर 0.50 प्रति छात्र प्रति दिन

दर 500.00 रसोई पर प्रति माह

दर 2000.00 किचन सामग्री

(i) छात्र पर होनेवाला व्यय	5533 x 0.50 x 25 x 10	=	691625
(ii) रसोइया के लिए	101x 500x 10	=	505000
(iii) किचन सामग्री	2000 x 101	=	202000
			1398625

यह राज्य सरकार द्वारा दिये गये आपूर्तित खाद्यान्न का प्रयोग किया जायेगा। उपर्युक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा शेष दो ब्लॉकों में मनायी जाने वाली योजनानुसार है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन संचालित होगी।

एक्सन रिसर्च –

R3:- जनपद में बच्चों के ठहराव को बनाये रखने के लिए एक्सन रिसर्च कार्य किया जायेगा। जिसमें बच्चों के अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों की पहिचान करने के बाद निराकरण तथा निदानात्मक व्यवस्थ की जायेगी। इस धनराशि से विद्यालयों में छात्रों के अधिगम में आने वाली कठिनाईयों की पहिचान की जायेगी तथा इन विद्यालयों को माडल विद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जायेगा।

प्रशिक्षण– जनपद में बच्चों के ठहराव को बनाये रखने के लिए बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 के सन्दर्भ दाताओं, ई0 आई0एम0एस0 तथा डायट स्टाफ के लिए स्टाफ डवलपमेन्ट प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य डी0पी0ओ0, एस0पी0ओ0, बी0आर0सी0आर0 एवं अन्य के द्वारा किया जायेगा।

R4 नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन –

इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम चलायें जायेगें।

1– ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का संचालन – विकास खण्ड जखोली में 68 तथा अगस्त्यमुनि में 12 केन्द्र संचालित हैं। इनके संचालन सम्बन्धी सभी सुविधाओं जैसे सामान वितरण प्रशिक्षण, अनुदेशक तथा सेविका का वेतन आदि दी जायेगा।

2– उठ बेटी कार्यक्रम– नवाचार शिक्षा प्रोजेक्ट के आधार पर कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

3– कंप्यूटर शिक्षा– जनपद के 48 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्यकम 80 से अधिक छात्र संख्या वाले एवं बालिका अधिसंख्यक विद्यालयों में वर्षवार चलाया जायेगा।

वर्ष	उच्च प्रा0वि0 की संख्या
2001–02	–
2002–03	04
2003–04	13
2004–05	11
2005–06	10
2006–07	10

SERVE SHIKSHA ABHIYAN DISTT. RUDRAPRAYAG (U.A.)

Work Plan & Budget for the year 2001-07 Distt. Rudraprayag (UA)

SL. NO.	Head/ Sub heads/ Activity	Unit Cost	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		[illegible]
			Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy
	A	B													
	Access	764.77	1084	1100.00	2219	4938.44	2652	31748.74	2621	35683.34	2512	33752.67	2413	36412.74	**143635.93**
	Retention	2774.936	1481	7666.70	3353	17304.20	10651	31715.43	10775	31352.33	10697	22865.95	10510	12077.00	**122981.61**
	Quality Improvement	26.420	30277	4211.50	40003	6155.04	40195	8403.32	14447	8510.71	41491	8766.51	41933	8844.51	**44891.59**
	Capacity Building	2169.840	44	1744.15	258	5726.50	341	16947.00	327	16111.47	301	11720.16	301	12254.31	**64503.59**
	Total	5735.9635	32886	14722.35	45833	34124.18	53839	88814.49	28170	91657.85	55001	77105.29	55157	69588.56	**376012.72**

SL. NO.	Head/ Sub heads/ Activity	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	[illegible]
		Fin.	Fin.	Fin.	Fin.	Fin.	Fin.	Fin.
	A							
8	**Civil Work**							
	Building for new PS(A)	0.00	0.00	1650.00	1375.00	0.00	0.00	**3025.00**
	Building for new UPS (A)	0.00	0.00	2400.00	1600.00	0.00	0.00	**4000.00**
	Civil Work(R)	3425.00	11125	19900.00	19440.00	10880	0.00	**64770.00**
	Civil Construction(C)	600.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	**1800.00**
	Construction(C)	0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	0.00	**9200.00**
	Total	**4025.00**	**11125.00**	**29750.00**	**27015.00**	**10880.00**	**0.00**	**82795.00**
	Percentage of Civil work	**27.34**	**32.60**	**33.50**	**29.47**	**14.11**	**0.00**	[illegible] 22.02
	Managment Cost	499.15	1192.90	1794.70	1859.59	1927.72	1999.27	**9273.33**
	Percentage of Man. Cost	**3.39**	**3.50**	**2.02**	**2.03**	**2.50**	**2.87**	[illegible]1 2.47

Rs. in thousand

SERVE SHIKSHA ABHIYAN DISTT. RUDRAPRAYAG (U.A.)

Work Plan & Budget for the year 2001-07 Distt. Rudraprayag (UA)

SL. NO.	Head/ Sub heads/ Activity	Unit Cost	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total
			Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Fin
	A	B													
A1	**ACCESS**														
	Building for new PS	275.000	0	0.00	0	0.00	6	1650.00	5	1375.00	0	0.00	0	0.00	**3025.00**
	Building for new UPS	400.000	0	0.00	0	0.00	6	2400.00	4	1600.00	0	0.00	0	0.00	**4000.00**
	Model UPS New U.P.S. & UP Gradation of P.S. in UPS (Teacher's salery)	12.000	3	0.00	33	2640.00	62	9374.40	74	11748.24	74	12335.65	74	12952.43	**49050.72**
	New P.S. Teachers Salary	9.000	61	0.00	18	1224.00	99	11226.60	121	14407.47	138	17253.24	155	20350.26	**64461.57**
	New P.S. Paira Teacher's Salary	4.500	0	0.00	18	396.00	29	1644.30	34	2024.19	34	2125.34	34	2231.61	**8421.44**
	Furniture/ Fixture and equipment PS(TLE)	10.000	0	0.00	0	0.00	200	2000.00	200	2000.00	116	1160.00	0	0.00	**5160.00**
	Furniture/ fixture and equipment UPS (TLE)	50.000	20	1000.00	0	0.00	50	2500.00	33	1650.00	0	0.00	0	0.00	**5150.00**
	Total (A1)	**760.500**	**84**	**1000.00**	**69**	**4260.00**	**452**	**30795.30**	**471**	**34804.90**	**362**	**32874.23**	**263**	**35534.30**	**139268.73**
A2	**EGS**														
	Hourium for Instructor (12 Month)	1.000	0	0.00	50	400.00	50	600.00	50	600.00	50	600.00	50	600.00	**2800.00**
	Instructor Iraining	1.500	0	0.00	0	0.00	50	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**75.00**
	TLM	0.100	0	0.00	1000	100.00	1000	100.00	1000	100.00	1000	100.00	1000	100.00	**500.00**
	Equpiments	1.100	0	0.00	50	55.00	50	55.00	50	55.00	50	55.00	50	55.00	**275.00**

	[illegible]gency	0.468	0	0.00	50	23.44	50	23.44	50	23.44	50	23.44	50	23.44	117.20
	Block LevelMangenent	0.100	1000	100.00	1000	100.00	1000	100.00	1000	100.00	1000	100.00	1000	100.00	600.00
	Total (A2)	**4.268**	**1000**	**100.00**	**2150**	**678.44**	**2200**	**953.44**	**2150**	**878.44**	**2150**	**878.44**	**2150**	**878.44**	**4367.20**
	Total A	**764.77**	**1084**	**1100.00**	**2219**	**4938.44**	**2652**	**31748.74**	**2621**	**35683.34**	**2512**	**33752.67**	**2413**	**36412.74**	**143635.93**
(R)	**RETENTION**														**0.00**
R1	Additional Class Rooms (PS)	70.000	4	280.00	30	2100.00	5	350.00	5	350.00	0	0.00	0	0.00	**3080.00**
	Additional Class Rooms (UPS)	70.000	3	210.00	10	700.00	10	700.00	10	700.00	0	0.00	0	0.00	**2310.00**
	Additional Class Rooms (CRC)	70.000	0	0.00	**0**	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0.00**
	Toilets (PS)	15.000	0	0.00	**20**	300.00	200	3000.00	186	2790.00	0	0.00	0	0.00	**6090.00**
	Toilets (UPS)	15.000	0	0.00	5	75.00	25	375.00	20	300.00	0	0.00	0	0.00	**750.00**
	Rec. of Old PS	275.000	5	1375.00	16	4400.00	21	5775.00	16	4400.00	0	0.00	0	0.00	**15950.00**
	Rec. of Old UPS	400.000	3	1200.00	7	2800.00	13	5200.00	10	4000.00	0	0.00	0	0.00	**13200.00**
	Drinking Water (PS)	20.000	12	240.00	15	300.00	50	1000.00	50	1000.00	0	0.00	0	0.00	**2540.00**
	Drinking Water (UPS)	20.000	6	120.00	**20**	400.00	10	200.00	10	200.00	0	0.00	0	0.00	**920.00**
	Boundary walls (PS)	40.000	0	0.00	0	0.00	70	2800.00	130	5200.00	247	9880.00	0	0.00	**17880.00**
	Boundry walls (UPS)	50.000	0	0.00	1	50.00	10	500.00	10	500.00	20	1000.00	0	0.00	**2050.00**
	Total R1	**1045.000**	**33**	**3425.00**	**124**	**11125.00**	**414**	**19900.00**	**447**	**19440.00**	**267**	**10880.00**	**0**	**0.00**	**64770.00**
R2-1	Repair and Maintenance of School (PS)	5.000	455	2275.00	400	2000.00	500	2500.00	511	2555.00	516	2580.00	516	2580.00	**14490.00**
	Repair and Maintenance of School (UPS)	5.000	60	300.00	60	300.00	60	300.00	118	590.00	126	630.00	126	630.00	**2750.00**
	School Improvement grant (PS+UPS+HI+IN+Oth.)	2.000	647	1294.00	688	1396.00	705	1410.00	714	1428.00	714	1428.00	714	1428.00	**8384.00**

	Provision for Disabled Children	1.200	215	0.00	215	258.00	303	363.60	303	363.60	303	363.60	303	363.60	1712.40
	School Health Check up	0.5 Per Sch.	0	0.00	0	0.00	705	352.50	714	357.00	714	357.00	714	357.00	1423.50
	Total (R2-1)	**13.200**	**1377**	**3869.000**	**1363**	**3954.000**	**2273**	**4926.100**	**2360**	**5293.600**	**2373**	**5358.600**	**2373**	**5358.600**	**28759.90**
R2-2	**Mid Day Meal**														
	Dal Masale & Fuel (25 daysx10 month)	0.0005	0	0.000	0	0.000	5741	717.630	5821	727.630	5902	737.750	5984	748.000	2931.01
	Labour Cost (10 month)	0.500	0	0.000	0	0.000	101	505.000	101	505.000	101	505.000	101	505.000	2020.00
	Kitchen Set	2.000	0	0.000	0	0.000	101	202.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	202.00
	Total (R2-2)	**2.501**	**0**	**0.000**	**0**	**0.000**	**5943**	**1424.630**	**5922**	**1232.630**	**6003**	**1242.750**	**6085**	**1253.000**	**5153.01**
	Total R2	**15.701**	**1377**	**3869.000**	**1363**	**3954.000**	**8216**	**6350.730**	**8282**	**6526.230**	**8376**	**6601.350**	**8458**	**6611.600**	**33912.91**
R3	**Research , Evaluation Monitoring and Supervision**														
	Action Research	100.000	0	0.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	500.00
	Training for BRC Coordinator (5 Days)	0.070	9	6.30	9	3.15	9	3.15	9	3.15	9	3.15	9	3.15	22.05
	Training for CRC Coordinator (10 Days)	0.070	48	33.60	51	35.70	48	33.60	48	33.60	48	33.60	48	33.60	203.70
	Training for Resource Person (10 Days)	0.070	12	16.80	12	8.40	12	16.80	12	16.80	12	16.80	12	16.80	92.40
	Training for EMIS (5 Days)	0.500	0	0.00	5	12.50	5	12.50	5	12.50	5	12.50	5	12.50	62.50
	Staff dev. Prg for DIET 5 days (DTH/DTO)	1.600	0	0.00	0	0.00	12	19.20	12	19.20	12	19.20	0	0.00	57.60
	Monitoring & Supervision by CRC	0.200	0	0.00	688	137.60	705	141.00	714	142.80	714	142.80	714	142.80	707.00
	REMS by SPO, DPO & BRC, Other	1.400	1	192.00	688	665.85	705	987.00	714	999.60	714	999.60	714	999.60	4843.65
	Total (R3)	**103.910**	**70.000**	**248.70**	**1454**	**963.20**	**1497**	**1313.25**	**1515**	**1327.65**	**1515**	**1327.65**	**1503**	**1308.45**	**6488.90**
R4	**Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs**														
R4-1	Development & Distribution of ECCE materials	5.000	0	0.00	80	400.00	96	480.00	96	480.00	96	480.00	96	480.00	2320.00
	Honorarium working ECCS Instructor (I.C.D.S.)	0.250	0	0.00	80	160.00	96	288.00	96	288.00	96	288.00	96	288.00	1312.00
	Honorarium working ECCS Sevika (I.C.D.S)	0.125	0	0.00	80	80.00	96	144.00	96	144.00	96	144.00	96	144.00	656.00
	Contingency/Recurrent grant (I.C.D.S)	1.500	0	0.00	80	80.00	96	144.00	96	144.00	96	144.00	96	144.00	656.00
	Training of ECCE instructor (at BRC) (I.C.D.S)	1.200	0	0.00	80	96.00	96	115.20	96	115.20	96	115.20	96	115.20	556.80
	Total (R4-1)	**8.075**	**0**	**0.00**	**400**	**816.00**	**480**	**1171.20**	**480**	**1171.20**	**480**	**1171.20**	**480**	**1171.20**	**5500.80**

	Uth Bell (Total R4-2)	1490.750	1	124.00	0	0.00	1	1490.75	1	1490.75	1	1490.75	1	1490.75	6097.00
R4-3	**Computer Education**														
	Computer & Equipments for UPS	100.000	0	0.00	4	400.00	13	1300.00	11	1100.00	10	1000.00	10	1000.00	4800.00
	Computer Education Development	10.000	0	0.00	4	40.00	17	170.00	28	280.00	38	380.00	48	480.00	1350.00
	Computer Training UPS Teacher	1.500	0	0.00	4	6.00	13	19.50	11	16.50	10	15.00	10	15.00	72.00
	Total (R4-3)	**111.500**	**0**	**0.00**	**12**	**446.00**	**43**	**1489.50**	**50**	**1396.50**	**58**	**1395.00**	**68**	**1495.00**	**6222.00**
	Total (R4)	**1610.325**	**1**	**124.00**	**412**	**1262.00**	**524**	**4151.45**	**531**	**4058.45**	**539**	**4056.95**	**549**	**4156.95**	**17809.80**
	Total (R)	**2774.936**	**1481**	**7666.700**	**3353**	**17304.20**	**10651**	**31715.43**	**10775**	**31352.33**	**10697**	**22865.95**	**10510**	**12077.00**	**122981.61**
Q	**(Q) Quality improvement**														
Q1	Para Teachers Training (30 days)	0.070	0	0.00	18	37.80	11	23.10	5	10.50	0	0.00	0	0.00	71.40
	Recuring Training of Paira Teacher (ten days)	0.070	0	0.00	0	0.00	18	12.60	29	20.30	34	23.80	34	23.80	80.50
	In service Teacher Training (PS + UPS+HI+IN+Other) 10 days	0.070	1620	0.00	1680	1176.00	1819	1273.30	1859	1301.30	2027	1418.90	2040	1428.00	6597.50
	Training for SMC 8 Members (2 days)	0.030	0	0.00	5504	330.24	5008	300.48	5072	304.32	5072	304.32	5072	304.32	1543.68
	Training for VEC 8 Members (2 days)	0.030	0	0.00	2640	158.40	2544	152.64	2544	152.64	2544	152.64	2544	152.64	768.96
	Total Q-1	**0.270**	**1620**	**0.00**	**9842**	**1702.44**	**9400**	**1762.12**	**9509**	**1789.06**	**9677**	**1899.66**	**9690**	**1908.76**	9062.04
Q2	Teachers Grant (PS + UPS+ HI+ IN+Other)	0.500	1523	761.50	1680	840.00	1819	909.50	1859	929.50	2027	1013.50	2040	1020.00	5474.00
	Free test books to All girls, SC/ST childrens Class 1 to 8	0.150	27134	3450.00	28481	3612.60	28878	4331.70	2981	4392.15	29689	4453.35	30105	4515.75	24755.55
	Remideal Teaching 8 Months	0.500	0	0.00	0	0.00	50	200.00	50	200.00	50	200.00	50	200.00	800.00
	Bal mela at CRC	25.000	0	0.00	0	0.00	48	1200.00	48	1200.00	48	1200.00	48	1200.00	4800.00
	Total Q-2	**26.150**	**28657**	**4211.50**	**30161**	**4452.60**	**30795**	**6641.20**	**4938**	**6721.65**	**31814**	**6866.85**	**32243**	**6935.75**	35829.55
	Total Q	**26.420**	**30277**	**4211.50**	**40003**	**6155.04**	**40195**	**8403.32**	**14447**	**8510.71**	**41491**	**8766.51**	**41933**	**8844.51**	44891.59
C	**Capacity Building**														
C1	AWPB Review & Preparation	25.000	1	15.00	1	15.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	130.00
	Total (C1)	**25.000**	**1**	**15.00**	**1**	**15.00**	**1**	**25.00**	**1**	**25.00**	**1**	**25.00**	**1**	**25.00**	130.00
C2	**Block Resource Centre**														0.00
	Civil Construction	600.000	1	600.00	0	0.00	2	1200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1800.00

	Salary Coordinator	12.000	0	0.00	3	288.00	3	453.60	3	476.28	3	500.10	3	525.11	2243.09
	Asst. Coordinator	9.000	0	0.00	6	408.00	6	680.40	6	714.42	6	750.14	6	787.65	3340.61
	TLM	5.000	0	0.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00	75.00
	Equipment/Furniture	100.000	3	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	300.00
	Traveling Allowance (Per month)	0.500	0	0.00	3	12.00	9	54.00	9	54.00	9	54.00	9	54.00	228.00
	Contengency	12.500	0	0.00	3	37.50	3	37.50	3	37.50	3	37.50	3	37.50	187.50
	Monthly Review Meeting (Per month)	0.300	0	0.00	0	0.00	3	10.80	3	10.80	3	10.80	3	10.80	43.20
	VRC/OHP/Camera/ Photo State Machine	100.000	0	0.00	0	0.00	3	300.00	3	300.00	0	0.00	0	0.00	600.00
	Total (C2)	**839.300**	**4**	**900.00**	**18**	**760.50**	**32**	**2751.30**	**30**	**1608.00**	**27**	**1367.54**	**27**	**1430.06**	**8817.40**
C3	**Cluster Resource centre**														
C3	School Complex (CRC)														
	Construction	200.000	0	0.00	0	0.00	23	4600.00	23	4600.00	0	0.00	0	0.00	9200.00
	Salary Coordinator	12.000	0	0.00	51	3468.00	48	7257.60	48	7620.48	48	8001.50	48	8401.58	34749.16
	Equipments/Furniture	10.000	33	330.00	3	30.00	12	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	480.00
	Contingency	2.500	0	0.00	51	127.50	48	120.00	48	120.00	48	120.00	48	120.00	607.50
	Traveling Allowance	0.200	0	0.00	51	81.60	48	115.20	48	115.20	48	115.20	48	115.20	542.40
	TLM	1.000	0	0.00	51	51.00	48	48.00	48	48.00	48	48.00	48	48.00	243.00
	Monthly Review Meeting (Per month)	0.200	0	0.00	0	0.00	48	115.20	48	115.20	48	115.20	48	115.20	460.80
	Total (C3)	**225.900**	**33**	**330.00**	**207**	**3758.10**	**275**	**12376.00**	**263**	**12618.88**	**240**	**8399.90**	**240**	**8799.98**	**46282.86**
C4	**Distt Project office**														
	ABSA/SDI Training 5 days	0.070	0	0.00	6	2.10	6	2.10	6	2.10	6	2.10	6	2.10	10.50
	Training for AE & JE 10 days	0.070	0	0.00	4	2.80	4	2.80	4	2.80	4	2.80	4	2.80	14.00
	Staffing Coordinators-4 (Salary)	14.000	0	0.00	4	384.00	4	705.60	4	740.88	4	777.92	4	816.82	3425.22

	Accountant	10.000	0	0.00	1	64.00	1	126.00	1	132.30	1	138.92	1	145.87	607.09
	Assistant Account Officer	14.000	0	0.00	1	96.00	1	176.40	1	185.22	1	194.48	1	204.20	856.30
	Peon-2	4.500	0	0.00	2	80.00	2	113.40	2	119.07	2	125.02	2	131.27	568.76
	Furniture	100.000	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100.00
	Equip.	100.000	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100.00
	Clerk-1	6.000	0	0.00	1	56.00	1	75.60	1	79.38	1	83.35	1	87.52	381.85
	Traveling Allowance	100.000	1	10.00	1	50.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	460.00
	Consumable	25.000	0	0.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	125.00
	Telephone/Fax	30.000	1	10.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	160.00
	POL	50.000	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	250.00
	Honorarium to JE/AE	6.000	0	0.00	3	18.00	3	18.00	3	18.00	3	18.00	3	18.00	90.00
	Hiring of vehicle	12.000	0	0.00	1	96.00	1	144.00	1	144.00	1	144.00	1	144.00	672.00
	Contingency	50.000	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	250.00
	MIS														0.00
	MIS Call Furnisining	75.000	1	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	75.00
	Salary for Computer Operator	8.000	0	0.00	1	64.00	1	100.80	1	105.84	1	111.13	1	116.69	498.46
	MIS Equip.	400.000	1	204.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	204.15
	Printing and Distribution of data formats	20.000	0	0.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	100.00
	Maintenance of Equipments	20.000	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	80.00
	Computer Consumables	25.000	0	0.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	125.00
	Total (C4)	**1079.640**	**6**	**499.15**	**32**	**1192.90**	**33**	**1794.70**	**33**	**1859.59**	**33**	**1927.72**	**33**	**1999.27**	**9273.33**
	Total C	**2169.840**	**44**	**1744.15**	**258**	**5726.50**	**341**	**16947.00**	**327**	**16111.47**	**301**	**11720.16**	**301**	**12254.31**	**64503.59**
	Grand Total (A+R+Q+C)	**5735.964**	**32886**	**14722.35**	**45833**	**34124.18**	**53839**	**88814.49**	**28170**	**91657.85**	**55001**	**77105.29**	**55157**	**69588.56**	**376012.72**

क्षेत्र अगस्त्यमुनि

विकलांग बच्चों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	विकलांग छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विकलांगता का प्रकार	विवरण
1	प्रा0 वि0 अगस्त्यमुनि	प्रदीप लाल	श्री बचन लाल	07-06-92	दृष्टि दोष	
2	" तिलवाड़ा	राहुल कुमार	" जसपाल भारती		एक पैर से विकलांग	
3	" तेवड़ी	कु0 कविता	" मदन सिंह	25-08-89	नेत्रहीन	
4	" जयकण्डी	कु0 सीमा		21-09-97	पैर खराब	
5	" भीरी	कु0 कमला	" गोविन्द बहादूर	20-07-93	पैर खराब	
6	"	चन्द्रप्रकाश	" हस्तबहादुर	04-07-94	हाथ खराब	
7	" केड़ा	कु0 रेखा	" नारायण सिंह		एक आंख अन्धी	
8	स0 शि0 वि0 उच्छाढुंगी	नवीन गुसांई		08-11-96	एक आंख अन्धी	
9	चिल्ड्रन एकेडमी कण्डारा	कु0 उत्तरा	" दलीप सिंह	01-09-95	पांव खराब	
10	प्रा0 वि0 दौला	लक्ष्मण सिंह	" लाल सिंह	13-07-91	गूंगा	
11	" कन्याल	कु0 अन्जना	" मदन सिंह	25-06-90	शारीरिक अपंगता	
12	"	कु0 दीपा	" जगदीश सिंह	07-04-87	गूंगी	

13	" कण्डारा	अनूप		20-07-92	हाथ पैर खराब	
14	" "	अमित		05-09-92	मुह तथा पैर खराब	
15	" "	कु0 उत्तरा		01-01-95	पैर खराब	
16	" कणसिली	कु0 लाटी		08-06-92	गूंगी	
17	" "	सुमन लाल		05-06-92	पैर विकलांग	
18	" "	कु0 ज्योति		03-11-99	गूंगी	
19	" ककोला	कु0 कलावती	" रमेश चन्द्र	04-07-91	मानसिक विकलांग	
20	" दयूक	कु0 मनीषा	" प्रकाश सिंह	01-01-94	पूरा शरीर	
21	" कण्डई	रामलाल	" सुबध्यानूलाल		पूरा शरीर	
22	" गडोरा	प्रवीन सिंह	" विमला सिंह	03-04-92	पूरा शरीर	
23	" "	अभिषेक	" शम्भूचरण	01-01-97	पूरा शरीर	
24	" "	अंकित	" चन्द सिंह	01-05-96	पूरा शरीर	
25	" कोखण्डी	कु0 पिंकी	" बहादुर सिंह	13-08-92	हाथ पैर खराब	
26	" ग्वांस	कु0 सुचिता	" रधुनाथ सिंह	15-07-95	बोलने में	
27	" डोभा	कु0 आरती	" बलबीर सिंह	20-05-96	शारीरिक विकलांग	
28	" गंगतल	शाहिल	" विनोद	10-09-97	पोलियो से ग्रस्त	

29	" " सिल्ला	वीरेन्द्र लाल	" शिवलाल	20-06-95	दृष्टि दोष	
30	" " रूमसी	प्रमोद लाल	" गजेन्द्र लाल	30-10-98	दृष्टि दोष	
31	" " रूमसी	कु0 मीन्दु	" उमेद सिंह	20-11-96	कान दोष	
32	" " अखोड़ी	कु0 सन्तोषी	" रामचन्द्र		हाथ पांव विकलांग	
33	" " धान्यू	कु0 वन्दना	" गोविन्द सिंह			
34	" " गदनू	भगवन्त कुमार				
35	" " "	प्रियंका	" गोविन्द लाल			
36	" " कोठगी	मुकेश	" रधुनाथ सिंह	16-08-90	एक आंख अन्धा	
37	" " सुमेरपुर	कु0 शशि	" रतन लाल	28-06-94	पैर का लंगड़ा	
38	" " "	दीपक	" पूरण लाल	15-07-89	मानसिक रूप से	
39	" " "	कु0 अन्जू	" प्रेम सिंह	15-07-91	पैर का	
40	" " "	गणेश	" प्रेम सिंह	14-10-87	मानसिक रूप से	
41	" " "	अजय		08-02-90	मानसिक रूप से	
42	" " गडोरा	अंकित			शारीरिक	
43	" " "	प्रवीन सिंह			हाथ	
44	" " "	अभिषेक			पैर	

		अन्जना			दोनों पैर का	
46	" सान्दर	कु0 रिंकी	" बलबीर सिंह	01-07-91	गूंगी	
47	" "	कु0 दीप्ती	" राजेन्द्र सिंह	28-11-93	पैर से	
48	" चमसिल बैंसोंड	दिनेश	" कुंवर सिंह	01-02-89	जीभ का छोटा होना	
49	" "	अर्चना	" जसपाल सिंह	10-05-92	आंख से	
50	" "	कु0 दर्शनी	" जसपाल सिंह	10-04-90	बहरापन	
51	" "	कु0 किरन	" पुष्कर सिंह	07-06-96	मुंह से	
52	" "	कु0 प्रतिभा	" भागचन्द	10-04-94	मुंह से	
53	" शिवनन्दी	दशरथ	" धनश्याम	28-08-91	पैर से	
54	" पोखरी	कु0 भागीरथी	" प्रेम लाल	05-08-93	शारीरिक	
55	" आगर	संजय लाल	" सिताबूलाल	02-11-90	मानसिक	
56	" "	कु0 जयन्ती	" प्रताप लाल	06-08-92	मानसिक	
57	" कलना	कु0 बबीता	" कमल सिंह	10-10-89	पोलियो से ग्रस्त	
58	" "	मयंक	" कर्णसिंह	12-06-99	पोलियो से ग्रस्त	
59	" "	कु0 पूनम	" राधेलाल	12-06-91	पोलियो से ग्रस्त	
60	" भुनका	कु0 मन्जू	" दरबान सिंह		बांया हाथ	

61		गणेश	" शिशुपाल	19-02-96	एक आंख अन्धा	
62	" " सारी	कु0 सीमा	" राम सिंह	02-07-91	आंख से	
63	" " "	कु0 बबीता	" त्रिलोक सिंह	05-06-95	शारीरिक	
64	" " "	कु0 निधि	" महेन्द्र सिंह	27-06-96	सम्पूर्ण विकलांग	
65	" " "	कु0 आरती	" तेजसिंह	05-07-88	आंख से	
66	" " "	कु0 सविता	" विक्रम सिंह	10-08-94	पैरों से	
67	" " "	कु0 पार्वती	" कुन्दीलाल	08-06-99	आंख से	
68	" " "	नवीन चन्द्र	" रमेश चन्द्र	27-07-95	आंख एवं गुंह से	
69	" " छिनका	विवेकानन्द	" चक्रधर	08-05-96	गूंगा	
70	" " वीरों	कु0 संगीता	" देव सिंह	0-0-92	हाथ पांव विकलांग	
71	" " चिनग्वाड़	कु0 बबली	" सिताब सिंह	07-05-92	हाथ का	
72	" " " "	कु0 उषा	" कमल सिंह	04-07-90	हाथ का	
73	" " "	शेरसिंह	" गोविन्द सिंह	03-08-90	गूंगा	
74	" " भाणधार	कु0 सोना	" मोहन सिंह	01-04-90	पैर	
75	" " "	कु0 गुनार	" अफजल	16-06-95	पैर	
76	" " "	साकिब अली	" साजिद	15-04-94	मानसिक	

77	" " क्यूडी	हरीश सिंह	" दिनेश सिंह	14-05-97	शारीरिक	
78	" " फलासी	महेन्द्र लाल	" भागमल	07-05-93	शारीरिक	
79	" " "	कु0 हेमा	" मुर्खल्या	25-07-92	शारीरिक	
80	" " गोरणा	कु0 रिंकी	" कुंवर सिंह	04-10-94	शारीरिक	
81	" " उर्खोली	ओमप्रकाश	" शिवराज सिंह	10-06-91	पोलियो	
82	" " सुंवारी	कु0 ऋषिमा	" राजेन्द्र सिंह	06-10-98	शारीरिक	
83	" " "	कु0 विशी	" राधेलाल	06-05-97	शारीरिक	
84	" " "	कु0 असाड़ी	" बचन सिंह	05-03-89	शारीरिक	
85	" " बेलणी	सुमित	" वीरेन्द्र सिंह		पौरों से	
86	" " "	कु0 साक्षी	" पृथ्वीराज		बोलने से	
87	" " "	कु0 लवली	" विनोद सिंह		मानसिक	
88	" " लोली	कु0 सोना	" मोहन सिंह	01-04-90		
89	" " च्वीथ	कु0 शान्ति	" दीवान सिंह	15-01-89	आंख	
90	" " हडेटीखाल	सागर सिंह	" मोहन सिंह	01-06-90	सूनने में	
91	" " "	रजत सिंह	" सुरेन्द्र सिंह	05-01-93	सुनने में	
92	" " "	कु0 मधु	" सुरेन्द्र सिंह	12-06-90	सुनने में	

93	" " "	पंकज	" देवेन्द्र सिंह	28-05-97	मानसिक	
94	" " "	दिनेश	" पुष्कर सिंह	15-09-93	सुनने में	
95	" " "	किशोर	" पुष्कर सिंह	22-08-96	सुनने में	
96	" " बसुकेदार	अखिलेश		01-07-89	शारीरिक	
97	" " "	कैलाश		15-07-87	शारीरिक	
98	" " "	कु0 प्रियंका		16-03-92	पैरों से	
99	" " "	दिनेश	" मोहन सिंह		गूंगा	
100	" " भौंसाल	कु0 मधु		10-05-95	शारीरिक	
101	" " "	लखपत		18-10-96	शारीरिक	
102	" " डुग्रा	कु0 हेमवन्ती	" साधेसिंह	26-07-95	दृष्टि दोष	
103	" " बणगांव	गजेसिंह	" हरिसिंह	11 year	शारीरिक	
104	" " पाटा	हरीश सिंह	" आलम सिंह	03-04-96	पैर	
105	" " झुण्डोली	कलम सिंह	" वीर सिंह	22-06-89	दृष्टि दोष	
106	" "	कु0 गयाली	" नरेन्द्र सिंह	17-06-90	मानसिक	
107	" "	कु0 रंजना	" वीर सिंह	01-04-90		
108	" " पोला	विपिन	" कीरत	12-07-94		

109	" " कान्दी	संदीप	" रघुबीर	10-07-91	शारीरिक	
110	" "	कु0 सरिता	" रतनलाल	12-03-91	दृष्टि	
111	" " हिलेरीधार	कु0 अनिता	" भरत सिंह	29-07-2000	हाथ से	
112	" " गुगली	सुभाष		10-07-93	पांव से	
113	" "	नरेश		21-07-91	शारीरिक	
114	" " जहंगी	कु0 मीनाक्षी		14-09-96	पांव से	
115	" " "	कु0 अमिता		10-02-98	पांव से	
116	" " तड़ाग	कुमारी			शारीरिक	
117	" " सारी	कु0 सीमा				
118	" " "	नवीन चन्द्र				
119	" " गान्धीपुर	कु0 इन्दू				
120	" " "	कु0 मोनिका				
121	जू0 हा0 विजयगढ़	दिनेश चन्द्र				
122	प्रा0 वि0 कोठगी	मुकेश कुमार				
123	" " "	कु. पिंकी				
124	जू0 हा0 कमेड़ा	मनोजलाल				

125	प्रा0 वि0 कोखण्डी	कु0 पिंकी				
126	" बेंजी	कु0 शैलवाला		13-04-93	पोलियो ग्रस्त	
127	"	नवीन कुमार (अनु. जाति)		05-07-91	गूंगा व बहरा	
128	" फलई	उमेन्द्र सिंह		10-06-87	पांव से	
129	जू0 हा0 नागजगई	कु0 नीता		05-01-89	एक आंख अन्धा	
130	"	सुनील सिंह		12-06-88	बहरापन	
131	"	वेद प्रकाश		15-08-88	गूंगा	
132	"	कु. अन्जना		01-06-88	शारीरिक विकलांग	
133	"	मुकेश		20-01-90	एक आंख अन्धा	
134	"	कु. सन्ध्या		26-03-91	शारीरिक विकलांग	
135	"	कु0 नन्दा		01-01-90	शारीरिक विकलांग	
136	"	कु0 लक्ष्मी		04-07-90	एक आंख का विकलांग	
137	"	जीत बहादुर		12-02-90	मन्द दृष्टि विकलांग	
138	"	दलीप सिंह		10-05-88	शारीरिक विकलांग	
139	"	शिशुपाल सिंह		03-06-89	गूंगा	
140	प्रा0 वि0 काण्डई	शोभालाल		30-01-88	मानसिक मन्दता	

141	" " "	राहुल		24-01-96	शारीरिक अक्षमता	
142	" " "	कु0 कविता	" जगतलाल		पोलियो से ग्रस्त	
143	" " खांकरा	कु0 अल्का		30-07-87	मन्दता	
144	" " "	आशाराम		05-06-93	मन्दता	
145	" " "	सुनील		28-06-94	शारीरिक विकलांग	
146	" " रामपुर	कु0 कविता		10-04-85	शारीरिक विकलांग	
147	क0 जू0 रतूड़ा	कु0 ज्योति	" गिरीश चन्द्र	01-07-86	एक पैर खराब है	
148	प्रा0 वि0 पावों	राजेसिंह	" गणेश सिंह	10-07-91	एक आंख से अन्धा	
149	" " मरोड़ा	लक्ष्मण सिंह	" भागवत सिंह	07-06-92	गूंगा व बहरा	
150	" " थलासू	राकेश लाल	" शेरीलाल	08-06-94	अप्राप्त	
151	" " घण्डियालका	सुनील सिंह	" दलीप सिंह	08-07-91	गूंगा	

6 से 14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चे विकलांग

क्र.सं	विद्यालय का नाम	छात्र का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	न जाने का कारण	जाति	यदि विद्यालय हो तो		पिता का व्यवसाय
							कब	किस कक्षा से	
152	प्रा० वि० मरोड़ा	लक्ष्मण सिंह	श्री भागवत सिंह	20-06-1992	अभिभावक द्वारा नहीं भेजा गया	सामान्य	20-09-1999	कक्षा 1 से	कृषि
153	प्रा० वि० पावों	शाकम्बरी	घूम सिंह	20-07-1988	•	सामान्य	19-05-2001	कक्षा 5 उत्तीर्ण	•
154	•	रेखा	प्रसादू लाल	14-05-1990	•	हि० शि०	29-10-1998	कक्षा 2 से	•
155		संगीता	रणजीत सिंह	08-06-1990	•	सामान्य	26-02-2000	कक्षा 4 से	•
156		राकेश लाल	रमेशलाल	01-06-1990	•	हि० शि०	03-11-2001	कक्षा 4 से	•
157		रंजना	नोरतू लाल	10-06-1990	•	हि० शि०	16-01-1999	कक्षा 3 से	•
158		मंगला	शेर सिंह	20-05-1990	•	सामान्य	24-03-2000	कक्षा 2 से	•
159		पिंकी	शेर सिंह	01-06-1991	•	सामान्य	15-09-2001	कक्षा 3 से	•
160		रिंकी	शेर सिंह	10-05-1992	•	सामान्य	15-09-2001	कक्षा 2 से	•
161		रिंकी	गेंदालाल	15-05-1992	•	हि० शि०	18-08-2001	कक्षा 3 से	•

विकलांग बच्चों की सूची

क्र. सं.	विकलांग छात्र/छात्रा का नाम	जन्मतिथि	विकलांगता का प्रकार	विवरण
1	कु0 सर्वेश्वरी	16-05-84	पोलियो ग्रस्त	
2	रायसिंह	01-07-89	पैरों से	
3	प्रदीप	14-11-90	चलने में	
4	दीपक	02-07-91	चलने में	
5	धर्मेन्द्रलाल	07-07-90	शारीरिक	
6	कु0 पूनम	24-06-91	पैर टेड़ा है	
7	विनोद	01-07-81	शारीरिक अक्षमता	
8	पिनाकीधर	05-02-89	दृष्टिहीन	
9	प्रमिला	25-05-93	दृष्टिहीन	
10	विनीता	03-01-91	चलने मं	
11	योगेन्द्र सिंह	17-12-93	शारीरिक अक्षमता	
12	गीता	09-02-92	कूबड़	
13	देवेन्द्र सिंह	03-06-93	मूक बधिर	
14	सुभाष	16-07-91	हाथ से	
15	बिछैना	10-07-93	पैर से	
16	सरोजकुमार	14-04-91	गूंगा	
17	सुरेश सिंह	12-04-90	आंख	
18	बलबीर सिंह	05-08-89	गूंगा	
19	सत्येन्द्र सिंह	04-05-89	मानसिक	
20	उषा	03-06-91	पैर से	

21	सन्तोषी	01-08-91	मानसिक	
22	मंजू	10-11-97	पैर से	
23	पप्पूलाल	07-05-90	असामान्य	
24	अंकुर	23-09-95	पैर से अपंग	
25	संगीता	28-01-90	आंख	
26	प्रमोद	04-11-90	दृष्टिहीन	
27	मीना	10-11-90	दृष्टिहीन	
28	राखी	02-07-94	दृष्टिहीन	
29	दीपा	26-06-91	दृष्टिहीन	
30	सन्तोष कुमार	24-04-92	शारीरिक	
31	वन्दना	01-07-97	पैर से	
32	आशीष	11-12-91	पैर से	
33	भूपेन्द्र सिंह	24-07-96	पैर से	
34	विनोद	02-01-90	पैर से	
35	भरत सिंह	08-06-94	बधिर	
36	कमल सिंह	05-07-90	पैर से	
37	आनन्दलाल	15-08-98	पैर से	
38	राकेश	14-07-89	हाथ से विकलांग	

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी
क्षेत्र – ऊखीमठ
(रूद्रप्रयाग) उत्तरांचल

सी0 आर0 सी0

क्र0 सं0 ऊखीमठ

1. ऊखीमठ
2. गुप्तकाशी
3. फाटा
4. ल्वारा
5. मनसूना
6. राउलैक
7. कालीमठ
8. भीगी

क्र0 सं0 अगस्त्यमुनि

1. अगस्त्यमुनि
2. चोपता
3. सतेराखाल
4. सुमेरपुर
5. भीरी
6. चन्द्रापुरी
7. तिलवाड़ा
8. सारी
9. चोपड़ा
10. बरसूड़ी (बचणस्यू)
11. कांण्डई (बचणस्यू)
12. नगरासू
13. कांण्डई (दशोली)
14. रुद्रप्रयाग
15. पठालीधार
16. बसूकेदार
17. नागजगई
18. वाड़व
19. भणज
20. क्यूजा
21. बड़थ
22. पिल्लू
23. बस्टी

क्र0 सं0 जखोली

1. बाजा मयाली
2. खलियाण बांगर
3. रायड़ी
4. पांजणा
5. जवाड़ी
6. सुमाड़ी
7. सौराखाल
8. चौंरा
9. मथ्यागांव
10. किमाणा
11. मणिपुर चाका
12. तुडेटा
13. कोट बांगर
14. गोर्ती
15. सकलाना
16. सिद्धसौड़
17. खरगेड़

पद विहीन विद्यालय

क्र0 सं0	क्षेत्र ऊखीमठ	स्वीकृत वर्ष
1	प्रा0 जग्गी बगवान	97--98
2	प्रा0 खाट	97–98
3	गिवाड़ीगांव	97--98
4	सांकरी	97–96
5	ल्वाणी (ब)	97--98
6	सेमला	97–98
7	कुणजेठी	97--98

क्र0 सं0	क्षेत्र अगस्त्यमुनि	स्वीकृत वर्ष
1	बीना	97–98
2	निरवाली	97–98
3	तोल्यू	97–98
4	देवी सैण	97–98
5	खेड़ी	97–98
6	देवल बीरौं	97–98
7	घांघड़	97–98
8	थापलाधार	97–98
9	गीड़	97–98
10	नारी	97–98
11	थलासू	97–98
12	बंडरी	97–98
13	बोरा	97–98
14	कोटी	97–98
15	पाली	97–98
16	जशोली मल्ला	97–98

जनपद रूद्रप्रयाग भवनहीन/शीर्ण–क्षीर्ण भवनों की सूची

प्राथमिक विद्यालय

1. जखोली

1. प्राथवि0 तुनेटा
2. प्राथवि0 जाखाल
3. प्राथवि0 सिलगांव
4. प्राथवि0 बरासिर
5. प्राथवि0 भुनालगांव
6. प्राथवि0 अरखुण्ड
7. प्राथवि0 अदूली
8. प्राथवि0 मखेत
9. प्राथवि0 घरड़ा
10. प्राथवि0 जखोली
11. प्राथवि0 डुँगा
12. प्राथवि0 कोटली
13. प्राथवि0 सेमभरदार
14. प्राथवि0 रौठिया
15. प्राथवि0 उत्यासू
16. प्राथवि0 जवाड़ी
17. प्राथवि0 सिरवाड़ी
18. प्राथवि0 वालिहारी
19. प्राथवि0 पूलन म0
20. प्राथवि0 खलियाना
21. प्राथवि0 सिद्धसौड़
22. प्राथवि0 मरोड़ा
23. प्राथवि0 लुठियाड़ा
24. प्राथवि0 भ्यूता
25. प्राथवि0 वधाणी
26. प्राथवि0 कण्डाली
27. प्राथवि0 कुमडी

2.ऊखीमठ

28. प्राथवि0 परकण्डी
29. प्राथवि0 उंथेण्ड
30. प्राथवि0 भेंगलता
31. प्राथवि0 पौण्डार
32. प्राथवि0 फाटा
33. प्राथवि0 चिलौण्ड
34. प्राथवि0 भौंरी
35. प्राथवि0 सल्या
36. प्राथवि0 गुप्तकाशी
37. प्राथवि0 कडवीधार
38. प्राथवि0 ठान धरसाल
39. प्राथवि0 कालीमठ
40. प्राथवि0 ऊखीमठ
41. प्राथवि0 उसाड़ा
42. प्राथवि0 दिवली
43. प्राथवि0 लमगौड़ी
44. प्राथवि0 नाला
45. प्राथवि0 कोणगढ
46. प्राथवि0 चौमासी
47. प्राथवि0 पारीवेराफला

अगस्त्यमुनि

48. प्राथवि0 वाड़व
49. प्राथवि0 भौरी
50. प्राथवि0 झरगढ़
51 प्राथवि0 क0 वावई
52. प्राथवि0 खण्डानऊ
53. प्राथवि0 खुरड़
54. प्राथवि0 क्याकी
55. प्राथवि0 औरिंग
56. प्राथवि0 इशाला
57. प्राथवि0 सणणू
58. प्राथवि0 थपलगांव

जनपद रूद्रप्रयाग–भवनहीन /जीर्ण–शीर्ण भवनो की सूची
पूर्व माध्यमिक विद्यालय

जखोली

1. क्रमोत्तर लिस्वाल्टा
2. पू0 मा0 वि0किरोड़ा
3. क्रमोत्तर पालाकुराली
4. क0 पू0 मा0 वि0 सकलाना
5. पू0 मा0वि0 वॉसी
6. क्रमोत्तर रौठिया
7. पू0 मा0 वि0 मखेत
8. पू0 मा0 वि0 जखनौली
9. पू0 मा0 वि0 चोपड़ा
10. पू0 मा0 वि0 सेमल्टा
11. पू0 मा0 वि0 सिलगांव
12. पू0 मा0 वि0 खरियाल
13. पू0 मा0 वि0 पूलन
14. पू0 मा0 वि0 त्यूँखर
15. पू0 मा0 वि0 कण्डाली

~~16.क्रमोत्तर [illegible]~~

ऊखीमठ

17. कन्या जू0हा0वि0ऊखीमठ
18. कन्या जू0हा0वि0 गुप्तकाशी

~~19.कन्या जू0हा0वि0 [illegible]~~ X

20. कन्या जू0हा0वि0 कालीमठ
21. कन्या जू0हा0वि0 सोतापुर
22. कन्या जू0हा0वि0त्रियुगीनारायण
23. कन्या जू0हा0वि0 जाल(तल्ला)
24. कन्या जू0हा0वि0 रासी

अगस्त्यमुनि

25. पू0मा0वि0 कमेड़ा
26. पू0मा0वि0 क्यार्की
27. पू0मा0वि0 बाड़व
28. पू0मा0वि0 भैंसाल
29. पू0मा0वि0 जलई
30. पू0मा0वि0 कमसाल
31. पू0मा0वि0 कमेड़ा
32. पू0मा0वि0 कर्णधार
33. पू0मा0वि0 खटिंगा
34. पू0मा0वि0 कन्या क्यार्की
35. पू0मा0वि0 हडंटीखाल

विवरण

क्र0 सं0	न्याय पचायत का नाम	ग्राम पचायत का नाम	असेवित बस्ती का नाम	जनसख्या	निकटतन विद्यालय का नाम		विद्यालय की दूरी	6–11 आयु वर्ग के बच्चो की सख्या			11–14 वर्ग के बच्चो की सख्या			विकलाग 0–18 आयु वर्ग के बच्चो की सख्या		
					प्राथमिक	पू0 माध्यमिक		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	डागी (सुमाडी)	लडियासू भरदार	लावडी	305	प्रा0 वि0 तुनेटा	जू0हा0 तुनेटा	2 किमी0	23	20	43	18	17	35	0	0	0
2	डागी (सुमाडी)	सिलगांव भरदार	घरियाणा	323	प्रा0 वि0 जाखाल	जू0हा0 सिलगांव	2.5 किमी0	24	18	42	11	14	25	0	1	1
3	डागी (सुमाडी)	डांगी भरदार	नौली	284	प्रा0 वि0 डांगी	जू0हा0 डांगी	2 किमी0	16	13	29	11	16	27	0	0	0
4	डागी (सुमाडी)	बैनोली	रिगैड़	92	प्रा0 वि0 बैनाली	रा0इ0का0 जाखाल	2 किमी0	12	14	26	8	11	19	0	0	0
5	डागी (सुमाडी)	तुनेटा	थापला/रतनगढ	204	प्रा0 वि0 तुनेटा	जू0हा0 तुनेटा	3 किमी0	15	20	35	14	20	34	0	1	1
6	डागी (सुमाडी)	सेमा भरदार	पादुली (स्यालसु)	314	प्रा0 वि0 गैरसेरा	जू0हा0 स्यालसु	3 किमी0	18	21	39	12	15	27	1	1	2
7	डागी (सुमाडी)	उदियाण गाव	पलोट	223	प्रा0 वि0 उदियाणगाव	रा0इ0का0 जाखाल	2.5 किमी0	27	23	50	18	13	31	0	1	1
8	सौरा (जवाडी)	माथगांव	मरगांव	201	प्रा0 वि0 माथगांव	रा0हा0 स्कूल चौरिया	1.5 किमी0	21	22	43	10	9	19	0	0	0
9	सौरा (जवाड़ी)	स्वीली सेम	डुग्री	359	प्रा0 वि0 स्वीली	जू0हा0 स्वीलीसेम	1.5 किमी0	13	19	32	15	8	23	1	0	1
10	सौरा (जवाड़ी)	खरगेड़	चौडा सिराई	114	प्रा0 वि0 खरगेड़	रा0इ0का0 खरगेड	1.5 किमी0	4	8	12	7	5	12	0	0	0
11	खलियाना/पौठी	जखवाडी	जखवाड़ी तल्ली	285	प्रा0 वि0 जखवाडी	रा0इ0का0 कोट	1 किमी0	20	19	39	12	10	22	1	1	2
12	स्यूर/बस्टा	डोवलिया बडमा	पाटियों गैर सेरा	127	प्रा0 वि0 डोवलिया	रा0इ0का0 तिमली	1 किमी0	9	14	23	7	8	15	0	0	0
13	स्यूर/बस्टा	डोवलिया बडमा	बस्टा (गैरा)	212	प्रा0 वि0 डोवलिया	रा0इ0का0 तिमली	1 किमी0	21	22	43	12	22	34	1	0	1
14																
15	कण्डाली/सुमाडी	भिमली	बन्दर तोली	262	प्रा0 वि0 शीशां	जू0हा0 कण्डाली	3 किमी0	29	18	47	13	11	24	0	0	0
16		कुमडी	कोर	167	प्रा0 वि0 कुमडी	जू0हा0 देवीधार	2.6 किमी0	14	18	32	10	9	19	0	0	0
17	जखोली/बजीरा	देवल लस्या	देवल लस्या	212	प्रा0 वि0 खरियाल	रा0इ0का0 रामाश्रम	1 किमी0	11	10	21	8	6	14	0	1	1
18	जखोली/बजीरा	उरोली लस्या	इजरा	236	प्रा0 वि0 उरोली	जू0हा0 गोर्ती	1 किमी0	9	14	23	6	11	17	0	1	1

क्र0 स0	न्याय पचायत का नाम	ग्राम पचायत का नाम	असेवित बस्ती का नाम	जनसख्या	निकटतम विद्यालय का नाम		विद्यालय की दूरी	6–11 आयु वर्ग के बच्चो की सख्या			11-14 वर्ग के बच्चो की सख्या			विकलाग 0–18 आयु वर्ग के बच्चो की सख्या		
					प्राथमिक	पू0 माध्यमिक		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
19	जखोली / बजीरा	कोटी लस्या	धानियो	109	प्रा0 वि0 मरगाव कोटी	जू0हा0 मरगाव / कोटी	1.5 किमी0	12	6	18	6	5	11	0	0	0
20	जखोली / बजीरा	बुढना लस्या	नौसारी	238	प्रा0 वि0 बुढना	रा0इ0का0 बुढना	1 किमी0	14	13	27	9	8	17	0	0	0
21	जखोली / बजीरा	बुढना लस्या	घुराणगाव	515	प्रा0 वि0 बुढना	रा0इ0का0बुढना	3 किमी0	38	40	78	15	19	34	0	0	0
22	जखोली / बजीरा	लुठियाग	चिरवटिया	520	प्रा0 वि0 लुठियाग	रा0इ0का0 बुढना	4 किमी0	46	41	87	24	20	44	0	0	0
23	जखोली / बजीरा	कोठियाडा	चौदी	270	प्रा0 वि0 कोठियाडा	हा0 स्कूल जयन्ती	1.5 किमी0	18	16	34	18	11	29	1	0	1
24	जखोली / बजीरा	घरडा	मातरवानी	205	प्रा0 वि0 घरडा	पू0 मा0 मखेत	2 किमी0	19	17	36	17	12	29	0	0	0
25	जखोली / बजीरा	जवाडी	कन्डारा चौदार	200	प्रा0 वि0 जवाडी	हा0 क0 जवाडी	2 किमी0	17	17	34	16	12	28	0	1	1
26	जखोली / बजीरा	रहड	खाल	200	प्रा0 वि0 भणगा	हा0 क0 भणगा	1.5 किमी0	16	15	31	11	12	23	0	0	0
27	जखोली / बजीरा	उच्छना	भैचल	208	प्रा0 वि0 उच्छना	हा0 क0 उच्छना	2 किमी0	17	15	32	13	13	26	1	1	2
28	जखोली / बजीरा	कोट (बांगर)	गैर कोट बांगर	200	प्रा0 वि0 कोट	हा0 क0 कोटी	2 किमी0	16	14	30	13	13	26	1	1	2
29	जखोली / बजीरा	घरडा	थापली	200	प्रा0 वि0 त्यूखर	हा0 क0 घरडा	2 किमी0	15	15	30	13	12	25	0	0	0
30	कोट	कोट	सन	200	प्रा0 वि0 कोट	हा0 क0 कोट	1 किमी0	14	14	28	12	12	24	1	1	2
31	स्यूर (बस्टा)	स्यूर	बजौला	205	प्रा0 वि0 स्यूर	पू0 मा0 स्यूर	2 किमी0	15	15	30	12	12	24	0	0	0
32	सुमाडी (डांगी)	सेमा	कन्दार	150	प्रा0 वि0 तुनेटा	पू0 मा0 तुनेटा	2 किमी0	14	14	28	12	13	25	0	0	0
33	सुमाडी (डांगी)	तुनेटा	तडियालगाव	150	प्रा0 वि0 तुनेटा	पू0 मा0 तुनेटा	2 किमी0	15	15	30	13	13	26	0	1	1
34	सुमाडी (डांगी)	मवाणा	बरसारी	600	प्रा0 वि0 तुनेटा	पू0 मा0 तुनेटा	1.5 किमी0	10	10	20	10	9	19	0	0	0

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी
ब्लाक जखोली टिहरी गढवाल

'असेवित असितयों की सूची'

प्राथमिक स्तर

क्र0 सं0	असीमित वस्ती का नाम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	जनसंख्या			वर्तमान में विद्यालय से दूरी	सम्भावित छात्र संख्या (6–11 वयवर्ग)	अन्य विवरण
				पुरूष	महिला	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ताली	नाकोट	नाकोट	71	79	150	2 किमी0	20	
2	जवाहर नगर	बनियाडी	बनियाडी	93	80	173	1 किमी0	16	
3	सौड़ी	सौड़ी	सौड़ी	77	88	165	1.2 किमी0	15	
4	सिल्कोट	बड़ेथ	सिलकोट	34	38	72	1 किमी0	12	बीहड़ रास्ता
5	स्यालडोभा	मणिगुह	मणिगुह	89	90	179	2 किमी0	21	
6	खाली	मणिगुह	मणिगुह	42	43	85	2.5 किमी0	13	जंगल का रास्ता
7	भिराली	क्यूंजा	क्यूंजा	80	86	166	2.5 किमी0	26	
8	रैंगू	कण्डारा	रैंगू	166	173	339	1.5 किमी0	45	
9	अजयपुर	जयकण्ड़ी	अजयपुर	54	53	107	2.5 किमी0	14	
10	डिंडिया	आसौं	आसौं	28	27	55	2 किमी0	10	जंगल का रास्ता
11	कालई	केड़ा	कालई	72	66	138	2 किमी0	16	
12	सेलधार	बाड़व	बाड़व	65	58	123	1.5 किमी0	21	
13	जाबरी	कान्दी	जाबरी	80	60	140	1 किमी0	17	
14	डालसिंगी	डालसिंगी	डालसिंगी	116	110	226	1 किमी0	19	
15	जमेथी	क्यार्क	बरसूड़ी	126	118	244	1.5 किमी0	25	
16	देवीधार	डांगी	डांगी	96	126	222	1 किमी0	22	
17	चौंरा	डडोली	डडोली	86	69	155	2 किमी0	26	
18	गराकोट	सिल्ला	सिल्ला	70	59	129	1.5 किमी0	23	
19	मोलाकडा	सिल्ला	सिल्ला	105	121	226	1.7 किमी0	32	

20	स्यूपुरी	स्यूपुरी	स्यूपुरी	452	508	960	1.5 किमी0	45	
21	दरम्वाड़ी	दरम्वाडी	दरम्वाडी	195	151	346	2 किमी0	72	
22	धौलसारी	कमेड़ा	धौलसारी	126	137	263	1.5 किमी0	23	
23	अमसारी	पुनाड़	पुनाड़	302	300	602	2 किमी0	32	
24	कुण्ड़ा	कुण्ड दानकोट	कुण्ड दानकोट	279	274	553	1 किमी0	33	
25	गडिल	फलासी	गडिल	223	230	453	2 किमी0	23	
26	झरकोटी	नगरासू	नगरासू	102	91	193	1.8 किमी0	37	
27	क्वांली	तोरियल	क्वांली	121	101	222	2 किमी0	29	
28	चौंरी	रतूड़ा	रतूड़ा						विधायक की मांग पर
29	गुनाऊँ तल्ला	डागी गुनाऊँ	डागी गुनाऊँ						विधायक की मांग पर
30	मरगांव	जुन्तई	मरगांव	160	109	269	2 किमी0	22	
31	फतेहपुर	खांकरा	फतेहपुर	104	99	203	1.5 किमी0	23	
32	बणसौं	बणसौं	बणसौं	102	88	190	1 किमी0	17	
33	भटवाड़ी	कोठगी	भटवाड़ी	101	137	238	1 किमी0	31	
34	डोभ	मरोड़ा	मरोड़ा	89	72	161	1.3 किमी0	16	
35	कोटी	मदोली	कोटी	118	113	231	1 किमी0	23	

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी
अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)

'असेवित बस्तियों की सूची'

जूनियर स्तर

क्र0 सं0	असीमित वस्ती का नाम	ग्राम सभा	राजस्व ग्राम	जनसंख्या			वर्तमान में विद्यालय से दूरी	सम्भावित छात्र संख्या	विद्यालय की परिधि में आने वाले प्रा0 वि0	विशेष
				पुरूष	महिला	योग				
1	2	3	4				8	9	10	
1	सुमेरपुर	सुमेरपुर	सुमेरपुर				3 किमी0	75	प्रा0 वि0 सुमेरपुर, डुग्री, लमेरी	
2	कलना	कलना	कलना				3.5 किमी0	80	प्रा0 वि0 कलना, शिवानन्दी	
3	डांगी	डांगी	डांगी				3 किमी0	65	प्रा0 वि0 डागी, डडोली, कोटी, सोगना	
4	गिंवाला	सौड़ी	सौड़ी				3.5 किमी0	80	प्रा0 वि0 गिवाला, तलसारी, सिद्धनगर	
5	जयकण्ड़ी	जयकण्ड़ी	जयकण्ड़ी				4 किमी0	85	प्रा0 वि0 आसौं जयकण्डी, गुगली	
6	दौला	दौला	दौला				3 किमी0	65	प्रा0 वि0 दौला, कन्यास	
7	डमार	डमार	डमार				3 किमी0	55	प्रा0 वि0 डमार, टेमरिया	
8	कोलू मन्नू	कोलू मन्नू	कोलू मन्नू				3 किमी0	60	प्रा0 वि0 कोलू मन्नू, फलासी	
9	चमस्वाड़ा	चमस्वाड़ा	चमस्वाड़ा				3 किमी0	40	प्रा0 वि0 चमस्वाड़ा	

10	बेंजी	बेंजी	बेंजी				5 किमी0	50	प्रा0 वि0 बेंजी, गंगतल	
11	तिनसोली	तिनसोली	तिनसोली				4 किमी0	80	प्रा0 वि0 तिनसोली, फेगू	
12	गदनू	सिल्ला	सिल्ला				4 किमी0	40	प्रा0 वि0 गदनू, झटगढ	
13	जोला–बडेथ	जोला	जोला				3 किमी0	45	प्रा0 वि0 जोला, जोला–बडेथ	
14	विजराकोट	विजराकोट	विजराकोट				5 किमी0	70	प्रा0 वि0 विजराकोट, थपलगांव	
15	धारकोट	धारकोट	धारकोट				3 किमी0	60	प्रा0 वि0 धारकोट	
16	जुन्टई	जुन्टई	जुन्टई				4 किमी0	60	प्रा0 वि0 मुस्यागांव, स्यूणी, जुन्टई, पैंठी	
17	गुनाऊँ तल्ला	डांगी गुनाऊँ	डांगी गुनाऊँ				3 किमी0	40	प्रा0 वि0 डागी गनांऊ	विद्यायक की सिफारिश पर
18	खतेणा नारीबौठा	नारी खतेणा	नारी खतेणा				3 किमी0	50	प्रा0 वि0 नारी, खतेणा, बौठा	
19	बज्यूण	बज्यूण	बज्यूण				3 किमी0	60	प्रा0 वि0 बज्यूण	

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी
अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)

विकास खण्ड़ जखोली

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	असेवित बस्ती का नाम	जनसंख्या	6–11 वय वर्ग के छात्रों की संख्या	वर्तमान विद्यालय से दूरी किमी. में
1	लडियासू (भरदार)	लावड़ी	305	43	2 किमी0
2	निलगांव	घरियाणा	323	42	2.5 किमी0
3	सेमा भरदार	पादुली (स्यालसूं)	314	40	3 किमी0
4	उदियांणगांव	पलोट	223	50	2.5 किमी0
5	माचगांव	मरगांव	201	43	1.5 किमी0
6	जखवाड़ी	जखवाड़ी	285	40	1 किमी0
7	डोगलिया बड़मा	बस्टा (सेरा)	212	44	1 किमी0
8	भीमली	बंदर तोली	262	47	3 किमी0
9	बुझा लस्या	घुराड़गांव	515	78	3 किमी0
10	लुढियांग	चिरबटिया	520	87	4 किमी0
11	घरड़ा	माथखानी	205	40	2 किमी0

क्षतिग्रस्त/ध्वस्त/भवनहीन/आंशिक मरॅम्मत योग्य भवनों की सूची

विकासखण्ड – ऊखीमठ – रूद्रप्रयाग

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	ध्वस्त	भवनहीन
1	परकण्डी	1	0
2	उथिण्ड	1	0
3	भेंगतला	1	0
4	पौण्डार	1	0
5	फाटा	1	0
6	जू0 हा0 स्कूल कन्या ऊखीमठ	0	1
7	जू0 हा0 स्कूल कन्या गुप्तकाशी	0	1
8	जू0 हा0 स्कूल कन्या पाली फांफज	0	1
9	प्रा0 वि0 चिलौण्ड़	1	0
	योग	6	3

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

क्षेत्र ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग) उत्तरांचल

नवीन विद्यालय भवन निमार्ण हेतु भवन हीन तथा ध्वस्त जीर्णशीर्ण विद्यालयों की सूची

विकास खण्ड -- जखोली -- रूद्रप्रयाग -- सूचना माह -- अगस्त 2002

क्र0 सं0	भवनहीन विद्यालयों के नाम	क्र0 सं0	भवनहीन विद्यालयों के नाम	विशेष
1	क0 पू0 मा0 सकलाना (पी.) 2002--01	6	पू0 मा0 सेमल्ता भरदार (पी.)	
2	पू0 मा0 मखेत (पी.)	7	पू0 मा0 सिलगांव (पी.)	
3	पू0 मा0 जखनोली (पी.)	8	क्रमो0 पू0 मा0 खरियाल	
4	पू0 मा0 बांसी (पी.)	9	क्रमो0 पू0 मा0 पाला कुराली	
5	पू0 मा0 चोपड़ा (पी.)	10	क्रमो0 पू0 मा0 रौंठिया	

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

ब्लाक जखोली रूद्रप्रयाग

क्र0 सं0	ध्वस्त एवं जीर्ण–शीर्ण विद्यालयों के नाम	क्र0 सं0	ध्वस्त एवं जीर्ण–शीर्ण विद्यालयों के नाम	विशेष
1	पू0 मा0 किरोडा	21	प्रा0 वि0 रौठिया	
2	पू0 मा0 त्यूंखर	22	प्रा0 वि0 तिमली बड़मा	
3	पू0 मा0 पूलन	23	प्रा0 वि0 कमडखेत	
4	पू0 मा0 कण्ड़ाली	24	प्रा0 वि0 जखनौली	
5	क्रमो0 भणगा	25	प्रा0 वि0 कोटली भरदार	
6	पू0 मा0 भुनालगांव	26	प्रा0 वि0 घरड़ा	
7	प्रा0 वि0 लुठियांग	27	प्रा0 वि0 बकसिर	
8	प्रा0 वि0 तुनेटा	28	प्रा0 वि0 भणगा	
9	प्रा0 वि0 उत्यासू	29	प्रा0 वि0 भ्यूंता भरदार	
10	प्रा0 वि0 जवाड़ी	30	प्रा0 वि0 मखेत	
11	प्रा0 वि0 जखोली	31	प्राc वि0 मूसाढुंग गांव	
12	प्रा0 वि0 सेमभरदार	32	प्रा0 वि0 बधाणी	
13	प्रा0 वि0 अरखुण्ड	33	प्रा0 वि0 चोमड़ा	
14	प्रा0 वि0 अदूली	34	प्रा0 वि0 बलिहारी	

क्र0 सं0	ध्वस्त एवं जीर्ण–शीर्ण विद्यालयों के नाम	क्र0 सं0	ध्वस्त एवं जीर्ण–शीर्ण विद्यालयों के नाम	विशेष
15	प्रा0 वि0 पूलन मल्ला	35	प्रा0 वि0 सिरवाड़ी	
16	प्रा0 वि0 डुग्रा भरदार	36	प्रा0 वि0 जाखाल	
17	प्रा0 वि0 कण्डाली	37	प्रा0 वि0 मरोड़ा	
18	प्रा0 वि0 कुमड़ी	38	प्रा0 वि0 सिद्धसौड़	
19	प्रा0 वि0 खलियान	39	प्रा0 वि0 बांध	
20	प्रा0 वि0 भुनालगांव			

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी
ब्लाक जखोली रूद्रप्रयाग